लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१ / १८८३ (शक)

[७ से १६, अगस्त १९६१ / १६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

Conservation ... Fumigated ... Parliament Library
14-5-92
3.12.83

चौदहवां सत्र, १९६१ / १८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६–अंक १ से १०—७ से १६ अगस्त १९६१/१६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

अंक १ सोमवार, ७ अगस्त, १९६१/१६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ८३, ४ से ९ और ४५ . . . २—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४४, ४६ से ८२ और ८४ . . . २६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७०, ७२ से १४० और १४२ . . . ६२—११९

निधन संबंधी उल्लेख ११९

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के बारे में . . . १२०

स्थगन प्रस्ताव

(१) आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश . . . १२०—५२

(२) पानशेत में मिट्टी के बाध का टूट जाना . . . १२२—२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बाढ़ की स्थिति . . . १२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२४—३१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३२

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य . . . १३२

सदस्यों का त्याग पत्र १३३

प्रत्यर्पण विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३३

शब्दों को निकालने के बारे में १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १३४—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन . . . १६३

दैनिक संक्षेपिका . . . १६४—८०

विषय	पृष्ठ
अंक २—मंगलवार, ८ अगस्त १,९६१/ १७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९४ और ११६ . . .	१८१—२०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से ११५ और ११७ से १५९ . .	२०४—३८
अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ से २४०, २४२ से ३३७, ३३९ और ३४१ ,से ३४३	२३८—३३१
अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि . .	३३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि . . .	३३१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३१—३४
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौसठवां प्रतिवेदन	३३४
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३४—७९
दैनिक संक्षेपिका	३८०—९१
अंक ३—बुधवार, ९ अगस्त १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६० से १७० . .	३९३—४१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१ से २८५ . . .	४१३—७३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ४२०, ४२२ से ५३१, ५३३ से ५४० और ५४२ से ५६३ .	४७३—५५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५५९—६५
चीनी की स्थिति तथा निर्यात पर नोट के बारे में . .	५६५
ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	५६५
विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता संबंधी विज्ञप्ति .	५६६
तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि	५६६
समितियों के लिये निर्वाचन	५६६—६७
(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति ।	
(२) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ।	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	५६७—९४

पृष्ठ

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ५६४–६१३

खंड २ से २४ . ६१०–११

पारित करने का प्रस्ताव ६११–१३

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के बारे में चर्चा . ६१३–१६

दैनिक संक्षेपिका ६२०–३८

अंक ४—गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८६ से २८६, ३३१, ३४३ और २९० से २९५ ६३९–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३३०, ३३२ से ३४२ और ३४४ से ३७० . ६६३–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५९० और ५९३ से ६९६ ६९८–७५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७५४–५५

आयकर विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य ७५५

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . ७५६

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ७५६

संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ७५६–५८

खण्ड २ से ६ तथा १ . . ७५८–५९

पारित करने का प्रस्ताव ७५९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७५८–६७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . ७६८–६९

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७६९–७७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . . . ७७७

पारित करने का प्रस्ताव ७७७

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव. . ७७७–८५

विषय सूची

पृष्ठ

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा . ७८५–९४

दैनिक संक्षेपिका ७९५–८०४

अंक ५—शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ से ३७६, ३८२, ३७७ से ३८१, ३८३ से ३८६, ३८८, ३९० और ३९१ . ८०५–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८७, ३८९ और ३९२ से ४२९ . ८३३–५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ८८४, ८८६ से ८९५ . ८५१–९३६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

यान में जगह देने में इंडियन एयरलाइन्स की विफलता . ९३७–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९३८–४२

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही सारांश . ९४२

सिख गुरुद्वारा विधेयक— ९४२

राय . . . . .

विशेषाधिकार समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन . . ९४२–४३

सभा का कार्य ९४३

ब्रिटेन के योरोपियन आर्थिक समूह में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य . ९४३–४४

तेल की खोज के लिये प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य . . ९४४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ९४५

दादरा और नगर हवेली विधेयक—पुरःस्थापित . . ९४५

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ९४५–७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पच्चासीवां प्रतिवेदन ९७८

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प ९७९–८६

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प . ९८६–९८

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . ९९८

दैनिक संक्षेपिका ९९९–१०१३

पृष्ठ

अंक ६—सोमवार १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३१ और ४३३ से ४४२ . १०१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १०३७—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ और ४४३ से ५११ . . १०३८—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ९२६, ९२८ से ९५१, ९५३ से १०९९ और ११०१ से ११०७ . . . १०७२—११६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ११६०—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) १९६१-६२, के बारे में विवरण . ११६३

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और जमानत पर उनकी रिहाई . ११६३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर ११६३—६४

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ११६४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . ११६५—८२

विचार करने का प्रस्ताव ११६५—८१

खंड २, ३ और १ . ११८१—८२

पारित करने का प्रस्ताव . ११८१—८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ११८२—९३

प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव ११८२—९३

दैनिक संक्षेपिका ११९४—१२०६

अंक ७—बुधवार १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५१४, ५१६ से ५२३, ५२६, ५२९, ५३०, ५३३ और ५३५ . १२०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१५, ५२४, ५२५, ५२७, ५२८, ५३१, ५३२, ५३४ और ५३६ से ५६६ . . . . १२३२—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ से १२५५, १२५७ और १२५८ . १२५२—१३१२

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में —	
गोश्रा के राष्ट्रीय नेता को दी गई यंत्रणा . . .	१३१२–१३
मास्टर तारा सिंह का ग्रामरण अनशन . . .	१३१३–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय जूट मिल संघ द्वारा सामूहिक रूप से मिलें बन्द करना .	१३१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१३१४–१५
गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में	१३१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियास्सीवां प्रतिवेदन . .	१३१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	१३१६
आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१३१६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	१३१६—५२
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५३—६१
अंक ८– गुरूवार, १७ अगस्त, १९६१ / २६ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ५६९, ५७१ से ५७३, ५७५, ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८५, ६१८, ५८६, ५९०, और ५९१	१३६३–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७०, ५७४, ५७७, ५८२, ५८४, ५८७ से ५८९, ५९२ से ६१७ और ६१९ से ६२६ .	१३८८—१४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ से १४२४ और १४२६ से १४४२	१४०६—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
सोनपुर में गोलीकांड .	१४९०—९३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में बार बार बिजली का बन्द हो जाना	१४९३—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
राज्य सभा से सन्देश	१४९४
सभा का कार्य	१४९४
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक—पुरःस्थापित	१४९५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . .	१४९५—१५०७
दादरा और नागर हवेली विधेयक	१५०७—१४

विषय | पृष्ठ

विचार करने का प्रस्ताव . . . १५०२—१३
खंड २ से १४ तथा १ . . . . १५१४
पारित करने का प्रस्ताव . १५१४

प्रत्यर्पण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . १५१४—१८
दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५१९—२९

अंक ९— शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१ / २७ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६४१ . १५३१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६८० १५५४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ से १६०२ १५७०—१६३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १६३४—३६
राज्य सभा से सन्देश १६३६

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये—
(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक १६३६
(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक . १६३६

विशेषाधिकार समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन . . . . . १६३७—३९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १६३९—४१

प्रत्यर्पण विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १६४२—४३

आयकर विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १६४३—५०

गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासीवां प्रतिवेदन १६५०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री महन्ती का) पुरःस्थापित १६५०—५१
लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का) पुरःस्थापित १६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का) पुरःस्थापित . . . १६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का) १६५१

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१६५१—५३
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार ए० एस० सहगल का)	१६५३—५५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	१६५५
खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	१६५५—६८
विचार करने का प्रस्ताव	१६५५—६८
दैनिक संक्षेपिका	१६६६—८०

अंक १०— शनिवार, १९ अगस्त १९६१ / २८ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६९०, ६९३, ६९४ और ६९६	१६८१—१७०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९२, ६९५, ६९७ से ७२६	१७०१—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ से १७२४ . .	१७१७—६६
स्थगन प्रस्ताव	१७६६—६८
कथित गुप्तचर का पकड़ा जाना	१७६६—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६८—६९
सभा का कार्य	१७६९
शिशिक्षु विधेयक—पुरःस्थापित	१७६९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७६९—७९
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७७९—८३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन .	१७८३
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७८३—८९
दैनिक संक्षेपिका . . .	१७९०—९७

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, १० अगस्त, १९६१

१९ श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान को निर्यात

†*२८६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय निर्यातकों को यह चेतावनी दी गयी है कि वे उनके पक्ष में जारी किये गये अनिवर्तनीय प्रत्यय-पत्र के बिना पाकिस्तान को कोई माल निर्यात न करें; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और जो चेतावनी दी गयी है उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). कुछ मामलों में यह खबर मिली थी कि पाकिस्तानी आयातक भारत से मंगाये गये माल के लिए अपने कस्टम अधिकारियों के समक्ष आयात लाईसेंस नहीं पेश कर सके और इस कारण ऐसी वस्तुयें जब्त और नीलाम कर दी गईं जिससे भारतीय निर्यातकों को वित्तीय हानि हुई । इस स्थिति की ओर निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों का ध्यान आकर्षित किया गया ताकि वे हमारे व्यापारियों को यह सलाह दें कि वे पाकिस्तान को माल का निर्यात प्रत्यय-पत्र आने की सूचना प्राप्त हो जाने पर ही करें ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : सामान्यतः प्रत्यय पत्र 'शिपर्स' द्वारा खोले जायेंगे । भारतीय पक्षों को यह कैसे मालूम होगा कि इस ओर कोई प्रत्यय-पत्र है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रत्यय-पत्र आयातक द्वारा निर्यातक के पक्ष में खोले जाते हैं और सूचना बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है कि प्रत्यय-पत्र खोल लिया गया है । उन्हें अपना माल प्रत्यय-पत्र के उनके पक्ष में सिद्ध हो जाने के बाद ही भेजना चाहिए ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जो सामान वहां पर रोक दिया गया है उसकी कीमत क्या होगी और उसका होगा क्या ?

†मूल अंग्रेजी में

929 (Ai) LSD—1.

श्री सतीश चन्द्र : उसके आंकड़े नहीं हैं लेकिन वह सामान जब्त हो जाता है। उस को नीलाम कर देते हैं और उसका रुपया भी वह नहीं भेजते। पाकिस्तान सरकार का कानून इस प्रकार का है और वह उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है कि उसमें अगर बगर इम्पोर्ट लाइसेंस के कोई माल वहां पहुंच जाय तो वह उसको नीलाम कर देते हैं और उसकी रकम भी अपने पास रख लेते हैं और वह भी वापिस नहीं करते हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि इस प्रकार की चीज से पाकिस्तान को भारत से बहुत आय हो जाती है जबकि भारतीय निर्यातक को घाटा उठाना पड़ता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस प्रकार के मामले हुए हैं और इसीलिए यह कदम उठाया गया है और भारतीय पक्ष को यह देखना चाहिए कि उन्हें घाटा न हो और ऐसी आय पाकिस्तान सरकार को न प्राप्त हो।

†**श्री त्यागी** : पाकिस्तान के साथ व्यापार की नवीनतम स्थिति क्या है ? गत वर्ष हम ने पाकिस्तान को कितना निर्यात किया था और वहां से कितना आयात किया गया था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : १९६० में हम ने १०.१२ करोड़ रुपये का माल भेजा था और पाकिस्तान से १५.१८ करोड़ रुपये का माल मंगाया था।

†**श्री त्यागी** : घाटे की स्थिति !

तिब्बती शरणार्थी

+

†*२८७.
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती सीमा पर जांच और कड़ी कर दिये जाने के कारण भारत में आने वाले तिब्बती शरणार्थियों की संख्या कम हो गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मार्च से जलाई, १९६१ तक प्रत्येक महीने में प्रत्येक रास्ते से कितने तिब्बती शरणार्थी भारत आये और पिछले वर्ष इसी अवधि में भारत आये हुए तिब्बती शरणार्थियों की संख्या की तुलना में उनकी संख्या कम है या अधिक;

(ग) देश के विभिन्न भागों में उन्हें बसाने के लिए की गयी कार्यवाही का व्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे कोई मामले भारत सरकार को नजर में आये हैं जिनमें चीनी जासूसों ने शरणार्थियों के वेश में भारत में प्रवेश किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वैदेशिक कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]**

(घ) और (ङ). हमें कुछ तिब्बती ऐसे मिले हैं जिनका शरणार्थी होना सिद्ध नहीं हो सका। ऐसे मामलों का सामना करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं और उठाये जाते रहेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : भारत सरकार इनमें से कितने शरणार्थियों का पुनर्वास करेगी और उसमें कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सारी स्थिति विवरण में दी गई है कि कितने शरणार्थियों का पुनर्वास किया जा चुका है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं यह जानना चाहता था कि क्या भारत सरकार ने समस्त शरणार्थियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी ले ली है अथवा इस प्रयोजन के लिए दलाई लामा अथवा भारत सरकार द्वारा कोई अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त की जा रही है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है परन्तु वास्तव में कभी कभी दलाई लामा ने भी उसमें हाथ बटाया है । हमें इस प्रयोजन के लिए विदेशों से भी कुछ अंशदान प्राप्त हुए हैं । उनको निर्दिष्ट प्रयोजनों, जैसे स्कूल की स्थापना अथवा ऐसे अन्य कार्य के लिए काम में लाया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से मालूम होता है कि तिब्बती शरणार्थियों का अधिकांश संख्या में आना निरन्तर जारी है । इस वर्ष भी २,८८० व्यक्ति आए हैं । उनके लिए भारत के कुछ राज्यों में व्यवस्था की गई है । क्या इस बात का विचार रखा गया है कि जिन स्थानों में उनको बसाया जाने वाला है क्या वह उनकी निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को खपा सकेंगे क्योंकि उनके आने का अन्त होता नहीं मालूम देता ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम उनको विभिन्न राज्यों में बसाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्यों ने भूमि का आवंटन करके हमारी सहायता की है । चूंकि उनकी संख्या दिन प्रति दिन कम होती जा रही है हमारा विचार है कि हम उनके बसाने के मार्गोपाय निकाल सकेंगे ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि कुछ विदेशों से अंशदान प्राप्त हुए हैं । क्या उन देशों के नाम बताए जा सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आस्ट्रेलिया की सरकार और न्यूजीलैण्ड की सरकार । जहां तक मुझे याद है इन दोनों ने कुछ धनराशि दी है । स्विटजरलैण्ड ने कुछ लड़कों और लड़कियों को अपने यहां प्रशिक्षण देने के लिए बुला लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : विवरण से मालूम होता है कि जम्मू तथा काश्मीर में शरणार्थियों का आना बढ़ गया है। इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता कि वे इस संख्या में सम्मिलित हैं, परन्तु बहुत से लद्दाखी मुसलमान और अन्य लोग वहां रोक लिए गए थे। उनको आने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि उनकी भारत की नागरिकता विवाद-ग्रस्त है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं उनका निर्देश नहीं कर रहा हूं। वे तो लगभग १२० व्यक्ति ही हैं। विवरण में कहा गया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में १९६० में ४१२ शरणार्थी आए जब कि १९६१ में उनकी संख्या १५९० है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चीनिओं का पश्चिमी तिब्बत पर दबाव बढ़ गया है अथवा उनके आने का कोई अन्य कारण है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसका कोई निश्चित कारण नहीं बता सकता। हो सकता है कि उसका कारण स्थानीय दबाव हो।

श्री रघुनाथ सिंह : अभी तीन, चार रोज पहले अखबारों में यह खबर छपी थी कि लेह में तिब्बत के रेफ्यूजीज की बहुत बड़ी तादाद आई है, क्या यह बात ठीक है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे तो मालूम नहीं है वैसे तिब्बत से लेह आना आसान नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या इन शरणार्थियों से की गई पूछताछ से यह मालूम हुआ कि उनके घर छोड़ने का क्या कारण है ? क्या इसका कारण तिब्बत की अशान्ति अथवा दमन है अथवा कोई अन्य कारण है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जाहिर है कि वे तिब्बत से इसलिए आते हैं कि वे वहां सामान्य जीवन व्यतीत करना कठिन पाते हैं और व समझते हैं कि वे अन्यत्र अधिक अच्छी तरह रह सकते हैं। पूछताछ तो की जाती है परन्तु मुख्य तथ्य प्रायः सर्वविदित है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं वजीर आजम से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस किस्म की इत्तिलात मिली हैं कि इस मुल्क की कुछ सियासी जमातें इन रेफ्यूजीज में जाकर उनके हौसले पस्त करने की और हिन्दुस्तान और दूसरे हमसाया मुल्कों के दरमियान मुनाफरत बढ़ाने की कोशिश करती हैं, अगर यह दुरुस्त है तो इस किस्म की सियासी जमातों को इन रेफ्यूजीज में जाने से रोकने के लिए क्या तदबीर अख्तियार की गई हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई खास इत्तिला मेरे पास इस वक्त नहीं है कि किसी जमाअत ने बड़े पैमाने पर किया हो। हां, मुमकिन है कि शख्सी तौर पर लोगों ने किया हो। ऐसा करना नामुनासिब है और उनको रोकना चाहिए।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है और सरकार का इन शरणार्थियों के हमारे देश में भावी पुनर्वास का क्या कार्यक्रम है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मैं वित्तीय आंकड़े नहीं दे सकता। स्वभावतः वह काफ़ी बड़ी राशि होगी। वह निश्चित हो भी नहीं सकती क्योंकि जैसे जैसे लोग आते जाते हैं हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारा प्रथम उद्देश्य बच्चों की शिक्षा और उनके पोषण पर जोर देना है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस कार्य में—बच्चों की शिक्षा के कार्य में—कुछ विदेशी अभिकरण सहायता कर रहे हैं। ब्रिटेन की एक बाल-समिति द्वारा शिमला में एक स्कूल अथवा कोई संस्था चलाई जा रही है। कुछ अन्य सहायता 'केयर' संगठन द्वारा दी जाती है। इस प्रकार पहली चीज बच्चों के स्कूल आदि हैं। दूसरी बात है उन लोगों के लिए कार्य ढूंढना जो समर्थ हैं। इसमें एक कठिनाई है कि बहुत से लामा कोई सामान्य कार्य नहीं करते हैं। उनके लिए मठ आदि खोले गए हैं।

जब हम इन लोगों को राज्यों में भजते हैं तो हम यह चाहते हैं कि वे इतनी संख्या में भेजे जायें कि वे अपना एक समुदाय बना कर रह सकें, सामान्यतः कृषि प्रयोजनों के लिए। हमारे विचार से इन के लिए कम से कम ५०० अथवा ४०० परिवार होने चाहिए। मैसूर में हमने ३००० को भेजा है। संभव है वहां और भी भेजे जायें और उन्हें भूमि दी जायगी। उड़ीसा में भी ३००० ही भेजे जा रहे हैं .....

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : ३००० एकड़ ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं एकड़ों की नहीं वरन् आदमियों की बात कर रहा हूं। हम मध्य प्रदेश में भी उन्हें भजने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उन्हें थोड़ी संख्या में नहीं भेजना चाहते क्योंकि अन्यथा उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह पाता है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि पश्चिमी तिब्बत से जो शरणार्थी एक साल पहले भारत में, खास कर गढ़वाल और अल्मोड़ा ज़िले में, आ गये थे, अभी तक उनकी किस्मत का फ़ैसला नहीं किया गया है और व इस तरह से ट्रांज़िट कैम्प में लटके पड़े हुए हैं ? उनकी हालत अच्छी नहीं है और वहां का इन्तजाम ठीक नहीं है। क्या उनके बारे में जल्दी निर्णय किया जायगा कि वे बस सकें और उन के लिय रोज़गार की व्यवस्था की जा सके ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किसी खास कैम्प की निस्वत मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह ठीक है कि अभी अक्सर ऐसे लोग हैं, जिनका कोई ख़ास इन्तजाम नहीं हुआ है। उनके खाने-पीने का इन्तजाम तो किया गया है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर उनको बसाने का इन्तज़ाम नहीं हुआ है। कोशिश की जा रही है।

राजा महेन्द्र प्रताप : मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे भाई इस बात से क्यों नाराज़ हैं कि हमारे यहां बाहर से लोग आते हैं। तिब्बत या पाकिस्तान या लंका से जो लोग आते हैं, व आयें। हम उनका खैर-मकदम करेंगे। लेकिन मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या कोई इन्तजाम हो रहा है कि उनके दिमागों को धो दिया जाये और अच्छे विचार उनके मस्तिष्क में भर दिये जायें, ताकि वे हमारे साथ मिल कर काम करें। क्या कोई इस प्रकार का प्रबन्ध है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह सवाल ज़रा पेचीदा है। अभी इतने रोज़ से माननीय सदस्य कोशिश कर रहे हैं हमारे दिमाग़ को धोने की, लेकिन असर तो कभी हुआ नहीं।

श्री विभूति मिश्र : क्या प्रधान मंत्री जी ने दुनिया के और देशों से इस बारे में बात-चीत की है कि तिब्बत के रेफयूजीज उन देशों में बसाये जा सकें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं। जैसा कि मैंने कहा है, कुछ लोग स्विटज़रलैंड गये हैं। वे बहुत कम हैं मुझे याद नहीं है—शायद दस, बीस, तीस, चालीस, पचास नौजवान गये हैं। उनके मां-बाप भी गये हैं। असल में उनके बच्चों को स्विटज़रलैंड वाले ले गये हैं वह समझ

†मूल अंग्रेजी में

कर कि करीब करीब पहाड़ों की आबो-हवा उनको वहां दी जा सकती है । उनके सिवाय और मुल्कों में हमने न कोशिश की और न मैं बहुत मुनासिब समझता हूं । इक्के-दुक्के जाते हैं । शायद दो चार लड़के अमरीका पढ़ने के लिये गये हैं । उन का इन्तज़ाम हो गया । ज्यादा तादाद में हम भेज नहीं सकते, क्योंकि अलावा बोली के हालात में इतना फ़र्क है कि वे खप नहीं सकते ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या ब्रिटेन तथा कुछ अन्य पश्चिमी देशों द्वारा कोई विश्व शरणार्थी कोष निर्मित किया गया है और उसमें से पर्याप्त राशि इन तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए प्राप्त हुई है और यही निर्धन तिब्बती परिवारों की संख्या में वृद्धि का कारण है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं श्रीमान् । हमने यह मामला विश्व शरणार्थी संगठन के समक्ष नहीं रखा है ।

†**श्री तंगामणि** उठे——

†**अध्यक्ष महोदय** : मद्रास कोई नहीं भेजा गया है फिर श्री तंगामणि को प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री तंगामणि** : वैसा एक प्रस्ताव है , श्रीमान् ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या दलाई लामा अपने साथ जो कोष लाए थे उसमें से भी कोई राशि व्यय की गई है और यदि हां, तो कितनी ? क्या उन्होंने स्थायी रूप से भारत में बसने की इच्छा व्यक्त की है और यदि हां, तो क्या उन्हें भूमि आवण्टित की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि उन्होंने कितना व्यय किया है परन्तु उन्होंने भिक्षुओं तथा अन्य लोगों के लिए शिक्षा सम्बन्धी व्यय दिया है । यह मुझे इस समय याद नहीं है कि वह जो धन लाए थे उसमें से कितना व्यय किया गया है ?

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या विदेशों से प्राप्त अथवा आन्तरिक संसाधनों से दी गई सहायता का उचित उपयोग एवं वितरण किया जा रहा है ? मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि शरणार्थियों में असंतोष है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य की सूचना सर्वथा गलत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री हेम बरुआ** : आपने कहा कि मद्रास किसी को नहीं भेजा गया है इसलिए श्री तंगामणि को अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए । परन्तु आसाम तो बहुत से लोग भेजे गए हैं और बहुत से लोग आते भी आसाम होकर हैं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मद्रास भेजे या न भेजे जाने का कोई प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्यों की रुचि सभा में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक प्रश्न में हो सकती है परन्तु हमारे पास समय सीमित होता है इसलिए मुझे माननीय सदस्यों को समय समय पर किसी न किसी बहाने प्रश्न पूछने से मना करना पड़ता है । जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े होते हैं उनको मैं हमेशा याद रखता हूं और उन्हें प्रश्नों के घण्टे में एक या दो अवसर देने का प्रयत्न करता हूं । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा आत्म हत्या

+

†*२८८. { **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री खुशवक्त राय : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के एक सहायक ने पदोन्नति के मामले में तथा कथित भेदभाव पूर्ण व्यवहार के कारण मई, १९६१ में आत्म हत्या की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). यह सही है कि १६ मई, १९६१ को इन्द्र देव प्रसाद नाम का एक असिस्टेंट उद्योग भवन की तीसरी मंजिल से कूदा था और दुर्भाग्यवश मर गया। परन्तु केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उसकी पदोन्नति के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव-पूर्ण व्यवहार नहीं किया गया था ।

†**महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या उसकी विधवा को कोई प्रतिकर दिया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : हां, श्रीमान्, उस का परिवार ३० रुपए महीने की पेन्शन और ३४८० रुपए के उपदान का हकदार है । इससे कुछ राशि प्रधान मंत्री सहायता कोष से दी गई है । मंत्रालय में उसके सहयोगियों ने भी लगभग २५०० रुपए दिए हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि पदोन्नति के मामले में इस कर्मचारी के कनिष्ठों को अवसर दिया गया था ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार ने यह निश्चित करने का प्रयत्न किया है कि उसने आत्म हत्या क्यों की ?

†**श्री कानूनगो** : पुलिस जांच से ज्ञात हुआ है कि वह सज्जन कुछ समय से मानसिक रोग से पीड़ित थे और उनकी मृत्यु के पूर्व डाक्टरों द्वारा इलाज भी किया गया था ।

†**श्री नाथपाई** : क्या यह सच नहीं है कि इस प्रकार की आत्म हत्यायें प्रायः कर्मचारियों में व्याप्त निराशा भावना और शिकायतों की सुनवाई के लिए रास्ता न होने के कारण की जाती हैं ? यह पहला मौका नहीं है । यदि ऐसा है तो कर्मचारियों की उचित शिकायतों की सुनवाई और उनके निराकरण के लिए व्यवस्था करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : इन सज्जन ने अथवा किसी अन्य कर्मचारी ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी । वास्तव में यह सज्जन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे थे और सफल हुए थे । उनका २०वां स्थान था और उन्हें रिक्तता होने पर मौका मिल सकता था ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या यह सच है कि जब एक छुट्टी की रिक्तता (लीव वैकेंसी) हुई थी तो उनके कनिष्ठ को पदोन्नति दे दी गई थी और उनको नहीं नियुक्त किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : नहीं श्रीमान्, यह सही नहीं है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : कुछ महीने पहले जब भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के एक कर्मचारी डा० जोसेफ ने आत्म हत्या की थी तो माननीय मंत्री श्री स० का० पाटिल ने कुछ चन्दा एकत्रित करके उसके आश्रितों को सहायता दी थी । यह बात खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की है । क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय भी ऐसी कोई कार्यवाही करने जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं बता चुका हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कर्मचारियों ने विधवा की सहायता के लिए लगभग २००० रुपए दिए थे ।

नागालैण्ड

+

*२८९. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड की कौंसिल ने विधिवत् अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) नागा कौंसिल में कुल कितने सदस्य हैं और वे किस-किस वर्ग के प्रतिनिधि हैं ;

(ग) नागा कौंसिल की स्थापना के बाद क्या वहां नागाओं के उपद्रवों में कुछ कमी हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थिति को काबू में करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जायेंगे ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) नागालैंड की अंतरिम सभा (इंटरिम बाडी) और कार्यकारिणी परिषद् (एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिल) ने कार्य प्रारंभ कर दिया है । अंतरिम सभा का उद्घाटन १८ फरवरी १९६१ को हुआ था और कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों ने १६ मार्च १९६१ को शपथ ग्रहण की ।

(ख) अंतरिम सभा में ४५ सदस्य हैं, जो नागालैंड के सभी क़बीलों का प्रतिनिधित्व करते हैं । कार्यकारिणी परिषद् में, अंतरिम सभा में से नियुक्त ५ पार्षद (काउंसिलर) हैं ।

(ग) घटनाओं की वास्तविक संख्या घटी है और अगस्त १९६० से फरवरी १९६१ तक की अवधि में हुई घटनाओं की तुलना में अब ३३ प्रतिशत घटनाएं कम हो गई हैं । लेकिन उपद्रवियों के मूल तत्व अभी भी वैसे ही हैं । उन्होंने दूर-दराज़ के गांवों से ज़बर्दस्ती पैसा वसूल करने और रंगरूट भर्ती करने का अपना आंदोलन बढ़ाया है ।

(घ) सुरक्षा-संबंधी प्रबंध सुदृढ़ कर दिए गए हैं । दूर-दूर तक गश्त होती रहती है ताकि उपद्रवी टिकन न पाएं । कार्यकारिणी के पार्षद और अंतरिम सभा के सदस्य दूर-दूर तक दौरे भी करते हैं, जिससे कि गांव वालों में विश्वास की भावना बनी रही ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या यह सही है कि नागा काउंसिल की स्थापना और नागालैंड के निर्माण के पश्चात् भी अभी तक नागालैंड में इस प्रकार के बहुत से उपद्रवी तत्व हैं कि जिन की

प्रेरणा का केन्द्र फिजो जैसा व्यक्ति बना हुआ है ? मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह सही है तो इस प्रकार के तत्वों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सरकार की ओर से क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह उत्तर में दिया हुआ है कि क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि इस मामले में कुछ व्यक्तियों का हाथ है ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नागालैंड के निर्माण के पश्चात् भी अभी तक समाचारपत्रों से प्रकट होता है कि नागालैंड में इस प्रकार के उपद्रवी तत्वों की संख्या बहुत है जो फिजो जैसे व्यक्ति से अपना पथप्रदर्शन प्राप्त करते हैं, क्या यह सही है ? यदि यह सही है तो इस प्रकार के उपद्रवी तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए क्या विशेष उपाय सरकार की ओर से किए जा रहे हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इसका कुछ तो इशारा इस जवाब में है जो अभी पढ़ा गया है। अब इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो प्रचार से, समझाने बुझाने से और एक ज़रा ताकत से और इन दोनों को ही इस्तेमाल में लाया जा रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि नागा काउंसिल की स्थापना के पश्चात् भी क्या उन उपद्रवी तत्वों द्वारा कुछ ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं जिन में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तर किया गया, कुछ की हत्या की गई और यदि हां तो इस प्रकार की घटनाओं की संख्या कितनी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : संख्या तो मैं यकायक नहीं बता सकता। लेकिन इसमें शक नहीं है कि अक्सर लोग पकड़े गए हैं और कुछ लड़ाई झगड़े में मारे भी गए हैं। इस तरह की चीज़ें आप अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं। मसलन अभी एक वाका हुआ था। नागा काउंसिल के लोग गए थे किसी खास मौके पर। हज़ारों आदमी वहां जमा हुए थे। वहां गाने हो रहे थे, बच्चे गा रहे थे। तीन सौ गज़ के फासले पर शायद दो आदमी आए और उन्होंने गोली चलाई और बेचारे दो बच्चे मारे गए। उन्होंने शायद बच्चों पर गोली नहीं चलाई, किसी और पर चलाई। लेकिन इक्के-दुक्के इस तरह की घटनायें हो जाती हैं और इनको आसान नहीं है रोकना ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि तथाकथित नागा संघ सरकार द्वारा कुछ परिपत्र जारी किए गए हैं जिनमें यह कहा गया है कि चीनी उनके अत्यन्त निकट हैं और उनको स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता देंगे और यदि हां, तो विद्रोहियों की कार्यवाहियां बढ़ने का यह भी एक कारण था जैसा कि माननीया उपमंत्री ने कहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जिन पोस्टरों का निर्देश कर रहे हैं वे पुराने हैं। मैं नहीं समझता कि वे नए वाले हैं। उनमें अनेक प्रकार की बातों का उल्लेख था। उनमें एक खास चीज यह कही कई थी कि राष्ट्रसंघ उनकी सहायता करने आ रहा है। जाहिर है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसी कोई बात होने की कोई संभावना नहीं है। वे जनता की भावनाओं को उभाड़ने का प्रयत्न किया करते हैं।

†**श्री बसुमतारी** : क्या यह सच है कि बहुत से नागा विद्रोहियों ने बर्मा की सीमा में प्रवेश किया था और यदि ऐसा है तो बर्मी सरकार का इसके प्रति क्या रवैया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उनके बर्मा की सीमा के उस पार जाने से हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा। बर्मी सरकार को सूचित कर दिया गया है और उसने हमें बताया है कि उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : हमारे जो विमान सेना के चालक नागा विद्रोहियों की गिरफ्तारी में हैं और जो श्री गेविन यंग के कथनानुसार अब बर्मी राज्य क्षेत्र में हैं उनको मुक्त कराने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है? यह प्रश्न नागालैंड नागा परिषद् आदि के संबंध में है। माननीय सदस्य अन्य बातों पर जा रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह महत्वपूर्ण भले ही हो परन्तु इस प्रश्न के सम्वन्ध में कैसे उत्पन्न होता है? (**अन्तर्बाधायें**) शांति, शांति।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हमें ज्ञात हुआ है कि श्री फ़िज़ो ने वहां अपनी सरकार बना ली है और उनकी कार्यवाहियों को रोका नहीं जाता है। 'आबज़र्वर' के संवाददाता श्री गेविन यंग उनकी सहायता कर रहे हैं। मैंने श्री फिज़ो और श्री गेविन यंग का मूल पत्र प्रधान मंत्री के पास भेज दिया है। वास्तव में श्री फिज़ो कुछ गारण्टियां चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि ये सब बातें इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होती हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वास्तव में इस मामले के सम्बन्ध में एक अन्य प्रश्न है। पता नहीं वह आज के प्रश्नों में ही है या बाद के किसी दिन के प्रश्नों में?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : आज ही के प्रश्नों में है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि आप चाहें तो मैं उसका निदश भी कर सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। उसकी संख्या क्या है?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : ३३१।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। उसका उत्तर भी दे दिया जाये।

नागा

†*३३१. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि 'दि आबज़र्वर' के प्रतिनिधि श्री गेविन यंग ने, जिन्होंने कुछ समय पूर्व नागा पहाड़ियां का दौरा किया था, लन्दन के समाचार पत्रों के लिए एक लेखमाला लिखी है जिनमें विद्रोही नागाओं और उनकी स्वतंत्रता की मांग के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति की आलोचना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने नागा पहाड़ियों की स्थिति और स्वतंत्रता की मांग के सम्बन्ध में सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं क्योंकि ब्रिटेन के लोग नागा पहाड़ियों के आन्दोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हमारे उप उच्चायुक्त का एक लेख 'दि आबज़र्वर' में प्रकाशित हुआ है जिसमें श्री गेविन यंग द्वारा दिये गये कुछ गलत वक्तव्यों का प्रतिवाद किया गया है। डा० वेरियर एल्विन द्वारा लिखित "नागालैण्ड" पुस्तक, जिसमें नागालैण्ड की स्थिति का संतुलित चित्रण किया गया है, हमारे विदेशी दूतावासों में वितरित की गई है।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इसके अलावा एक प्रश्न और भी था। मैं यह निवेदन करूंगा कि पत्रकार श्री गेविन यंग और इन लोगों में कुछ सम्पर्क स्पष्टतः मालूम होता है क्योंकि जैसाकि माननीय सदस्य ने संकेत किया था गेविन यंग ने वहां के एक विमान चालक से उस विमान चालक के पिता को, जो कानपुर में है, एक पत्र भेजा था। परन्तु वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। कुछ लोगों ने---मैं समझता हूं कि श्री गेविन यंग के माध्यम से ही---अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास से यह पूछा था कि क्या इन बन्दी विमान चालकों के स्थानान्तरण के समय किसी प्रतिनिधि की उपस्थित रहने के लिए भजा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास ने वह पत्र भारतीय रेड क्रास को भेजा। भारतीय रेड क्रास ने हम से पूछा। हम ने कहा कि "हमें कोई आपत्ति नहीं है; यदि आपके आदमी वहां हैं तो वे स्थानान्तरण के समय अवश्य उपस्थित हो सकते हैं।" वर्तमान स्थिति यह है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री के दिमाग में प्रश्न संख्या ३४३ था।

†**डा० राम सुभग सिंह** : प्रश्न संख्या २९५ भी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि आप अनुमति दें तो प्रश्न संख्या ३४३ का भी उत्तर दे दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

नागा विद्रोहियों द्वारा बन्दी किये गये विमान चालक

+

†*३४३. {
श्री हेम बरुआ :
श्री अमजद अली :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोही नेता ए० जैड० फिज़ो ने सरकार को यह संदेश भेजा है कि नागालैंड उनके अनुयायिओं द्वारा बन्दी किये गये भारतीय विमान चालकों को शीघ्र ही मुक्त कर दिया जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या मुक्ति की संभावित तारीख के सम्बन्ध में कोई उल्लेख किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). भारत सरकार को श्री फिज़ो से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। परन्तु ९ अप्रैल के "लण्डन आबज़र्वर" में श्री गेविन यंग ने ऐक लेख में यह कहा गया था कि संभवतः नागा विद्रोही भारतीय विमान बल के चालकों को शीघ्र ही मुक्त कर देंगे ।

श्री गेविन यंग ने ब्रिटिश रेड क्रास सोसाइटी को भी विमानचालकों की रिहाई की व्यवस्था कराने में सहायता करने के लिए लिखा था । ब्रिटिश रेड क्रास द्वारा यह प्रार्थना अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास को भेज दी गई जिसने उसे भारतीय रेड क्रास के पास भेज दिया। भारतीय रेड क्रास ने हमें सूचित किया और हम से पूछा कि क्या किया जाना चाहिये । वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा उन्हें यह सूचित किया गया कि भारतीय रेड क्रास के प्रतिनिधि स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ विमान चालकों के वास्तविक हस्तान्तरण के समय उपस्थित रह सकते हैं । इस मामले के सम्बन्ध में और कुछ सुनने में नहीं आया है।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय सभा-सचिव ने हमारे उपउच्चायुक्त द्वारा लिखे गये लेख, जो आबज़र्वर में प्रकाशित हुआ था, और डा० वेरियर एल्विन की पुस्तक "नागालैण्ड" का निर्देश किया था। उस लेख के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उसमें एक भी ठोस तर्क नहीं है सिवाय इसके कि यदि विद्रोहियों को अपनी स्थिति का इतना विश्वास है तो वे निर्वाचन में भाग क्यों नहीं लेते हैं ? जहां तक डा० वेरियर एल्विन की पुस्तक "नागालैण्ड" का सम्बन्ध है, उसमें भी कोई विशेष जानकारी नहीं है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने श्री गेविन यंग के आबज़र्वर में प्रकाशित लेख में लगाये गये गंभीर आरोपों के उत्तर में ब्रिटेन में अपनी वास्तविक स्थिति पेश करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं किसी लेख के सम्बन्ध में तक नहीं करूंगा । मेरे विचार से हमारे उपउच्चायुक्त का पत्र अच्छा था । संभवतः विरोधी पक्ष के सदस्यों को वह अच्छा नहीं लगा है । वह श्री गेविन यंग के लेख का उत्तर था और अच्छा लिखा गया था । जहां तक डा० वेरियर एल्विन की पुस्तक का सम्बन्ध है, निस्संदेह वह वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में नहीं है; उसमें समस्त नागालैण्ड का विवेचन किया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मुझे वह तनिक भी उपयोगी नहीं मालूम पड़ी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मतभेद हो सकता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या हमारे उच्चायोग का कोई आदमी श्री गेविन यंग से इन विमान चालकों की रिहाई के सम्बन्ध में मिला था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता इस विषय के सम्बन्ध में श्री गेविन यंग से क्यों मिला जाये ? हां, उन्होंने हमें जो पत्र भेजा था उसका उत्तर हमने दे दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगड़ा जिले में कागज का कारखाना

†*२६०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह:
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित **प्रश्न संख्या ३३३९ के** उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले में कागज के प्रस्तावित कारखाने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा और सहयोग के बारे में इस बीच बातचीत और फैसला हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). अभी तक नहीं श्रीमान् । पंजाब में वास्तविक स्थिति का निर्णय भी उस पक्ष द्वारा अपने सहयोगियों के साथ परामर्श करके किया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित क्षमता कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह:** अभी ६०,००० टन अखबारी कागज प्रति वर्ष बनाने का विचार है जो नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार शीघ्र ही १,१५,००० टन प्रति वर्ष हो जायेगी ।

†**श्री च० द० पाण्डे :** कुछ वर्ष पूर्व आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में गन्ने की सीठी से अखबारी कागज़ बनाने के प्रयोग किये गये थे और वे सफल नहीं हुए । अब ज्ञात हुआ है कि यह प्रक्रिया सफल हो गई है । क्या सरकार गन्ने की सीठी के कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग को प्रोत्साहन देगी क्योंकि यह सबसे सस्ती कच्ची सामग्री है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सही है कि अब यह प्रक्रिया सफल हो गई है । हमने अखबारी कागज के निर्माण के लिए दो परियोजनाओं के लिए लाइसेंस दिये हैं, एक महाराष्ट्र में कनराड में ६०,००० टन के लए और दूसरी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में ६०,००० टन के लिए । सरकार का यह कार्य प्रारम्भ करने का कोई इरादा नहीं है ।

†**श्री दामानी** : अभी तक कुल कितनी क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये हैं और नई क्षमता के लिए कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई भी लाइसेंस विचारारधीन नहीं है । तीन का अनुमोदन किया गया है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता ६०,००० टन है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक जितनी फैक्ट्रियों के लिय सरकार ने लाइसेंस दे दिये हैं, क्या उन से हमारे देश की न्यूजप्रिंट की कमी पूरी हो जायेगी यदि नहीं, तो कितनी कमी बाकी रह जायेगी और वह कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

श्री मनुभाई शाह : फिलहाल जो हमारा अन्दाजा है उस मे तो कमी पूरी हो जायेगी, और हम स्वावलम्बन की तरफ पहुंच जायेंगे । लेकिन चूंकि न्यूजप्रिंट की डिमान्ड बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है इसलिये शायद इसे और एक्स्पैन्ड करना हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या कोई प्रतिबन्ध है अथवा संबंधित पक्ष से इस कारखाने की स्थापना के संबंध मे शीघ्रता करने के लिए कहा गया है ताकि उसकी स्थापना यथाशीघ्र हो सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम इसके संबंध मे बहुत शीघ्रता कर रहे हैं । हाल मे पंजाब सरकार के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी और उनके समस्त वनों का ठेका कर लिया गया है । अब हम हिमाचल प्रदेश प्रशासन से बातचीत करेंगे ताकि उस क्षेत्र की समस्त नर्म लकड़ी पाण्डु परियोजना के लिए मिल सके ।

†**श्री डी० चं० शर्मा** : इस कारखाने की स्थापना के लिए किन किन स्थानों का विचार किया जा रहा है और क्या गुरुदासपुर जिला भी उनमें से एक है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : किसी समय वह था परन्तु अब पाण्डु नदी है । यह दो नदियों का संगम है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मूल प्रस्ताव यह था कि महाराष्ट्र का यह कारखाना एक या दो वर्ष तक कुछ लुग्दी का आयात करेगा और फिर गन्ने की सीठी का प्रयोग प्रारंभ कर देगा । परन्तु अब यह कारखाना अखबारी कागज के निर्माण के लिए प्रारंभ से ही गन्ने की सीठी का कच्ची सामग्री के रूप मे प्रयोग करने जा रहा है । यदि ऐसा है तो वह सरकारी क्षेत्र की परियोजना क्यों छोड़ दी गई जो मूलतः आन्ध प्रदेश मे स्थापित की जानी थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसकी चर्चा सभा में ६ वर्ष पूर्व की गई थी गौर और यह नई खोज गत वर्ष ही मालूम पड़ी है । यह ठीक है कि प्रथम दो वर्षों में आंशिक रूप में रासायनिक लुग्दी का प्रयोग किया जायेगा । प्रारंभ में ४० प्रतिशत आयात की गई लुग्दी और ६० प्रतिशत सीठी का प्रयोग किया जाएगा । परन्तु क्यूबा और स्वाना में ३६ मिलों द्वारा की गई नई गवेषणा से मालूम हुआ है कि संभवतः शत प्रतिशत प्रतिस्थापन संभव है । चूंकि हम तीन परियोजनाओं के लिए लाइसेंस दे चुके है इसलिए अब किसी सरकारी क्षेत्र की परियोजना का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री स० र० अरुमुगम्** : मद्रास राज्य में नीलगिरी मे एक कागज के कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

†**श्री मनुभाई शाह** : नीलगिरी में कागज की लुग्दी की परियोजना है । उसमे १०० टन उत्पादन हो रहा है ।

भूमिहीन मजदूरों के लिये जमीन

+

†*२९१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री कोडियान :
श्री कुन्हन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दामानी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन मजदूरों के लिए जमीन के बारे मे योजना ऋण आयोग की खेतिहर मजदूरों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति ने क्या क्या सिफारिशें की हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कृषि श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि तीसरी योजना अवधि में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के ७ लाख परिवारों को ५० लाख एकड़ से अधिक भूमि पर बसाने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहियें ।

तीसरी योजना के प्रतिवेदन मे कहा गया है कि समिति ने जिन लक्ष्यों का सुझाव दिया है उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिये और कृषि श्रमिकों को बसाने के लिये उपयुक्त भूमि चुनी जायें ताकि प्रस्तावित कार्यक्रम संभव बनाया जा सके ।

योजना आयोग एवं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय जो कि केन्द्रीय स्तर पर बन्दोबस्त योजना का प्रशासनिक मंत्रालय है, दोनों के द्वारा राज्य सरकारों को हिदायतें दी जा रही हैं कि कृषि श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से कृषि श्रमिकों को बसाने के कार्यक्रमों को मजबूत किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त केन्द्र मे ८ करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जिसमें से राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान दिये जायेंगे ताकि वे राज्यों की योजनाओं में पहले से शामिल की गई योजनाओं के अतिरिक्त योजनाओं को आरंभ कर सकें ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण से पता चलता है कि ७ लाख परिवारो को बसाया जाएगा । राज्यवार आंकड़े क्या होंगे ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र**: लगभग दो महीने पहले या कुछ और पहिले यह सिफारिश की गई थी । ये सब ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं ।

†**श्री कोडियान** : विवरण में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिदायतें दी जा रही हैं कि कृषि श्रमिकों को बसाने के कार्यक्रम को मजबूत करें । मोटी-मोटी हिदायतें क्या हैं और क्या राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये विशेष व्यवस्था स्थापित करे ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र**: विशेष एकक की स्थापना एक कदम हो सकता है । हम उन से यह कह रहे है कि वे कृषि श्रमिकों के कार्यक्रमों को मजबूत करें । हम उनको सब से अधिक महत्व देते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि एक भूमिहीन परिवार को बसाने के लिये सरकार कितनी जमीन देगी और उसके रिहैबिलिटेशन के लिये सरकार कितना पैसा खर्च करेगी ।

श्री श्या० नं० मिश्र : यह तो मुख्तलिफ हालात पर निर्भर है यानि किस एरिया में किस तरह की हालत है जमीन वगैरह की । यह अभी सम्भव नहीं है कि हम कोई यूनिफार्म रेट बता दें, लेकिन कार्यक्रम बनाया गया है अर्थात् जिस की सिफारिश इस कमेटी के द्वारा की गई है उससे मालूम होता

†मूल अंग्रेजी में

है कि औसत सिर्फ ७ एकड़ के करीब प्रत्येक परिवार को मिलेगी । जहां तक उद्योग धन्धों और शिक्षा वगैरह की बातें हैं वे बड़ी बातें हैं और उनके बारे में तफसील से अभी कुछ कहना मुश्किल है ।

†**श्री वासानी** : क्या भूदान के द्वारा बांटी गई भूमि बहुत घटिया किस्म की है और क्या सरकार उस भूमि को सुधारने के लिये कुछ सहायता देने का विचार कर रही है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जहां तक प्रश्न के पिछले भाग का संबंध है, हम निश्चय ही सहायता देने का विचार कर रहे हैं । उसके लिये हमने राज्यों और केन्द्र दोनों के बजटों में उपबन्ध किया है । राज्य में ३.६ करोड़ रुपये और केन्द्र में ८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । हो सकता है कि उस भूमि की किस्म को, चाहे वह भूदान भूमि है या गैर काश्त फालतू भूमि है, अनेक तरीकों से सुधारा जाए । उसके लिये सहायता दी जाएगी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : भूमिहीन लोगों को बांटने के लिये सरकार के पास कितनी भूमि है और उपरिसीमा के कारण कितनी भूमि उपलब्ध हो जाएगी? क्या यह सच है कि बांटते समय ये भूमियां अच्छे खाते पोते लोगों को दी जाती हैं, भूमिहीन लोगो को नहीं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : पिछला सुझाव बेकार है क्योंकि सरकार की यह निश्चित नीति है कि फालतू उपलब्ध भूमि या कृषि योग्य की गई भूमि अधिकांशतः भूमिहीन मजदूरों को दी जाएगी । जहां तक उपरिसीमा लागू किये जाने के पश्चात् उपलब्ध होने वाली कुल भूमि का संबंध है, समिति ने सुझाव दिया है कि संभवतः १० लाख एकड़ उपलब्ध की जाएगी । इसके अतिरिक्त, खेती-योग्य फालतू भूमि में से काफी अधिक भूमि उपलब्ध की जाएगी और फिर भूदान की न बांटी गई भूमि भी उपलब्ध होगी ।

†**श्री रंगा** : सब भूमियों को पक्षपात रहित तरीके से और गैर राजनीतिक आधारों के अनुसार बांटा जाए इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार क्या कार्रवाइयां कर रही हैं ताकि आरोप लगाने का अवसर न हो कि वितरण राजनीतिक दलबंदी के आधार पर राजनीतिक लोगों से संबध कुछ वर्ग के लोगों या कुछ वर्गों के लाभ के लिये राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : एक खास सुझाव पर विचार किया गया है कि राज्य स्तर पर सलाहकार समिति हो । वितरण अधिकतर कलक्टरों और मैजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जाए जिनका राजनीतिक से कोई सबंध नहीं होता ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में भूमि सीमा के सम्बन्ध मे कानून बनने के फलस्वरूप ऐसी कितनी भूमि है जो सरप्लस हो गयी है और जो लैंड लैस लेबरर्स को दे दी गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने १० लाख एकड़ भूमि बताई है ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : समिति ने १० लाख एकड़ फालतू भूमि की आशा की है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या भूमि सीमा संबंधी विधि के परिणामस्वरूप ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह सीमा लागू किये जाने के परिणामस्वरूप होगी, परन्तु माननीय सदस्य का प्रश्न है कि फालतू होने के नाते कितनी भूमि उपलब्ध होगी । अभी तक हमारे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि अब तक कृषि श्रमिकों तथा भूमि हीन श्रमिकों को भूमि वितरण संबंधी सलाहकार समिति मे प्रायः सभी सदस्य कांग्रेस दल के रहे हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस समिति मे सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिकतर इस आधार पर है कि उनको इस प्रकार के काम में कितनी दिलचस्पी है और उनका कितना संबंध होता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या केवल कांग्रेस दल के लोगों का ही भूमिहीन लोगों को भूमि बांटने से संबंध होता है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : समिति के सदस्यों की संख्या भी तो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिये ताकि काम की चर्चा और विचार ठीक ढंग से हो सके ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : विवरण से पता चलता है कि केन्द्र ने ८ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है जिसमें से सम्बद्ध राज्यों को अनुदान और ऋण दिये जाएं । क्या प्रत्येक राज्य में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाया गया है और किस आधार पर ऋण तथा अनुदान दिये जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ८ करोड़ रुपये के ये आंकड़े किस आधार पर हैं ? क्या भूमिहीन श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अच्छी तरह मालूम है, परन्तु जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि उनको किस रूप में सहायता दी जाएगी, हमने फैसला किया है कि अनुदान और ऋण दोनों दिये जाएं । वस्तविक व्यौरे स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर होंगे ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार यह पता लगाएगी कि क्या किसी राज्य में–मेरी सूचना है कि उन्होंने ऐसा किया है—मुख्य मंत्री या राजस्व मंत्री या दोनों दौरों पर गये हैं यह बता कर कि उनका ऐसा उद्देश्य है कि सरकार की भूमि को तथा भूमि सीमा के फलस्वरूप सरकार को मिलने वाली भूमि को बांटने के लिये वे दौरा कर रहे हैं । मा० उपमंत्री ने अभी बताया है कि भूमि वितरण का काम केवल कलक्टरों और जिला मैजिस्ट्रेटों को सौंपा जाएगा क्योंकि उनसे आशा की जाती है कि वे गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करेंगे । परन्तु मैं चाहता हूं कि यह जांच की जाए मैं कोई आरोप लगाना नहीं चाहता कि क्या किसी मुख्य मंत्री या राजस्व मंत्री ने इस काम के लिये दौरा किया है, जैसा कि उन्होंने घोषणा की है कि इन भूमियों को बांटना है ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : हमारे पास मुख्य मंत्रियों का दौरा टिप्पिणियां नहीं होतीं और विशेषकर इस बात की कि उनके दौरों का क्या उद्देश्य था ।

†**श्री रंगा** : मैंने केवल इतना कहा है कि इस बात की जांच की जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं । कलक्टर भी मुख्य मंत्री के अधीन होते हैं ।

†**श्री रंगा** : इसका यह अर्थ नहीं है कि मुख्य मंत्री राजनीति से परे होता है, जबकि कलक्टर से अपेक्षित होता है कि वह राजनीति से परे हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तर्कों की अनुमति नहीं देता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कोडियान : राज्यों की योजनाओं में शामिल योजनाओं के अनुसार कितने व्यक्तियों को बसाया जाएगा ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : इन सब बातों का फैसला भविष्य में करना होगा । हमने यह काम अभी आरम्भ किया है ।

आण्विक संयंत्र

†*२९२. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री चुनी लाल :
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब दिल्ली-राजस्थान क्षेत्र में एक दूसरा आण्विक संयंत्र स्थापित करने की योजना अन्तिम रूप से तय हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) उसका काम कब शुरू होगा ?

†वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सरकार के पास पंजाब सरकार से कोई ऐसा सुझाव आया है कि यह संयंत्र पंजाब में स्थापित किया जाए ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस स्थान का नाम बताया है ?

†प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार के पास पंजाब तथा अन्य कुछ राज्य सरकारों से सुझाव आये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् इस प्रश्न में प्रश्नकर्ता महोदय ने पंजाब, दिल्ली और राजस्थान का जिक्र किया है । पिछली बार प्रधान मन्त्री जी ने बतलाया था कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में भी इस तरह के संयंत्र की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जाएगा क्योंकि वहां बिजली की कमी है और बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण करना है । क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के क्लेम पर भी विचार किया जाएगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तरीका बिजली पैदा करने का अभी किसी कदर जरा गैर मामूली है, मामूली नहीं है कि जहां कमी हो वहां रख दें । जहां यह आसानी से और कामयाबी से हो सकता है वहां रखा जाएगा । काफी पेचीदा सवाल है । स्टेट गवर्नमेंट का यह लिखना कि हमें बिजली की जरूरत है इस मामले को हल नहीं करता ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या आण्विक संयंत्र के स्थान एवं अन्य बातों का फैसला करने के लिये कोई प्रविधिक या और किसी प्रकार की समिति बनाई गई है, यदि हां, तो उसके सदस्य कौन हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे मालूम नहीं है । समूचा आण्विक शक्ति आयोग प्रविधिक समिति है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् इस प्रश्न पर काफी दिनों से विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अन्तिम निर्णय होने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा।

यूरोपीय साझा बाजार

+

†*२९३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्रीमती रेणुका राय :
श्री चुनी लाल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र चं० बरुआ :
श्री कालिका सिंह :
श्री पं० द्वा० ना० तिवारी :
श्री खीमजी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० गं० देब :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री आसर :
श्री विभूति मिश्र
श्री प्रकाश वीरशास्त्री :
श्री डामर :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री क० भे० मालवीय :
श्री साधन गुप्त :
श्री प्रभात कार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार से सम्बन्ध रखने के विषय में कोई निर्णय किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन और अन्य देशों को भारतीय निर्यात पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के शामिल होने के प्रश्न पर २४ मई, १९६१ से लन्दन में आयोजित राष्ट्र मण्डल आर्थिक पदाधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में चर्चा हुई थी; और

(घ) विभिन्न राष्ट्र मण्डलीय देशों के प्रतिनिधियों ने उस पर क्या राय जाहिर की ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो) :** (क) इंग्लैण्ड की सरकार ने फैसला किया है कि यूरोपीय आर्थिक समाज में शामिल होने की दृष्टि से औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र दी जाए और इसके लिये बातचीत की जाएगी ।

(ख) चूंकि ब्रिटेन के शामिल होने की वास्तविक शर्तों के बारे में अभी बातचीत करनी है, भारतीय निर्यात पर इसके ठीक प्रभाव का इस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) जी हां ।

(घ) क्योंकि ऐसे सम्मेलनों की कार्यवाही गोपनीय मानी जाती है, राष्ट्र मण्डल के विविध देशों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों को बतलाना सम्भव नहीं है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या इस मामले के बारे में इंग्लैण्ड के मन्त्री के साथ चर्चा की गई थी जो हाल ही में भारत आये थे और यदि हां तो उस वार्ता का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां । और एक प्रेस टिप्पण १४ जुलाई, १९६१ को जारी किया गया था ।

†**श्री कासलीवाल :** ब्रिटेन के मन्त्री की यात्रा के पश्चात् जारी किये गये प्रेस टिप्पण में कहा गया था कि भारतीय निर्यात व्यापार की रक्षा के लिये विशेष उपाय किये जायेंगे । क्या अब इस दिशा में कुछ किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** योजना का व्यौरा मालूम हो जाने के पश्चात् यह किया जाएगा, इस समय यूरोपीय सामान्य बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश की शर्तें मालूम नहीं हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या इंग्लैण्ड के यूरोपीय आर्थिक समाज में शामिल हो जाने के फलस्वरूप ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यात में कुछ कमी आएगी, विशेष कर चाय के बारे में, जिसके लिये प्रति पौण्ड दो पैंस मिलते हैं ?

†**श्री कानूनगो :** मोटे तथ्य ये हैं कि बहुत अधिक वस्तुओं का इंग्लैण्ड में निर्बाध प्रशुल्क आधार पर आयात होता है । मदि इंग्लैण्ड सामान्य बाजार में सम्मिलित होता है तो स्थिति बदल जाएगी । अभी हमें मालूम नही कि दीर्घ काल में और अल्प काल में कितना अन्तर होगा ?

†**श्री आचार :** ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री ने बताया है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व राष्ट्र मण्डल देशों के वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन होगा । क्या इस दिशा में कोई कार्रवाई की गई है और क्या इस प्रकार का कोई सम्मेलन होगा ?

†**श्री कानूनगो :** हमारे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

†**श्री तंगामणि :** मैं औचित्य प्रश्न पूछता हूं । वित्त मंत्री ने कल एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि राष्ट्र मण्डल के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन घाना में किसी स्थान पर सितम्बर में

---

†मूल अंग्रेजी में

होगा । अब माननीय वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राष्ट्र मण्डल के वित्त मंत्रियों का कोई सम्मेलन होगा । हम तथ्य जानना चाहते हैं ?

†**श्री कानूनगो :** मैं विशेष रूप से यूरोपीय सामान्य बाजार कार्यक्रम पर आधारित सम्मेलन के बारे में उल्लेख कर रहा था ।

†**श्री तंगामणि :** एक विशिष्ट प्रश्न यह था कि क्या उस सम्मेलन में इस विशिष्ट मामले की चर्चा की जायेगी, जिसके उत्तर में वित्त मंत्री ने बताया कि सम्मेलन होने से पूर्व उस का विषयावलि तथा अन्य बातों का व्योरा नहीं बताया जा सकता । अतः दोनों प्रश्न एक ही विषय पर हैं ।

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :** स्थिति यह है कि राष्ट्र मण्डलीय आर्थिक सम्मेलन प्रति वर्ष होता है जहां वित्त मंत्री होते हैं । इस वर्ष यह सम्मेलन घाना में हो रहा है । जैसाकि मैं ने कहा यह सम्भव है कि वहां यूरोपीय सामान्य बाजार के इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा । वाणिज्य मंत्री को इस के बारे में पता नहीं होता क्योंकि इससे मेरा सम्बन्ध होता है उनका नहीं । यह सर्वथा पृथक मंत्रालय है । इसलिये इसमें कोई प्रतिवाद नहीं है ।

†**श्री तंगामणि :** संयुक्त या सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में क्या बात है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** तब माननीय मंत्री ने क्यों इस प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार किया था ? इस बात पर सब लोग परेशान हैं कि यूरोपीय सामान्य बाजार में ग्रेट ब्रिटेन के सम्मिलित हो जाने के कारण हमारे आर्थिक सम्बन्धों, वित्तीय स्थिति, निर्यात आदि पर कहां तक असर पड़ेगा । एक दिन एक माननीय मंत्री ने बताया था कि मंत्री जो कुछ करते हैं, सरकार की ओर से करते हैं । अतः जब प्रश्न आता है, मैं सब संबद्ध मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि वे उस मामले को देख कर यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयत्न किया करें ।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** तमाम सरकार मिल कर भी इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती । यह संभव नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है । हम इतना जानते हैं कि इंग्लैंड की सरकार और दूसरी सरकारें यूरोपीय सामान्य बाजार से सम्बन्ध रखती हैं । इस आधार पर हमारे कुछ विचार हैं जिन्हें हम कुछ जोर के साथ व्यक्त करते हैं । हम यह नहीं कह सकते कि यूरोपीय सामान्य बाजार के साथ उनकी बातचीत का क्या परिणाम होगा । हम इतना ही जानते हैं कि इसका कुछ सीमा तक हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और किस सीमा तक यह भी हम नहीं जानते । हम केवल अपना मत उनके सामने रख सकते हैं । वित्त मंत्री इस विषय पर कल वक्तव्य देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रधान मंत्री से सहमत हूं कि वह या सरकार यह बताने में असमर्थ है कि क्या होगा । परन्तु यहां भिन्न प्रश्न उत्पन्न हुआ है । यूरोपीय सामान्य बाजार के प्रश्न पर वित्त मंत्री ने कल एक वक्तव्य दिया था । वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि उनको यह मालूम नहीं कि वित्त मंत्री ने क्या कहा है । मैं केवल यह कहता हूं कि अब किसी मामले का दोनों विभागों से सम्बन्ध हो तो दोनों मंत्रियों को परस्पर परामर्श कर लेना चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि सरकार हमेशा किसी प्रश्न का पूर्णतया उत्तर दे सकतो है ।

†**श्री कानूनगो :** मैं ने केवल यह कहा था कि जैसा कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का विचार था, यूरोपीय सामान्य बाजार के बारे में विचार करने के लिए विशिष्ट सम्मेलन नहीं बुलाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह प्रश्न किसी ने नहीं पूछा कि क्या यह सम्मेलन यूरोपीय सामान्य बाजार के बारे में विशेष रूप से बुलाया गया था । प्रश्न यह था कि क्या वित्त मंत्रियों के इस सम्मेलन में इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं कल या उसके बाद सभा में एक वक्तव्य दूंगा और जितनी सूचना हमारे पास है वह दी जायेगी ।

†**श्री त्यागी :** उस वक्तव्य के अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने रियायत की कुल राशि का कोई अनुमान लगाया है, जो अब तक भारत को हमारे निर्यात व्यापार में इंग्लैंड से इस कारण मिल रही थी कि भारत राष्ट्र मण्डल का सदस्य था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात भी वह अपने वक्तव्य में बतायेंगे ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** मुझे आज एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिये क्योंकि मैं कल को यहां नहीं हूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह किसी दूसरे सदस्य को कह दें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं सब तथ्य जानने के बारे में माननीय सदस्यों की उत्सुकता को भली भांति समझ सकता हूं । वास्तव में जब यह प्रश्न ब्रिटेन की संसद् में रखा गया था लार्ड एटली ने कहा था "हमें सब तथ्य विदित नहीं हैं" । बहुत अधिक भ्रान्ति और पीछे की बातें हो रही हैं जो हम नहीं जानते ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** माननीय वित्त मंत्री हमें यह भी बतायें कि क्या जापान से मराको तक और एशिया से अफरीका तक सामान्य बाजार संभव हो सकता है । वह इसके बारे में भी अपना मत बतायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ३४६ और ३३९ के बारे में

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या ३४६ बहुत आवश्यक व महत्वपूर्ण है और जिसके लिए कि कई सदस्यों ने आपको लिख कर भी दिया हुआ है, उसको ले लिया जाय । वह प्रश्न पंजाबी सूबे सम्बन्धी विवाद को लेकर है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सर्वथा मेरे स्वविवेक की बात है । मैं सुझाव को स्वीकार करूं या न करूं । जब मैं देखता हूं कि अन्य प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हैं तो मैं किसी माननीय सदस्य द्वारा कहे गये प्रश्न को लेने को बाध्य नहीं हूं ।

अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेहता समिति की सिफारिशें

†*२६४. { **श्री गोरे :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर **के सम्बन्ध में** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेहता समिति की यह सिफारिशें कार्यान्वित करने में जिनकी ओर मालिकों का ध्यान दिलाया गया था और सरकार ने भी जिनकी ओर ध्यान दिया था, क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). सरकार सिफारिश संख्या १७, ३४ और ५४ के अनुसार काम कर रही है। प्रशासनिक निकाय सिफारिश संख्या १८ को कार्यान्वित करता है। सिफारिश संख्या ३ और २३ विदेशक सिद्धान्त हैं जिनका स्टीवडोरज को अनुपालन करना है। संख्या ३० के बारे में, बोर्ड बुकिंग के समयों में परिवर्तन करना सम्भव नहीं समझता ।

†**श्री गोरे :** क्या सरकार इस मामले में की गई प्रगति से संतुष्ट है ?

†**श्री आबिद अली :** हां, श्रीमान् ।

नागा आक्रमणकारी

+

†*२६५ { **श्री नाथ पाई :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ मई, १९६१ को नागा पहाड़ियों के संगतम क्षेत्र में तुंगर बस्ती में नागा आक्रमणकारियों ने तीन व्यक्तियों को जिनमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियर भी थे, मार डाला था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन व्यक्तियों से उनका नकदी रुपया पैसा छीन लिया गया था;

(ग) सरकार को कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या इन व्यक्तियों के सम्बन्धियों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) :** (क) जी, हां ।

श्री बी० एल० भाटिया, असिस्टेंट इंजीनियर, सी० पी० डब्ल्यू० डी, जो नागालैण्ड के तुएनसांग जिला में लोंगखीम में था, श्री प्रभुदयाल मोटरों का व्यापारी और एक ड्राइवर जो लोंगखीम तथा चारे के बीच तुएनसांग योकोकचुंग सड़क पर यात्रा कर रहे थे, होंगेर गांव के समीप विद्रोही नागाओं द्वारा मार दिये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि विद्रोहियों ने इन लोगों की नकदी छीन ली । असिस्टेंट इंजीनियर के पास मजदूरों को बांटने के लिये ५००० सरकारी रुपये थे । एक आसाम राइफल्स दल को, जिसने इस घटना के पश्चात् जीप को ढूंढ़ा, यह राशि तथा अन्य राशि और कुल मिला कर १०,००० रुपये जीप से मिले ।

(ग) सरकार की राशि नष्ट नहीं हुई ।

(घ) श्री भाटिया की स्त्री को तात्कालिक सहायता के तौर पर १००० रुपया दिया गया है । असाधारण पेंशन नियमों के अन्तर्गत पेंशन और उपदान के लिये उसके हक का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री नाथपाई** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम में इस प्रकार के धावे बहुत कम नहीं हैं, क्या सरकार लोगों को ऐसे शस्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण देगी और उनको हथियार भी देगी ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह किया जा रहा है । होम गार्ड---मुझे पता नहीं है कि इसे क्या कहा जाता है, हो सकता है गांव गार्ड हो,---अस्थानीय लोग होते हैं, जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है ।

†**श्री नाथपाई** : शायद वह मेरा प्रश्न समझ नहीं पाये । मैं प्रधान मन्त्री से यह पूछता हूं कि क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को, जिनके साथ यह घटना हुई है, शस्त्रों को प्रयोग करना सिखलायेंगे और उनको शस्त्र देंगे । मैं होमगार्ड के बारे में नहीं, कर्मचारियों और नागरिकों के बारे में कह रहा हूं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर उनके साथ ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उनसे आशा की जाती है कि उनको शस्त्रों का प्रयोग आता हो । मुझे मालूम नहीं कि आया विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल यह चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को वहां असैनिक अफसर के तौर पर या असैनिक प्रशासन सेवा में भेजा जाए उसे अपने आप को बचाने का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं जानता हूं । परन्तु वे जम कर युद्ध नहीं होते । कोई व्यक्ति दूर से गोली चला देता है और व्यक्ति को मार देता है ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने नागालैण्ड में विद्रोहियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर छानबीन करने की सम्भाव्यता का कभी विचार किया है ?

†**श्री नाथपाई** : यह बहुत महत्वपूर्ण है । हम बार बार सुन रहे हैं कि विधिसंगत काम करते हुए हमारे कर्मचारियों पर आक्रमण किये जाते हैं । प्रश्न यह है कि क्या वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण यह देखना वांछनीय नहीं है कि उनको शस्त्र ले जाने और उनका प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाए । इस प्रकार ज्यों ज्यों विद्रोहियों को पता चलेगा कि उनको शस्त्र चलाने आते हैं, और वे तुरन्त गोली चला देते हैं और उनके पास पर्याप्त शस्त्र होते हैं, उन पर आक्रमण कम होंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

†**श्री नाथपाई** : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस पर आश्चर्य है । मा० सदस्य ने यह प्रश्न एक बार पूछा था । उन्होंने सोचा कि उत्तर स्पष्ट नहीं था अतः उन्होंने यह दूसरी बार पूछा । परन्तु उनको चाहिये कि

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रियों को विचार करने का अवसर दें कि आया उनका सुझाव कार्य रूप में लाया जा सकता है या नहीं । इस समय यह नहीं किया जा रहा क्योंकि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि इसका अधिक उपयोग नहीं हो सकता । परन्तु इस पर विचार किया जाएगा । क्या मैं मा० मंत्रियों से तुरन्त आश्वासन देने को कहूं जब ५०० मा० सदस्य कोई न कोई सुझाव देते हैं और कहते हैं कि आश्वासन तुरन्त दिया जाये ? मुझे इस बात का आश्चर्य है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** साधारणतया उनको शस्त्र चलाने आते हैं और वे शस्त्र रखते हैं। मैं यह गारण्टी तो नहीं दे सकता कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता है । ऐसे मामलों में सामान्यतया कई बार रक्षा दल होता है जो मुकाबले में तुरन्त गोली चलाता है । परन्तु मुकाबले में कितनी भी गोली चलायी जाए उससे आक्रमण बन्द नहीं हो सकते । यह खुला युद्ध नहीं है । यह धावा है । कोई व्यक्ति झाड़ी से गोली मारता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सम्भव है कि यदि यहां इस आशय का वक्तव्य दिया जाए कि उनको पूर्णतया शस्त्रों से सज्जित किया जाएगा, तो इससे नागा विद्रोही उनके पास आने से रुक जायेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** रक्षा दल सदा पूर्णतया शस्त्रों से सज्जित होते हैं ।

†**श्री नाथपाई :** तब क्या उनके सभा सचिव सभा को यह बतायेंगे कि क्या इस दल के ये जो तीन व्यक्ति मारे गये उनके पास शस्त्र थे और क्या उन्हें उनका प्रयोग करने की शिक्षा दी गई थी ? क्या हमें यह सूचना मिल सकती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं ?

†**श्री नाथपाई :** इससे मा० प्रधान मन्त्री की यह बात गलत सिद्ध होती है कि इन लोगों के पास शस्त्र होते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनको इन सब बातों का पता नहीं होता । उन्हें पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह तथ्य है कि श्री बसन्त लाल भाटिया, जिसे उस क्षेत्र में गोली से मार दिया गया था, उस क्षेत्र में अप्रैल १९५८ से था हालांकि उसकी अवधि केवल दो वर्ष की थी ? उनकी अवधि को दो से बढ़ा कर तीन वर्ष करने की क्या परिस्थितियां थीं और क्या उसने दिल्ली वापिस जाने के लिये सरकार से प्रार्थना की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** और क्या इसलिये वह मारा गया था ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** बहुत से लोग हैं---

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल पूर्ण हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रानीगंज कोयला क्षेत्रों में दुर्घटनायें

†*२९६. **श्री अमजद अली :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९५९-६० और १९६०-६१ में इन कोयला क्षेत्रों में कितनी दुर्घटनायें हुईं; और

(ग) इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) १९५९ तथा १९५८ की तुलना में १९६१ में यद्यपि गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी परन्तु ऐसी दुर्घटनाओं कम हुई हैं जिनमें आदमी मरे हों।

(ख) पत्री वर्ष के आधार पर दुर्घटनाओं के आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं। १९५९ में ६७ आदमी मरने की दुर्घटनायें तथा ८६० गम्भीर दुर्घटनायें हुई थीं। १९६० के यही आंकड़े क्रमशः ५५ तथा १०१० हैं।

(ग) अगस्त १९५८ में अनुसन्धान कार्य में लगे हुए विशेषज्ञों समेत, सम्बधित व्यक्तियों का एक सुरक्षा सम्मेलन हुआ था। इसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप १९५९ में प्राविधिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिये छः विशेषज्ञ समितियां बनाई गईं थी। इनमें से दो के प्रतिवेदन मिल चुके हैं तथा शेष के प्रतिवेदन प्रविधिक अध्ययन पूरे हो जाने पर मिल जायेंगे।

हाल में ही सुरक्षा विधि का संशोधन कर दिया गया है तथा सम्मेलन की सुरक्षा सिफारिशों के आधार पर अग्रेतर संशोधन करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

क्रियान्वित अभिकरण को शक्तिशाली बना दिया गया है।

कपड़े पर मुहर लगाना

†२९७. **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री कालिका सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि मुहर लगे दर पर प्रचलित किस्मों का कपड़ा नहीं मिलता;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मिलों ने कपड़े पर गज़ और प्रति गज़ दर की मुहर लगाना बन्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)**: (क) अधिकांशतः उत्तम किस्म का कपड़ा मुहर लगे हुए मूल्य पर मिल जाता है ।

(ख) पुराने गज़ के आधार पर कपड़े पर मुहर लगाना बन्द कर दिया गया है क्योंकि अब कपड़े को १ अप्रैल १९६१ से मीट्रिक आधार पर नापा जाता है ?

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चीनी और भारतीय पदाधिकारियों की रिपोर्ट

†२९८. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री सं० अ० मेहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा वार्ता के सम्बन्ध में चीनी और भारतीय पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**वैदेशिक कार्य-उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). जी हां । सरकार ने इन रिपोर्टों पर पूरी तरह से विचार कर लिया है । इन रिपोर्टों के मिलने के बाद सभा में विवाद भी हो चुका है । सरकार यह नहीं बता सकती है कि क्या कार्यवाही करेगी । सरकार की राय में इन रिपोर्टों से स्पष्ट तथा पुष्ट हो जाता है कि भारत की बात सही है । वह चीनी सरकार को बताते रहेंगे और प्रयत्न करते रहेंगे जिससे चीन के लोग प्रतिवेदन के तथ्यों को स्वीकार कर लें । इन तथ्यों को मान लेने पर शांति से समझौता हो जायेगा । परन्तु सरकार सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने को कठिबद्ध है ।

पुर्तगाली सैनिकों को आश्रय

†*२९९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९६१ के अंतिम सप्ताह में दो पुर्तगाली सैनिक गोआ से भारत में चले आये और उन्होंने इस देश में आश्रय ढूंढा ; और

(ख) यदि हां, तो इस देश में उन्हें आश्रय देने के बारे में क्या निर्णय किया गया ?

†**वैदेशिक कार्य-उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). २६ मार्च, १९६१ को दो पुर्तगाली सैनिक सादे वस्त्रों में भारत में आए और उन्होंने भारत में आश्रय मांगा । पूछताछ

---

†मूल अंग्रेजी में

करने पर उनके वक्तव्य एक दूसरे के प्रतिकूल निकले और इस प्रकार आश्रय चाहने की उनकी बात में संदेह उत्पन्न हो गया। इसलिये १७ मई, को उन्हें गोवा में धकेल दिया गया।

मेक्सिको के साथ व्यापार समझौता

†*३००. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार समझौते की संभावना के बारे में जांच पड़ताल की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या इन से दो देशों के बीच व्यापार शिष्ट-मंडलों का आदान प्रदान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). महामहिम सिनेटर मुरैनो सानचेंज के नेतृत्व में ३० अप्रैल, से १२ मई, १९६१ तक एक उद्भावना– व– व्यापार मंडल मैक्सिको से भारत आया था। दोनों देशों में व्यापार के बारे में बातचीत हुई परन्तु कोई सामान्य व्यापार समझौता नहीं किया गया।

(ग) और (घ). जी नहीं। व्यापार शिष्ट मंडलों का आदान प्रदान नहीं हुआ है।

लौह-अयस्क श्रमिक कल्याण निधि

†*३०१. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अयस्क श्रमिक कल्याण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव अंतिम रूप से तय हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का संगठन स्थापित किया जाने वाला है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) और (ख). संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना

*३०२. { श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र) : रसायन कारखानों के जापानी निर्माताओं के एक वर्ग द्वारा भेजे गये टैक्निकल दल ने फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कारखाने के प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण और परिवहन की समस्याओं का अध्ययन किया है। बस्ती और कारखाने के लिये स्थान का चुनाव अस्थायी रूप से कर लिया गया है जिसका अब सर्वेक्षण हो रहा है। संयंत्र और मशीनों तथा कच्चे माल के परिवहन तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये योजनायें बनाई जा रही हैं। मानक विवरण और खाके तथा विस्तृत अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का पुनर्गठन

†३०३. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री डामर :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय के पुनर्गठन के प्रस्ताव और मांग के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस मामले को आगे बढ़ाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ?

†**वैदेशिक कार्य-उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय के पुनर्गठन का कोई औपचारिक संकल्प लम्बित नहीं है परन्तु पिछले अधिवेशन में कुछ देशों ने सचिवालय के उच्चस्तर के ढांचे की कठोरता से आलोचना की थी। इन आलोचनाओं की जांच के लिये १९५९ में एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी। जिसने जांच करने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और सचिवालय में अधिकतम मितव्ययता तथा कार्यपटुता बनाने की सिफारिश की। प्रतिवेदन में विभिन्न सदस्यों के विभिन्न सुझाव हैं

†मूल अंग्रेजी में

और इस पर आगामी सामान्य सभा में विवाद होगा। भारत सरकार प्रतिवेदन के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और उसने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

ऊनी धागे का दाम

†*३०४. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी धागे के दाम पर नियंत्रण लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऊनी तैयार माल के दाम पर नियंत्रण लागू करने के लिये क्या उपाये किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). वर्स्टेड होज़री धागे तथा माल के मूल्य नियंत्रित कर दिए गये हैं। प्रशुल्क आयोग से ऊनी उद्योग के विभिन्न उत्पादों के लागत ढांचे की जांच करने का अनुरोध किया गया है। प्रशुल्क आयोग के निर्णयों के मिल जाने पर अन्य उत्पादों के मूल्यों के नियंत्रण के प्रश्न पर विचार होगा।

लोहा और इस्पात उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†*३०५. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड कायम किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन हैं और विचारणीय विषय क्या है; और

(ग) क्या बोर्ड अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर विचार करेगा और एक निश्चित समय सीमा के अन्दर सिफारिश करेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ग). मजूरी बोर्ड के सदस्यों तथा विषयों पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी राज्य-बीमा योजना के अधीन पश्चिमी बंगाल के २४ परगना में अस्पताल

†*३०६. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री पांगरकर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य-बीमा योजना के अधीन पश्चिम बंगाल के २४ परगना में अस्पताल बनाने में देर होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि अस्पताल की व्यवस्था न होने के कारण कर्मचारी योजना के विस्तार का विरोध कर रहे हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) नकशे तथा प्राक्कलनों को बनाने में बिलम्ब के कारण इसको इससे पहले नहीं लिया जा सका था। नींव का पत्थर रख दिया गया है तथा आशा है कि निर्माण शीघ्र आरंभ हो जायेगा।

(ख) जी हां ।

बीमाशुदा कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा लाभ

†*३०७. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य-बीमा निगम के अधीन बीमाशुदा कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा लाभ पहुंचाने के बारे में जुलाई, १९६१ के अन्त तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** ३१–७–१९६१ तक इस योजना के अन्तर्गत ५.९ लाख परिवार एकक लाये जा चुके हैं।

बर्मा में नागा आक्रमणकारी

†*३०८. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आसर :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

(क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा कीं सरकार ने बर्मा राज्य-क्षेत्र में कार्यवाही करने वाले नागा आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के उपायों के सम्बन्ध में १७ मई, १९६१ को या उसके आसपास कोई विज्ञप्ति जारी की थी, और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का उस सरकार का विचार है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). बर्मा राज्य-क्षेत्र में नागा आक्रमणकारियों की उपस्थिति की सूचना बर्मा सरकार को दे दी गई है। १९ मई, १९६१ को बर्मा सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि इस सूचना की जांच के लिए वह तुरंत कार्यवाही कर रहे थे क्योंकि वह इस घटना को इसलिए गंभीर मानते हैं कि कोई बर्मा राज्य-क्षेत्र से पड़ौसी मित्र देश पर हमला करे। उन्होंने बताया है कि उनके राज्य-क्षेत्र में सशस्त्र व्यक्तियों के विरुद्ध सभी संभव कार्यवाही की जायेंगी।

स्थिति पर काबू पाने के लिए कार्यवाही के बारे में निर्णय बर्मा सरकार ही करेगी। उन्होंने अपने कमिश्नर से आवश्यक जांच करने को कहा है तथा बर्मा के सैनिक सीमा क्षेत्रों में भेज दिए हैं।

टेलीविजन के जरिये पढ़ाई

†*३०९. **श्रीमती मैमूना सुलतान :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कोडियान :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हायर सेकेन्डरी स्कूलों में टेलीविजन के जरिये कुछ विषय पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने स्कूल आते हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन कौन-से विषय पढ़ाये जाते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) वास्तविक अध्यापन अक्तूबर १९६१ से शुरू होगा जबकि अध्यापकों के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम का निर्णय प्रारंभिक कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) 'ए सी' बिजली वाले लगभग १४४ हायर सेकेन्डरी स्कूलों पर छत डाली जा रही है।

(ग) फिजिक्स, कैमिस्ट्री, अंग्रेजी तथा हिन्दी विषय भी पढ़ाये जायेंगे।

भारत की सीमा पर कागज और सीमेंट के कारखाने

†*३१०. **श्री हेडा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में चीनी आर्थिक शिष्टमंडल ने कागज और सीमेन्ट के कारखानों के लिए भारत की सीमा पर स्थान चुने हैं;

(ख) नेपाल के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्ध को देखते हुए, क्या इस मामले में भारत से परामर्श किया गया था,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन स्थानों के कारण हमारे आर्थिक हितों पर किसी प्रकार कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) क्या चीनियों की इन कार्यवाहियों में सुरक्षा का कोई प्रश्न निहित है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) बताया जाता है कि नेपाल सरकार चीन की प्रविधिक तथा वित्तीय सहायता से नेपाल गंज में कागज का कारखाना तथा हिथौदा में सीमेंट का कारखाना बनाने के बारे में विचार कर रही है। यह दोनों स्थान भारतीय सीमा के निकट हैं परन्तु इनके निर्माण के स्थान का आधार कच्ची सामग्री की उपलब्धता तथा अन्य अन्य आर्थिक कठिनाइयां होंगी।

(ख) से (घ). जी नहीं।

गन्दी बस्ती हटाने की योजना

†*३११. **श्री कोडियान :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राजधानी के लिए गन्दी बस्ती हटाने की योजना कार्यक्रम के अनुसार आगे नहीं बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है; और

(ग) उस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग). दिल्ली की गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। परन्तु काम की तेजी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यवाही की गई हैं तथा की जा रही हैं जिससे प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य प्रकार के विलम्ब न हो पायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय में आग

†*३१२. { श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम राज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री आसर :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २८ मई, १९६१ को केन्द्रीय सचिवालय में जो आग लगी थी उसके कारणों के बारे में क्या कोई जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला; और

(ग) आग के कारण कितना नुकसान हुआ ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) आग के कारण का पता नहीं लगाया जा सका। जांच से स्पष्टतया मालूम हो गया कि आग दिल्ली के शार्ट-सर्किट के कारण नहीं लगी ।

(ग) भवन को कोई हानि नहीं पहुंची थी। फाइलें तथा कोई लाभदायक सामान नष्ट नहीं हुआ। कुछ लकड़ी की पेटियां, टूटा-फूटा-फर्निचर तथा कुछ बेकार प्रकाशन सामग्री जल गई थीं। हानि बहुत थोड़ी हुई थी ।

कागजी इन्सुलेटर वाले बिजली के तार

†*३१३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा कागजी इन्सुलेटर वाले बिजली के तार तथा सेना क्षेत्र संचार तार तैयार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह अंतिम रूप से निश्चित की जा चुकी है,

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए केबल्स फैक्टरी का विस्तार किया गया है; और

(घ) ये तार तैयार करने का काम कब शुरू होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का विचार ४८० मील वार्षिक की दर से पेपर इंसुलेटेड पावर केबल्स बनाने का है। योजना के

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्यौरों पर अन्तिम निर्णय किया जा रहा है। इस समय सेना क्षेत्र संचार तार बनाने का विचार नहीं है।

कपड़ा मिलें

†*३१४. { **श्री सुब्बैया अम्बलम् :**
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री मुरारका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री तंगामणि :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्डन टेक्सटाइल मिलों की पांच मिलों के स्थान के बारे में इस बीच कोई अंतिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय

†*३१५. { **श्री दामानी :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **प्रधान मंत्री** ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६७६ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसके समकक्ष संगठनों में विभिन्न पदालियों में काम करने वाले भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या इस बीच बढ़ गयी है; और

(ख) क्या वे संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ठेके का आधार पर हैं या और किसी आधार पर?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जहां तक भारत सरकार को पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या वस्तुतः वही है जो ३ अप्रैल, १९६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या २६७३ के उत्तर में बताई गई थी; संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक कर्मचारी की इस बीच मृत्यु हो गई है और संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन के दो कर्मचारी सेवा-निवृत्त होने वाले थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन संगठनों में भारतीय दो श्रेणियों से आते हैं: कुछ निश्चित अवधि के लिये रोजगार पर लगाये गये हैं और बाकी स्थायी पदों पर हैं।

गोआ

*३१६. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ को आजाद कराने के संबंध में सरकार कोई सक्रिय कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि गोआ के प्रश्न को लेकर भारतीय जनता में बहुत असन्तोष है?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) भारत सरकार यह नहीं बता सकती कि वह निकट भविष्य में कौन से सक्रिय उपाय बरतेगी, लेकिन गोआ को आजाद कराने का सवाल उसके लिए महत्वपूर्ण और निरंतर चिंता का विषय है। हाल ही में पुर्तगाली अधिकारियों ने वहां दमनकारी कार्यवाहियां की हैं। यह भी पता चला है कि अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों में, खासतौर से, अंगोला में, अजादी के लिए बड़े आंदोलन हो रहे हैं।

(ख) भारत के लोग और गोआ के लोग भी स्वाभाविक रूप से गोआ, दमन और ड्यू में पुर्तगाली हकूमत के बने रहने पर क्षुब्ध हैं और चाहते हैं कि ये जल्दी ही आजाद हों।

दिल्ली में प्रविधिक प्रशिक्षण संस्थायें

†*३१७. **श्री बलराज मधोक :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में श्रम मंत्रालय द्वारा कुल कितनी प्रविधिक प्रशिक्षण संस्थायें चलायी जा रही हैं ; और

(ख) उनमें सालाना कुल कितने प्रशिक्षार्थी लिये जाते हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) सात।

(ख) इंजीनियरिंग शिल्पों में १८४४ सीटें (५० प्रतिशत सीटें प्रत्येक ६ महीने बाद भरी जाती है), और गैर-इंजीनियरिंग शिल्पों में ६०० सीटें (प्रवेश वर्ष में एक बार किया जाता है)

---

†मूल अंग्रेजी में

अखबारी कागज की कमी

†*३१८. { श्री जीनचंद्रन :
श्री कोडियान :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेक राम नेगी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आचार :
श्री आसर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री चुनी लाल :
श्री न० म० देव :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में अखबारी कागज की भारी कमी है और उसके फलस्वरूप अखबारों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं और पर्याप्त सप्लाई करने और उसके वितरण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). कुछ सप्ताह पूर्व अखबारी कागज की कमी का सन्देह था क्योंकि संभरण के आयात के लिये, मुख्यतः रुपया भुगतान देशों से, व्यवस्था पूरी करने में असंभावित विलम्ब हो गया था । अब ये व्यवस्थायें संतोषजनक रूप से पूरी हो गयी हैं और कुछ माल आ भी गया है । कनाडा और अमरीका से भी कुछ संभरण प्राप्त होने की संभावना है । अतः इस समय इस बारे में कोई अनुचित सन्देह करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को प्रतिकर

†*३१९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा ऋण पुनर्भुगतान का पर्याप्त अंश उनको सरकार द्वारा भुगतान किये गए प्रतिकर का पुस्तक-समायोजन मात्र है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार का पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को ऋण पुनर्भुगतानों को बट्टे खाते में डालने अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या उन लोगों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया जायेगा जिनके ऋण थोड़ी थोड़ी राशि में तथा अनेक वर्षों में भुगतान किये गये थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) प्रतिकर योजना के अधीन पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण सार्वजनिक ऋण समझे जाते हैं और ये, कोई भुगतान करने से पूर्व, प्रतिकर की रकम में से काटे जाने होते हैं। गैर-दावेदारों के मामले में, ऋण का पूर्णरूप से पुनर्भुगतान किया जाना होता है। जब तक दावेदार विस्थापित व्यक्ति के प्रत्येक मामले का सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं कर लिया जाता, यह कहना कठिन है कि उनको दिये गये ऋण में से कितने प्रतिशत का सार्वजनिक देय राशि के रूप में समायोजन कर लिया गया है ।

(ख) जी, नहीं । ऋणों का अनुदान की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान किया जाना है ।

(ग) और (घ). जी, नहीं । तथापि, यदि कठिनाई का कोई व्यक्तिगत मामला सरकार को बताया जाये तो उस मामले पर गौर किया जायेगा ।

पाकिस्तानी जलयान (मोटर लान्च) की वापसी

†*३२०. **श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने "ग्लोरी आफ ढाका" नामक पाकिस्तानी मोटर लान्च पाकिस्तान सरकार को लौटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे किस आधार पर वापस किया गया था ;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तान सरकार से कोई जुर्माना प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). पाकिस्तान में रोकी गयी अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल की मोटर लांच "एम० एल० भागीरथी" को हुई क्षति के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में पूर्व पाकिस्तान सरकार से १९,३२० रुपये की रकम प्राप्त होने पर पाकिस्तानी मोटर लांच "ग्लोरी आफ ढाका" को छोड़ दिया गया ।

लघु उद्योग बोर्ड

†*३२१. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के एक सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए इस विचार की जानकारी है कि लघु उद्योग बोर्ड, खादी तथा ग्रामोद्योग

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग, हस्तशिल्प बोर्ड और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का एक समेकित बोर्ड होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और इस सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंच सकी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं । तथापि, कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने ऐसे विचार व्यक्त किये हैं ।

(ख) इस सुझाव की कई बार जांच की गयी और इसको अकार्यकारी पाया गया क्योंकि इससे विशेष प्रकार के उद्योगों के विकास में बाधा पड़ेगी। इन बोर्डों और आयोग के कार्यकरण का समेकन करने के लिये निरन्तर पग उठाये जा रहे हैं।

श्रम सम्बन्धों के बारे में अनुसन्धान

†*३२२. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम सम्बन्धों के बारे में अनुसन्धान के लिए कोई संस्था स्थापित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कच्चे पटसन का आयात

†*३२३. **श्री त्यागी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कच्चे पटसन के आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी बाजार में पटसन उद्योग को जिस कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है उसकी दृष्टि से ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्ट्रेपटोमाईसीन का निर्माण

†*३२४. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिम्परी में स्ट्रेपटोमाईसीन का उत्पादन ४५ टन से बढ़ा कर ८० टन प्रति वर्ष कर देने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ; और

(ग) क्या अभी स्ट्रेपटोमाईसीन का कुछ आयात भी किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). पिम्परी स्ट्रेपटोमाईसीन संयंत्र की क्षमता ८० टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और शीघ्र ही एक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

(ग) प्रति वर्ष ८० से १०० टन तक स्ट्रेपटोमाईसीन का आयात किया जाता है ।

शल्य चिकित्सा उपकरण कारखाना

†*३२५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत विशेषज्ञों द्वारा मद्रास के निकट अदयार में स्थापित किए जाने वाले शल्य चिकित्सा उपकरण कारखाने के लिए परियोजना प्रतिवेदन का प्रारूप भारत सरकार को पेश किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच कर ली है ;

(ग) कारखाने की स्थापना कब की जायेगी ; और

(घ) परियोजना में कितनी लागत लगेगी और उसमें कौन कौन से उत्पादों का निर्माण किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). शल्य चिकित्सा संयंत्र सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हाल ही में रूसी अधिकारियों से प्राप्त हुई है और इस समय वह विचाराधीन है ।

(घ) भूमि और परियोजना पर चालू पूंजी पर विनियोजन को छोड़ कर कुल पूंजी विनियोजन लगभग २.५ से ३ करोड़ रुपये तक है । इस संयंत्र की वार्षिक विभिन्न प्रकार के २५ लाख नगों के निर्माण की क्षमता होगी ।

अंगोला

†*३२६. { **श्री कालिका सिंह** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मुहम्मद इलियास : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अंगोला में पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा मारे गये आदिवासियों की संख्या २५,००० से भी अधिक है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत ने अफ्रीकी की विभिन्न पुर्तगाली बस्तियों को स्वतंत्र कराने के लिए अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कदम उठाए हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा हाल ही में अंगोला में मारे गये अंगोलावासियों के ठीक आंकड़े बताना कठिन है, परन्तु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों ने अंगोलावासियों के मारे जाने की संख्या कम से कम २०,००० और अधिक से अधिक एक लाख बतायी है ।

(ख) अंगोला में बड़ी संख्या में अंगोलावासियों के मारे जाने से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिये परिषद् की एक शीघ्र बैठक बुलाने के लिये जिन देशों ने सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को पत्र लिखा था उसमें भारत भी शामिल था । सुरक्षा परिषद ने ६ जून, १९६१ को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पुर्तगाल से पुर्तगाल में अमानुषिक कार्यवाही रोकने को कहा गया । हमें कई बार संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र निकाय जैसे न्यास परिषद् में अफ्रीका में पुर्तगाली बस्तियों में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति समर्थन और सहानुभूति प्रकट की है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

†*३२७. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री हेम बरुआ : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राष्ट्रजनों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) उनके सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीकी सरकार से क्या उत्तर, यदि कोई हो, प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जी, हां। १३ अप्रैल, १९६१ को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में हमने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार को लन्दन स्थित इसके राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के जरिये बातचीत करने को कह दिया है ।

(ग) जी, कोई नहीं । दक्षिण अफ्रीकी राजदूत ने केवल पत्र की प्राप्ति स्वीकार की है ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†*३२८. { **श्री च० का० भट्टाचार्य** :
श्री झूलन सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने के उत्पादन में बहुत कमी आ गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उसकी जांच के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने उसे रोकने के लिए कोई सुझाव पेश किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(घ) क्या विशेषज्ञ समिति की सहायता करने के लिये डच उर्वरक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क). से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष १९५६-५७ से १९५८-५९ सिन्दरी उर्वरक कारखाने में औसतन ३,२०,००० टन से भी अधिक अमोनियम सल्फेट का उत्पादन होता रहा । तथापि, वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ मे कारखाने में इतना उत्पादन नहीं हो सका । सिन्दरी उर्वरक कारखाने में उत्पादन में कमी होने की समस्या की जांच करने के लिये भारतीय उर्वरक निगम ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है । समिति के कार्य में दो डच विशेषज्ञ, जिन्हें कोयला और कोक की गैस तैयार करने का बड़ा अनुभव है, सहयोग दे रहे है । समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उनका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

दण्डकारण्य परियोजना के लिये मशीनों का आयात

†*३२९. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के लिये १० लाख रुपये की मशीनों का आयात किया जा रहा है ; और

(ख) आयात की जाने वाली मशीनें किस प्रकार की हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) योजना आरम्भ होने के समय से अब तक दण्डकारण्य परियोजना के लिये २.९५ करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनों का क्रयादेश दिया गया है ।

(ख) आयात की गयी मशीनों में चलती फिरती कर्मशाला, पटिये-नुमा ट्रैक्टर, केटरपिलर ट्रैक्टर, ट्रैक मार्शल ट्रैक्टर, शावल डम्पर, एयर कम्प्रैशर और ट्रैक्टरों के फालतू पूर्जे आदि हैं जो देश मे उपलब्ध नहीं हैं ।

भारत द्वारा अमरीका से शस्त्रास्त्रों की खरीद

†*३३०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान के प्रेसीडेंट के इस वक्तव्य में कोई सच्चाई है कि भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका से रियायती दरों पर हथियार खरीदे हैं जिनमें ३०० टैंक और ६३ नान-रिकाइल तोपें भी सम्मिलित हैं ?

†**प्रधान मत्री तथा वैदेशिक-कार्य मत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटसन के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाले पदार्थों का निर्माण करने वाली मशीनें

†*३३२. **श्री खाडिलकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के इस समाचार की अन्तर्ग्रस्तताओं की जांच की है कि मनीला में केले के पेड़ के रेशों से पटसन के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाले पदार्थों के निर्माण के लिए पश्चिम जर्मनी की मशीनों के स्थापित किए जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या सरकार भारत के वर्तमान केला बागानों में ऐसी मशीनें स्थापित करेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी के अनुसार पश्चिम जर्मनी में बनायी गयी मशीनों के इस्तेमाल से केले से रेशा निकालने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं। मशीन की किस्म और निकाले गये रेशे की किस्म के बारे में ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है। भारत में ऐसी व्यवस्था लागू करने की अभी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

पाकिस्तानियों द्वारा गोली वर्षा

†*३३३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ जुलाई १९६१ को पाकिस्तानी सेनाओं ने राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षकों और भारतीय सैनिकों पर, जो संयुक्त जांच के लिये काल कोट क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा की ओर बढ़ रहे थे, उस समय गोली चलाई गई जब कि वे युद्ध विराम रेखा के ५०० गज के अन्दर थे ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) ९ जुलाई १९६१ को ९ बजे प्रातः भारतीय सेना के आठ सिपाही एक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक के साथ संयुक्त रूप से जांच के लिये मेन्धार की ओर जा रहे थे जब उन पर युद्ध विराम रेखा के पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर की ओर से गोली चलाई गयी । कोई हताहत नहीं हुआ ।

(ख) प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सेना पर्यवेक्षक को युद्ध विराम उल्लंघन शिकायत भेज दी गयी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान में भारतीय तारों का सेंसर

†*३३४. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान में भारत के भेजे जाने वाले प्रेस तार सेंसर किये जाते हैं जैसा कि १६ जुलाई, १९६१ के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान में प्रेस पर नियंत्रण है और ढाका में विदेशी संवाददाताओं पर छानबीन के प्रतिबन्ध लगे है। भारत में प्रेस को पूरी स्वतंत्रता है और कोई प्रतिबन्ध नहीं लगे है। तथापि, सरकार पूर्वी पाकिस्तान मे छानबीन से उत्पन्न स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रही है।

आकाशवाणी

†*३३५. **श्री तंगामणि :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आकाशवाणी से श्रमिकों और कर्मचारियों के लिये विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ करने का विचार है ;

(ख) दिल्ली और प्रादेशिक केन्द्रों के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है ;

(ग) क्या औद्योगिक संबंधों से संबंधित सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों द्वारा वार्ता की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका वर्ष १९६१ के लिए ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) आकाशवाणी प्रतिदिन अथवा सप्ताह में ५–६ दिन १४ केन्द्रों से औद्योगिक कार्यक्रमों का प्रसारण करती है।

(ख) दिल्ली केन्द्र दैनिक अथवा साप्ताहिक औद्योगिक कार्यक्रम प्रसारित नहीं करता परन्तु यह महीने में एक बार आधा घंटे के लिये श्रमिकों की रुचि के कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ६४]**

अल्यूमिनियम संयंत्र

†*३३६. { **श्री कोडियान :**
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच में हंगरी के सहयोग से अल्युमिना और अल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

†*३३७. **श्री चुनी लाल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में लौह अयस्क की बिक्री के बारे मे बात चीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम और जापानी इस्पात मिलों के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप, मिलें वर्ष १९६१--६३ की अवधि में ६५/६२ श्रेणी का ६० लाख टन लौह अयस्क खरीदने को सहमत हो गयी हैं। शर्तों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है। ६५/६५ और ६२/६० श्रेणी के लौह अयस्क की बिक्री के बारे में वार्ता अभी जारी है।

प्रशासकीय प्रक्रिया

†*३३८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **प्रधान मंत्री** २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैबिनट ने प्रशासकीय प्रक्रिया को सबल बनाने के संबंध में योजना आयोग के सुझावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). जी हां, सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें सरकार द्वारा किये गये निर्णय की मुख्य बातें बतायी गयी हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया--देखिये संख्या एल टी-३०६७/६१**]

पांडिचेरी का विधिवत् हस्तांतरण

†*३३९. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रामकृष्ण गुप्त:
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री मुहम्मद अली :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पांडिचेरी के भारत को विधिवत् हस्तान्तरण के मामले में अभी तक क्या प्रगति हुई है।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** १३ मार्च, १९६१ को संसद् में तारांकित प्रश्न संख्या ७६८ का उत्तर दिये जाने के बाद से स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, भारत सरकार इस प्रश्न और विलय सन्धि के सत्यांकन के लिये शीघ्र कदम उठाये जाने की तत्कालिक आवश्यकता के महत्व के बारे में फ्रांस सरकार को मनाने के लिये प्रत्येक अवसर का उपयोग करती है।

आद्यरूप चमड़ा प्रशिक्षण संस्था और फलों का डिब्बों में बन्द करने का कारखाना

†*३४०. श्री पांगरकर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आद्यरूप चमड़ा प्रशिक्षण संख्या और फलों को डिब्बों में बन्द करने के कारखाने की स्थापना की योजनाओं के संबंध में यूगोस्लाव प्रतिनिध मण्डल के साथ हुई चर्चा का परिणाम क्या हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** तब से यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार यूगोस्लाविया से जो सहायता प्राप्त करे वह फल रक्षण और फलों को डिब्बे में बन्द करने के एक प्रौद्योगिकीय केन्द्र स्थापित करने के काम आये। इस योजना का अन्तिम ब्योरा यूगोस्लाविया की सरकार से प्रतीक्षित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान को चाय का निर्यात

†*३४१. { **श्री गोरे :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में सरकार को पाकिस्तान सरकार से उनकी भारतीय चाय की आवश्यकता के संबंध में सही मात्रा और किस्मों की कोई सूचना प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखबारी कागज का कारखाना

†*३४२. { **श्री नाथपाई :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने सरकार को सिमूर जिले में पौटा घाटी में एक अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना की योजना पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना को मंजूर कर लिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**　(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

†*३४४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने सरकार द्वारा तिब्बत के भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयों के संबंध में किये गये अभ्यावेदन का उत्तर दे दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). जी, हां परन्तु चीन सरकार का कहना है कि तिब्बत में व्यापार को विनियमित करने के लिये उन्होंने जो

---

†मूल अंग्रेजी में

'कुछ उचित उपाय और विनियम' लागू किये हैं वह उनके आन्तरिक क्षेत्राधिकार में हैं। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने जो करेंसी में सुधार (तिब्बती करेंसी का चीनी करेंसी में अवमूल्यन) किया है, वह नितान्त चीन की प्रभुसत्ता के भीतर का मामला है और किसी विदेशी देश को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं।

तथापि, भारत सरकार ने चीन सरकार से पुनः अनुरोध किया है कि वह १९५४ के चीन-भारत करार की भावना के अनुरूप वहां पद्धति रूप व्यापार करने देती रहे।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के कारणों का सर्वेक्षण

†*३४५. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में श्री आर० एल० मेहता ने जुलाई, १९६० में हुई केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के कारणों के संबंध में अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनको उपपत्तियों का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) अभी प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यह अध्ययन विभागीय इस्तेमाल के लिये हड़ताल का पूरा लेखा देने के लिये है। अतः इसकी प्रति सभा पटल पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि रिपोर्ट कब दी जायेगी।

पंजाबी सूबा

*३४६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री वाजपेयी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली मई में अकाली नेता सन्त फतेह सिंह और उनके साथी जब उनसे मिले थे तो उन्होंने पंजाबी सूबे का प्रस्तावित मानचित्र भी दिया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उक्त मानचित्र में कितना भाग पंजाबी सूबे में दिखाया गया है ;

(ग) इस मुलाकात में पंजाबी सूबे के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो वे क्या थीं, और उनका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) क्या वे संत फतेह सिंह और मास्टर तारा सिंह के साथ जो पत्र-व्यवहार और बातचीत हुई उसका ब्यौरा प्रकाशित करने पर विचार कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) तथा (ख). प्रधान मंत्री जी को किसी समय कोई मानचित्र नहीं दिया गया। न ही प्रस्तावित पंजाबी सूबा के विस्तार के बारे में कोई स्पष्ट इजहार किया गया था ।

(ग) तथा (घ). अन्य किन्हीं विषयों पर चर्चा नहीं हुई । हां, पंजाब सरकार के कुछ उपायों का तथा कुछ आर्थिक परिणामों का जिक्र किया गया था ।

(ङ) प्रधान मंत्री तथा संत फतेह सिंह में हुई बातचीत की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रधान मंत्री के मुख्य निजी सचिव, जो बातचीत के दौरान उपस्थित थे, ने तैयार की थी । यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी--देखिये संख्या एल. टी. ३०६८/६१]** प्रधान मंत्री तथा मास्टर तारा सिंह के बीच भावनगर में हुई बातचीत का कोई अभिलेख (रेकार्ड) नहीं रखा गया था ।

सन्त फतेह सिंह और मास्टर तारा सिंह के साथ हुए पत्र व्यवहार को प्रकाशित करने का प्रधान मंत्री जी का इरादा नहीं है ।

दिल्ली में छोटे ऊनी माल के निर्माता

†*३४७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और पंजाब में बहुत से छोटे पैमाने के ऊनी माल के निर्माताओं को इस वर्ष मई-जून में वर्स्टेड ऊनी धागे के अभाव के कारण काम बन्द करना पड़ा था अथवा बन्द करने की स्थिति का सामना करना पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति के सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-पाक करार का क्रियान्वयन

†*३४८. { **श्रीमती संमूना सुल्तान :**
श्री वाजपेयी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चल सम्पत्ति सम्बन्धी करार के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए उपाय निकालने के संबंध में चर्चा करने के लिए मई-जून, १९६१ में दोनों देशों के पुनर्वास मंत्रियों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां । कलकत्ता में ५ और ६ जुलाई, १९६१ को एक बैठक हुई थी ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

५ और ६ जुलाई, १९६१ को कलकत्ता में हुई भारत और पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्रियों की बैठक में यह तय हुआ कि :

(१) पाकिस्तान सरकार एक अधिनियम जारी करेगी जिसमें सभी विस्थापित भारतीय बैंकों को निष्क्रान्त सम्पत्ति नियमों से मुक्त किया जायेगा और उनको गैर-निष्क्रान्त उपक्रम घोषित किया जायेगा ।

(२) जब पाकिस्तान सरकार विस्थापित भारतीय बैंकों को अपने निष्क्रान्त सम्पत्ति नियम से मुक्त करने और उनको गैर-निष्क्रान्त उपक्रम घोषित करने के लिये अधिसूचना जारी कर लेगी, तो बैंक खातों के हस्तान्तरण का कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

(३) बैंक खातों के हस्तान्तरण के साथ साथ ही लाकरों और सेफ डिपाजिट के हस्तान्तरण का कार्य किया जायेगा ।

(४) निष्क्रान्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख के बारे में भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा अपेक्षित जानकारी देने में पूरा प्रयत्न करेगी ।

(५) दोनों देशों में धार्मिक स्थानों और अल्प वर्गों के संरक्षण और संधारण के लिये दोनों देशों के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति की एक बैठक सितम्बर अथवा अक्तूबर, १९६१ में होगी ।

उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग

*३४९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेशम

---

†मूल अंग्रेजी में

बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम उद्योग का विकास करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया है और उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]**

पटसन मिलों का बन्द किया जाना

†*३५०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री वि० दास गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री हेम बरुआ :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जूट मिल संघ के जून और जुलाई में अपने समस्त मिलों को बन्द कर देने के प्रस्ताव का सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा अनुमोदन किन विचारों से किया गया था ;

(ग) मिलों की इस प्रकार सामूहिक रूप बन्दी से उनके घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) जी, हां । केन्द्रीय तथा पश्चिम बंगाल दोनों सरकार द्वारा ।

(ख) कच्चे पटसन की अत्यधिक कमी के कारण तालाबन्दी की इजाजत दी गयी ।

(ग) इससे विशिष्ट मात्रा में कच्चे माल की स्थिरता हुई है ।

राज्य व्यापार निगम

†*३५१. **श्री दामानी :**
श्री महन्ती :
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राज्य व्यापार निगम के कार्य संचालन के सम्बन्ध में इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, लन्दन द्वारा तैयार किये गये और आर्थिक शिक्षा परिषद् बम्बई द्वारा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन के बारे में निकले एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां। सरकार को भी इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट की प्रतियां मिली हैं।

(ख) रिपोर्ट में राज्य व्यापार निगम के कुछ कार्यों की महत्ता को माना गया है परन्तु इसने कई मामलों में इसके कार्यकरण की आलोचना की है। सरकार इस आलोचना पर ध्यान-पूर्वक विचार करेगी यद्यपि यह स्पष्ट है कि कुछ आलोचना सम्बन्धित समय-काल में परिस्थितियों को ध्यान में रख कर नहीं की गई है।

पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण

†*३५२. **श्री आसर :**
श्री आचार :
श्रीमती रेणुकाराय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० मई, १९६१ को सिलचर से १३ मील दूर दुबाबाद स्थित पुनर्वास शिवर पर लगभग ३०० पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने मकानों को क्षति पहुंचाई और आभूषण तथा नकद रुपये ले कर भाग गये ;

(ग) यदि हां, तो विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) से (घ). सरकार को कोई जानकारी नहीं है। असम सरकार से ब्योरा बताने को कहा गया है जो प्रतीक्षित है। अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर, तथ्यों समेत एक विवरण सभा पटल पर रखा जावेगा।

गन्धक की आवश्यकता

†*३५३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी गन्धक की आवश्यकता है ;

(ख) क्या पूरी मात्रा भारत में उपलब्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी मात्रा उपलब्ध है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) लगभग २ लाख टन ।

(ख) और (ग). सारी आवश्यकता आयात से पूरी की जावेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता बन्दरगाह पर दो गोदी श्रमिकों की मृत्यु

†*३५४. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि ८ मई, १९६१ को कलकत्ता बन्दरगाह पर दो गोदी श्रमिकों की उस समय मृत्यु हो गई थी जब कि वे जहाज पर माल चढ़ा रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह दुर्घटना खराब स्लिग के कारण हुई । दुर्घटना का उत्तरदायित्व, जो भारतीय पत्तन श्रमिक अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत नहीं आता, पत्तन अधिकारियों द्वारा तै किया जा रहा है ।

सरकारी सांख्यिकी विभाग

†*३५५. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सांख्यिकी विभाग को बढ़ाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) कैबिनेट सचिवालय में सांख्यिकी विभाग नाम से एक नया विभाग बनाया गया है और इसको विभिन्न सांख्यिकी अभिकरणों में समन्वय करने, सहमत मानक और कार्य स्थापित करने और वैज्ञानिक आधार पर सांख्यिकी की संग्रह और संकलन का कार्य सौंपा गया है । यह विभाग केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के निकट सम्पर्क में काम करेगा और भारत सरकार और राज्य सरकारों के सांख्यिकी विशेषज्ञों की एक मंत्रणा समिति उसकी सहायता करेगी। सामान्यतः इस समिति की वर्ष में एक बार बैठक होगी परन्तु यह मुख्य निकाय की बैठक के दौरान उत्पन्न होने वाले समन्वय के मामलों पर विचार के लिये एक स्थायी समिति नियुक्त कर सकती है । इसके अतिरिक्त, विशिष्ट समस्याओं पर विचार के लिये तदर्थ प्रविधिक दल होंगे । विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा किये गये सांख्यिकी कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिये जो अन्य कदम उठाये गये हैं उनमें सांख्यिकी सेवा की स्थापना, जिसमें राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों और सांख्यिकी से सम्बन्धित अन्य संगठनों की ओर से विशेषज्ञों को भेजने की व्यवस्था होगी और सांख्यिकी की विभिन्न शाखाओं में अन्तिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री की कर्मचारियों से अपील

†*३५६. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिये कर्मचारियों से अभी हाल में कोई अपील की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या आवश्यकता थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). पिछले महीने के आरम्भ में मैंने सभी पदाधिकारियों को और अन्य लोगों को, जो विभिन्न रूपों में भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं, भारत की एकता और हमारे सभी लोगों के राष्ट्रीय और भावात्मक रूप से समेकन, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, स्थान और भाषाई दल के हो, को उच्च प्राथमिकता के बारे में सदैव स्मरण रखने के लिये अपील जारी की। जैसा मैंने अपील में बताया है, हम अपने राष्ट्रीय अस्तित्व में एक शोचनीय अवस्था में हैं, हमने अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाई है जो हमें आशा है, हमें गरीबी के गर्त से निकालेगी जिसने लाखों के लिये अप्रसन्नता और पतन को जन्म दिया है। योजना की कार्यान्विति बहुत हद तक सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर है। यह आवश्यक है कि अब, पहले से कहीं अधिक, सभी सरकारी कर्मचारी देश के नियोजित कार्यक्रम और देश की एकता और शक्ति की सफलता के लिये दिल से काम करें। मैं चाहता था कि इस बात को सभी सरकारी कर्मचारी समझ लें। अतः मैंने उनके लिये यह अपील जारी की थी।

सूती कपड़े का व्यापार

†*३५७. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के प्रेसीडेंट केनेडी ने भारत को यह सुझाव दिया है कि सूती कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वह सूती कपड़ा उत्पादन करने वाले तथा उसका निर्यात करने वाले देशों से शीघ्र ही बातचीत करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इसके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) भारत ने जुलाई, १९६१ में प्रशुल्क तथा व्यापार सामान्य करार कपड़ा सम्मेलन में भाग लिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

भेषज संयंत्र

†*३५८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री भक्त दर्शन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कुन्हन :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेकराम नेगी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री इकबाल सिंह :
श्री अनिरुद्ध सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार को सोवियत विशेषज्ञों से भेषज संयंत्रों के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उसके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). भेषज संयंत्रों सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हाल ही में रूसी प्राधिकारियों से प्राप्त हुए हैं और इस समय उनकी जांच की जा रही है ।

दण्डकारण्य में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ट्रेक्टर

†*३५९. { **श्री चुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद से सरकार ने दण्डकारण्य में भूमि ठीक करने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा दिये गये ट्रेक्टर डी०–८० तथा डी०१२ के टूटने एवं उनके असंतोषजनक कार्य के लिये जांच करने के हेतु जो विशेषज्ञ नियुक्त किये गये थे उनके निर्णयों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) सरकार अभी प्रतिवेदन पर विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा निर्णय किये जाने तक दण्डकारण्य विकास प्राधिकार और आयुध कारखानों के महा-निदेशक को मशीनों के संधारण और मरम्मत और सुधार, परिवर्द्धन और परिवर्तन के बारे में रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रियाकारी भागों को कार्यान्वित करने को कहा गया है ।

निर्यात की वृद्धि

†*३६०. { **श्री पांगरकर :**
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ मार्च, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात वृद्धि करने वाले संगठनों में कमी करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). मामले की अभी जांच की जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश में एस्बेस्ट्स का कारखाना

†*३६१. { **श्री गोरे :**
श्री पांगरकर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ फरवरी, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में एस्बेस्ट्स निक्षेपों का विधायन (प्रोसेसिंग) करने वाले कारखाने की स्थापना करने के बारे में सरकार ने उसके बाद कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, नहीं । एस्बेस्ट्स की उपलब्धता और मशीनीकृत खनन तरीकों की स्वीकार्यता की अभी जांच की जा रही है और अभी ये कारखाना स्थापित करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी प्रतिष्ठानों में सरकारी कर्मचारियों को रोजगार

†*३६२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री विद्या चरण शुक्ल : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रोफेसर जे० के० गैलब्रेथ की उस सिफारिश पर विचार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी सेवारत सरकारी कर्मचारी को किसी सरकारी निगम का संचालक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सुझावों को स्वीकार कर लिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जैसा सदन को ज्ञात है, सरकार सरकारी निगमों और कम्पनियों के प्रशासन के बारे में व्यापक प्रस्थापना पर विचार कर रही है और सराकारी कर्मचारियों के बारे में प्रोफेसर गैलब्रेथ के सुझाव की उस सम्बन्ध में जांच की जायेगी ।

जापान के लिए अयस्क का निर्यात

†*३६३. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१ के दौरान में जापान को अयस्क का निर्यात करने तथा १९५९–६० की तुलना में जापान द्वारा अधिक मूल्य दिये जाने के बारे में भारत के राज्य व्यापार निगम तथा जापान इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो जो परिणाम निकले उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम और जापानी इस्पात मिलों के बीच कार्य वार्ता के फलस्वरूप मिलें १९६१–६३ की अवधि में ६५/६२ श्रेणी का ६० लाख टन लौह अयस्क खरीदने को राजी हो गई है । शर्तों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है । ६५ / ६५ और ६२ /६० श्रेणी के लौह-अयस्क की बिक्री के बारे में वार्ता जारी है ।

मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योग

†*३६४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी बारीक साड़िया बनने लगी हैं जो कि अंगूठी में से निकल सकती हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या देश व्यापी स्तर पर इस उद्योग के विकास के लिए सरकार का विचार कोई सहायता देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता होगी तथा कितनी सहायता दी जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रबड़ का उत्पादन

†*३६५. **श्री अरविन्द घोषाल**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६६०–६१ में रबड़ के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं। वर्ष १६५६–६० की अपेक्षा वर्ष १६६०–६१ में १५२३ मीटरिक टन रबड़ की वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लाओस में भारतीय राष्ट्रजन

†*३६६. **श्री प्र० गं० देव** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाओस के जैंग खुआंग क्षेत्र में, जो कि वामपक्षियों के अधिकार में है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां रहने वाले भारतीयों को वह क्षेत्र छोड़ना आवश्यक हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारतीय राष्ट्रजनों को वहां से निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) कितने भारतीयों को वहां से निकाला गया है तथा कितने वहां रह गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (घ). यह रिपोर्ट मिली कि जैंग खुआंग क्षेत्र में इस वर्ष के आरम्भ में १५ भारतीय राष्ट्रजनों को सभी सम्बन्धों से पृथक कर दिया गया। उन में से अधिकांश कपड़ा व्यापारी थे और माल के आयात की सुविधाओं के अभाव में उनका व्यापार नहीं चल रहा था। अप्रेल, १६६१ में फ्रेंच मिलिटरी मिशन के जरिये लाओस स्थित हमारे राजदूत को एक संदेश मिला कि भारतीय राष्ट्रजन अपने खर्च पर वह स्थान छोड़ना चाहते हैं। लाओस स्थित हमारे राजदूत द्वारा इस मामले पर सम्बन्धित प्राधिकारियों से स्वयं बात-चीत कर लेने के बाद सभी १५ भारतीय राष्ट्रजनों को सुरक्षा पूर्वक एक भाटक विमान में, जिसका चालक फ्रांसीसी था, बाहर निकाला गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाल बियरिंग उद्योग

†*३६७. **श्री प्र० च० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाल बियरिंग उद्योग का विकास एवं उसका आधुनिकीकरण करने के लिये रूस को छोड़कर अन्य दूसरे देशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या और उसका क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सरकारी क्षेत्र में बाल और रोलर बियरिंग के निर्माण करने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नेपाली व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल

†*३६८. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री प्र० च० बरुआ :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री आसर :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर १९६० में हस्ताक्षरित भारत-नेपाली व्यापार करार में कुछ संशोधन करने के लिए इस वर्ष मई में नेपाली-व्यापार प्रतिनिधि-मंडल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन किये गये ; और

(ग) बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) ये संशोधन भारतीय प्रदेश में होते हुए नेपाल से और नेपाल को माल के परिवहन के लिये भारत-नेपाल संधि में लगे ज्ञापन में बतायी गयी प्रक्रिया के बारे में थे ।

(ग) इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप, हम माल के परिवहन के बारे में नियमों में कुछ ढील देने को राजी हो गये हैं और इस ढील के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि नेपाली आयातकों की कठिनाईयां बहुत कुछ दूर हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हथकरघा उद्योग की वस्तुओं का निर्यात

†*३६९. { श्री हेम बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय हथकरघा उद्योग की वस्तुओं के विदेशी खरीददारों ने आम-तौर से शिकायत की है कि निर्यातित हथकरघा वस्तुओं की किस्म (क्वालिटी) खराब होती है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यातित वस्तुओं की किस्म का स्तर बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या विदेशों को निर्यात की जाने वाली हथकरघा उद्योग की वस्तुओं की बराबर जांच करने का कोई विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब से लागू होगा ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) निम्न स्तर के हस्तशिल्प के निर्यात, खराब पैकिंग आदि के बारे में विदेशी क्रेताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) विदेशी आयातकों में विश्वास पैदा करने और भारतीय निर्यातकों को अच्छा माल के निर्यात करने के लिये प्रेरित करने के लिये विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं जैसे (क) निर्यातकों का पंजीयन (ख) किस्म नियंत्रण योजना लागू करना (ग) पैकिंग में प्रशिक्षण (घ) सुविधायें देना जैसे लकड़ी सुखाने के भट्टे और (ङ) माल के जहाज पर लादने से पूर्व उनकी ऐच्छिक रूप से जांच करना ।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा स्थापित की गयी किस्म नियंत्रण और नौ-भरण पूर्व परीक्षण सम्बन्धी तदर्थ समिति ने निर्यात के लिये हस्तशिल्प की कुछ वस्तुओं की अनिवार्य जांच की सिफारिश की है । कथित समिति के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

सन्त सिंह तेग की प्रधान मंत्री से भेंट

*३७०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर अकाली दल के प्रधान श्री सन्तसिंह तेग कुछ समय पहले प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने पाकिस्तान में अपने वक्तव्य के बारे में कुछ स्पष्टीकरण किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस स्पष्टीकरण का व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री संत सिंह तेग जम्मू और काश्मीर राज्य के हितों के विपरीत कार्य करने के लिए नज़र बन्द कर दिए गए थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). यह सच है कि श्री संत सिंह तेग प्रधान मंत्री से उनके निवास स्थान पर थोड़ी देर के लिए मिले थे। उन्होंने कहा कि उनके बारे में अखबारों में जो रिपोर्टें छपी थीं, वे ठीक नहीं थीं।

(ग) पता चला है कि जम्मू और काश्मीर की सरकार ने श्री संत सिंह तेग को कुछ समय के लिए नज़रबन्द किया था।

मध्य-पूर्व अफ्रीका को रसायनों का निर्यात

†५६४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८०६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच मध्य-पूर्व अफ्रीका को रसायनों का निर्यात बढ़ाने के लिए वहां भेजे गये प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट की परीक्षा करली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) प्रतिनिधि मंडल जिन जिन देशों में गया उसने उनमें से प्रत्येक के लिए अपेक्षित रसायनों की बाजार में स्थिति तथा उनका भारत से भेजे जाने की संभावनाओं का अध्ययन किया। यह काम रसायन तथा भेषज निर्माताओं और निर्यातकर्ताओं का है कि वे इस प्रकार एकत्रित की गई जानकारी का अधिकतम लाभ प्रद ढंग से प्रयोग करें।

रूरकेला इस्पात परियोजना के आस पास छोटे पैमाने के उद्योग

†५६५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात परियोजना के क्षेत्र के आस पास छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने संबंधी रिपोर्ट को पुनरीक्षण करके अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]

दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण

†५६६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण पूरा करने में आगे क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण फरवरी, १९६१ के अन्त में पूरा कर लिया था। कुल ४९८३ औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया था और इस प्रकार एकत्रित जानकारी संकलित की जा रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ता ट्रामवेज़ की हड़ताल की जांच पड़ताल की रिपोर्ट

†५६७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता ट्रामवेज़ की हड़ताल की जांच पड़ताल की रिपोर्ट के प्रकाशन के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). केन्द्रीय कार्यान्विति तथा मूल्यांकन समिति ने मार्च, १९६१ में अपनी पिछली बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया था और उसे स्वीकार किया परन्तु इसके प्रकाशन का प्रश्न और आगे विचार किये जाने के लिए छोड़ दिया।

न्यूयार्क में व्यापार केन्द्र

†५६८ { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूयार्क में एक व्यापार-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

सांभर झील के संसाधनों का उपयोग

†५६९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४६ के के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांभर झील के संसाधनों का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को दिये जाने वाले मुआवजे संबंधी विवाद के बारे में मध्यस्थ ने अपना निर्णय दे दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) निर्णय की एक प्रति संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या ३०७०/६१]

कालीन उद्योग का सर्वेक्षण

†५७०. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कालीन उद्योग का सर्वेक्षण समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की रिपोर्ट का व्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सर्वेक्षण अभी समाप्त नहीं हुआ है ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जम्मू तथा काश्मीर में कागज की मिलें

†**५७१. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बीच जम्मू तथा काश्मीर में कागज की मिलों के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). इस बीच प्रश्नास्पद रिपोर्ट पर विचार किया जा चुका है। विशेषज्ञ ने पर्याप्त जानकारी नहीं दी है और उसकी और अधिक जांच पड़ताल की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त रूसी विशेषज्ञों का एक दल जम्मू तथा काश्मीर के वन संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए शीघ्र ही भारत आने वाला है। दल वहां कागज तथा लुगदी का कारखाना स्थापित करने की संभावना पर जांच करेगा। दल के आने तथा उसकी सिफारिशों के बाद ही अन्तिम निश्चय किया जायेगा।

क्लर्कों के लिये क्वार्टर

†**५७२. श्री खुशवक्त राय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में ५०० रु० से कम मासिक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों को क्वार्टर मिले हुए हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कितने कर्मचारी क्वार्टर चाहते हैं; और

(घ) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना लागू की है जिससे क्वार्टर चाहने वाले सभी क्लर्कों को क्वार्टर मिल जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) दिल्ली में ५०० रु० से कम मासिक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या ६४,६६५ है। इन सभी ने सामान्य 'पूल' के आवास के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं।

(ख) २५,६२०।

(ग) उनमें से ३९,०७५ को अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला है।

(घ) सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर नहीं दिये जा सकेंगे। फिर भी, अधिक क्वार्टर बनाने के लिए निश्चित किये गये संसाधनों से अधिकाधिक क्वार्टर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी क्वार्टर क्लर्कों के लिए विशेष रूप से नहीं बनाया जाता।

महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग

†५७३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे पैमाने के उद्योग प्रोग्राम के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में महाराष्ट्र राज्य को कितना औद्योगिक ऋण दिया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : तृतीय पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए ३८८.० लाख रु० का उपबन्ध किया गया है। इस राशि में से १ करोड़ रु० उनके उद्योगों को सरकारी सहायता अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए हैं। यह बताना संभव नहीं है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्र महाराष्ट्र राज्य को कितनी ऋण-सहायता देगा। राज्यों को ऐसी ऋण-सहायता की राशि इस बात पर निर्भर होगी कि केन्द्र की संसाधन स्थिति, राज्य का पिछला कार्य, आदि जैसे विभिन्न विचारों के आधार पर प्रतिवर्ष कितना आवंटन किया जाता है।

बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग

†५७४. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में १९६०–६१ में विस्थापित व्यक्तियों के लिए कितनी छोटी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गईं; और

(ख) उनका व्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) श्रीमान, कोई नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चीन जाने वाले भारतीयों को पारपत्र

†५७५. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में चीन जाने के लिए कितने भारतीयों को पारपत्र दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मार्च, अप्रैल और मई, १९६१ के तीन महीनों में चीन की यात्रा करने के लिए १७२ भारतीयों को पारपत्र दिये गये। उनमें ९७ पारपत्र सरकारी तथा राजनयिक व्यक्तियों के थे।

नेपा मिल्स

†५७६. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अखबारी कागज तथा कागज मिल्स लि०, नेपानगर का नियंत्रण तथा प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के बाद वहां भर्ती के लिए स्थायी तथा विशेष तदर्थ समितियों सहित कितनी चुनाव समितियां नियुक्त की गई है; और

(ख) इन समितियों में से कितनी समितियों में राज्य सरकार प्रतिनिधियों को नियमित रूप में सम्मिलित किया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नेपा मिल्स का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिए जाने के बाद मध्य स्तर के पदों की भर्ती के लिए एक चुनाव समिति और निम्न स्तर के कर्मचारियों के चुनाव के लिए तीन तदर्थ समितियां बनाई गई हैं।

(ख) उच्च पदों के लिए नियुक्तियां संचालक-बोर्ड करता है और उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। नेपा मिल्स के प्रबन्धकवर्ग से कहा गया है कि मध्य स्तर और निम्न श्रेणी के पदों के लिए भी भर्ती/चुनाव करने वाली उपयुक्त समितियों में यदि संभव हो तो राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करे।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए गारन्टी योजना

†५७७. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए ऋण की गारन्टी योजना को और अधिक जिलों पर लागू करने का विचार कर रही है ; और

(ख) क्या ऋण सुविधाओं को ढीला करना और इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७**]

दूसरी योजना में मैसूर और आंध्रप्रदेश

†५७८. { **श्री अगाड़ी** : **श्री सुगन्धि** :

क्या **योजना** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर और आंध्र प्रदेश के लिए विभिन्न मदों के अन्तर्गत उपयुक्त, व्यपगत और अग्रेनि राशियां कितनी कितनी हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि उपरोक्त का उत्तर नकारात्मक हो तो ये आंकड़े कब तक उपलब्ध होने की आशा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् १९६०–६१ के वास्तविक व्यय के आंकड़े अक्टूबर, १९६१ में किसी समय उपलब्ध होंगे ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ दफ्तर

†**५७९. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग के फीरोजशाह रोड, नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित पूछताछ दफ्तरों में कितने कितने व्यक्ति काम करते हैं ; और

(ख) उनकी श्रेणियां और वेतनक्रम क्या हैं ?

[**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८]**

घड़ियों के पुर्जों का निर्माण

†**५८०. श्री किस्तैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में और गैर सरकारी उद्योग में घड़ियों और दीवाल घड़ियों से सम्बन्धित निम्नलिखित देशी सामग्री के निर्माण का कोई प्रस्ताव है :

(१) घड़ियों के केस

(२) डायल

(३) बटन

(४) सुइयां

(५) लूप आदि ;

(ख) अभी ये पुर्जे किन किन देशों से आयात किए जाते हैं ; और

(ग) इन चीजों के निर्माण के लाइसेंस जारी किए जाने के लिए सरकार के पास कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) घड़ियों/दीवाल घड़ियों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा अभी तक अनुमोदित समस्त योजनाओं में समस्त पुर्जों का देश में निर्माण भी सम्मिलित है ।

(ख) मुख्यतः स्विटजरलैंड, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, हांगकांग और जापान ।

(ग) कोई नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैपस्यूल निर्माण करने वाले यूनिट

†५८१. **श्री किस्तैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में कैपस्यूल कवर निर्माण करने वाले कितने यूनिट राज्य-वार चल रहे हैं ;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) प्रमुख भारतीय फर्मों के साथ सहयोग से कितनी विदेशी फर्में चल रही हैं और उनका कुल विनियोजन कितना है ;

(घ) क्या इन फर्मों का उत्पादन देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त होगा ; और

(ङ) उससे विदेशी मुद्रा की कुल कितनी बचत होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) महाराष्ट्र राज्य बम्बई में दो फर्में चल रही हैं। एक फर्म दो पीस के हार्ड जिलेटिन कैपस्यूल[१] बनाती है और दूसरी एक पीस के साफ्ट जिलेटिन कैपस्यूल[२] ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है और चाहे जाने पर एकत्रित की जायेगी।

(ग) इस समय कोई भी फर्म विदेशी फर्मों का सहयोग नहीं ले रही है ।

(घ) दो पीस के हार्ड जिलेटिन कैपस्यूल बनाने वाली फर्म को अपनी क्षमता के २४०० लाख कैपस्यूल प्रतिवर्ष बनाने के लिए विस्तार के लिए लाइसेंस दिया गया है । इसके अतिरिक्त दो और यूनिटों को २५०० लाख कैपस्यूल प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गये हैं। यदि ये सब फर्में समस्त लाइसेंस प्राप्त क्षमता स्थापित करलें तो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी। इस समय एक पीस के साफ्ट कैपस्यूलों की क्षमता भी पर्याप्त है ।

(ङ) केवल दो पीस के हार्ड जिलेटिन कैपस्यूलों का आयात किया जाता है । इन आयातों का मूल्य लगभग २० से २५ लाख रुपये आंका जाता है। आयात की गई आवश्यक कच्ची सामग्री के हिसाब से १० लाख रुपए की बचत होने का अनुमान है ।

बिजली की करेंट का बदला जाना

†५८२. **श्री किस्तैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंखों, रेडियो और अन्य समान यांत्रिक उपकरणों के उपयोग के लिए बिजली को ए० सी० से डी० सी० में और डी० सी० को ए० सी० में बदलने के लिए कन्वर्टर्स के निर्माण की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी योजनाओं पर विचार किया गया है, उन फर्मों के नाम क्या हैं और वे कितनी लागत की हैं ;

(ग) कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Two-piece hard gelatine capsules.

[२] Single-piece soft gelatine capsule.

(घ) उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) पंखों, रेडियो आदि जैसे छोटे उपकरणों के लिए बिजली के डी० सी० करेंट को ए० सी० करेंट में बदलने के लिए रोटरी कन्वर्टर्स के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं है। परन्तु बैटरी चार्जिंग, एलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि यंत्रों के लिए ए० सी० करेंट को डी० सी० करेंट में बदलने के लिए रेक्टीफायर उपकरण अनेक फर्मों द्वारा बनाए जा रहे हैं। रेडियो, एम्लीफायर और अन्य समान उपकरणों के प्रयोग के लिए डी० सी० करेंट को ए० सी० करेंट में बदलने के लिए छोटे छोटे वाइब्रेटर्स भी इस समय एक फर्म द्वारा बनाए जा रहे हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६९]**

(ग) इस समय कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पालिस्टाईरीन प्लास्टिक[१]

†५८३. **श्री किस्तैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी उद्योग क्षेत्र में पॉलिस्टाईरीन और एक्राइलिक प्लास्टिक[२] उद्योग चालू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) ये किन देशों से आयात किए जाते हैं और वर्ष १९५९–६० के आयात का मूल्य कितना है ; और

(ग) देश के लाभ के लिए इन प्लास्टिक चादरों के विभिन्न लाभकारी प्रयोग क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) नहीं, श्रीमान।

(ख) पॉलिस्टाईरीन और एक्राइलिक प्लास्टिक के आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये चीज भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अलग से दर्ज नहीं की जाती हैं। परन्तु वित्तीय वर्ष १९५९–६० में पॉलिस्टाईरीन प्लास्टिक और एक्रइलिक प्लास्टिक के लिए क्रमशः ४,३१४,००० रुपए और ४२,००० रुपए के आयात लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ग) 'हाई इम्पैक्ट पॉलिस्टाईरीन' से बनी पॉलिस्टाईरीन चादरों का उपयोग वैकुअम फार्मिंग, 'रेफ़्रिजिरेटर डोर लाइनिंग' जैसी औद्योगिक चीजों, बैटरी केसों, एयर कन्डीशनर ग्रिल और कुछ रेडियो के भागों के लिये किया जाता है। एक्राइलिक चादरें सामान्यतः मोटर कार और मोटर साइकिल चादरों, विमान के डोम ट्रान्सलूसेंट लाइट फिटिंग और विज्ञापन के साधनों के काम में लाई जाती हैं। उन्हें कभी कभी मोटर गाड़ियों के पीछे के लैम्पों और कभी कभी रेल गाड़ियों में भी काम में लाया जाता है। नालीदार चादरों के रूप में उन्हें छत को प्रकाशित करने में, विशेषकर औद्योगिक संस्थापनों में, काम में लाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Polystyrene plastic.

[२] Acrylic plastic.

घड़ियों का आयात

†५८४. श्री किस्तैया : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में भारत में राज्य व्यापार निगम के द्वारा रूसी घड़ियों के आयात किए जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितने की और उनका देश में वितरण किस प्रकार होगा; और

(ग) क्या ये घड़ियां बाजार में नियंत्रित और सस्ते मूल्य पर बेची जायेंगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं , श्रीमान् ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

सिनेमा आर्क कार्बन[1]

†५८५. **श्री किस्तैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा आर्क कार्बनों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिये उनका देश में निर्माण किया जाता है ;

(ख) कितनी फर्में यह कार्य कर रही हैं और उनका विनियोजन कितना है; और

(ग) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). इस समय केवल दिल्ली की इन्डस्ट्रियल नेशनल कार्बन कम्पनी लिमिटेड नामक फर्म राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की सहायता से आयात किए गए 'कार्बन कोर्स' से सिनेमा आर्क कार्बनों का निर्माण कर रही है । इस फर्म की उत्पादन क्षमता अप्रैल, १९६१ में सिनेमा कार्बनों के एक लाख जोड़े हो गई है जब कि लाइसेंस प्राप्त क्षमता १२ लाख प्रतिवर्ष है । फर्म की निर्गमित पूंजी १० लाख रुपये बताई जाती है । लगभग ५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत है ।

ट्रान्सफार्मर[2]

†५८६. **श्री किस्तैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये सरकारी उद्योग क्षेत्र में ४५६ किलोसाईकिल के आई० एफ० ट्रान्सफार्मरों के निर्माण को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) देश में कितनी फर्में इनका निर्माण कर रही हैं और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) कितने मामले लाईसेंस दिए जाने के लिये विचाराधीन हैं और इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Cinema Arc Carbons.

[2] Transformers.

उड़ीसा के लिए सीमेंट

†५८७. **श्री बैं० च० मलिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को राज्य के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मार्च, १९६१ के पश्चात् सीमेंट का और कोटा आवण्टित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना सीमेंट आवण्टित किया गया ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की चालू वित्तीय वर्ष की सीमेंट की आवश्यकताओं का कोई संकेत दिया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी आवश्यकता का संकेत किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता :

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई

†५८८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को समस्त पंचवर्षीय योजना अवधि में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए कुल कितनी राशि वर्ष-वार आवण्टित की गई है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत पंजाब के लिये कौन कौन सी परियोजनायें मंजूर की गई है; और

(ग) पंजाब सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये कितना धन काम में लाया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग) आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ७१**]

जम्मू तथा काश्मीर में ऊनी कपड़ा उद्योग

†५८९. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में ऊनी कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इस दिशा में पिछले दो वर्षों में किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीड़ी उद्योग

†५६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों की स्थिति के सम्बन्ध में हाल में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) उनकी स्थिति के सुधार के लिये क्या मार्गोपाय सुझाए गए हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) से (ग). हाल के वर्षों मे बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों की स्थिति के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है ?

कैम्पों में पश्चिम बंगाल के शरणार्थी

५६३. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन शरणार्थियों की संख्या कितनी है जो अब तक कैम्पों में हैं ;

(ख) उन्हें अकर्म वेतन देने पर प्रति दिन कुल कितना रुपया खर्च किया जाता है; और

(ग) यह रुपया कब से खर्च किया जा रहा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) १५–७–६१ को ३०,६०० शरणार्थी।

(ख) अन्दाज़न खर्चा प्रत्येक शरणार्थी का २५ रुपये प्रति मास आता है।

(ग) हालांकि बाजार के उत्तर-चढ़ावके कारण राशि परिवर्तित होती रही होगी किन्तु पोषण अनुदान उस तिथि से ही दिया जाता है जिस तिथि से शरणार्थी कैम्प में प्रवेश करता है। विभाजन के उपरान्त कैम्प खोले गए थे जब कि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आने शुरू हुए थे। १९५८ के आरंभ तक यह कार्यवाही चलती रही।

बाल बेयरिंग

५६४. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष रूस से बाल बेयरिंग वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये आयात किये जा सकते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : जी हां।

सरकारी उद्योग

५६५. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९६१ को सरकारी उद्योगों में (उद्योगवार) कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रशासकीय प्रभार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है जो यथा शीघ्र सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में भारतीय मिशनों के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाना

५९६. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने की कोई योजना बनाई है ।

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या ऐसी कोई योजना बनाई जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ) तक: विदेश-स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों को इसका प्रोत्साहन दिया जाता है और यथासंभव सुविधायें भी दी जाती हैं कि वे अपने कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध करें । निश्चय ही, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी विशेष केन्द्र पर, हिन्दी जानने वाले योग्य कर्मचारी हैं या नहीं । फ़िलहाल हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध कोलंबो, कैंडी, दमिश्क, जेद्दा, क़ाबुल, कंधार, रंगून, तेहरान और वाशिंगटन स्थित भारतीय मिशनों में है । अमले के जो सदस्य हिन्दी की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, उन्हें उसका पारिश्रमिक भी दिया जाता है ।

निपटारा अधिकारियों[1] के कार्यालयों में कार्य का तेजी से निपटारा

†**५९७. श्री चुनी लाल :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निपटारा अधिकारियों और प्रबन्धक अधिकारियों के कार्यालयों में कार्य के शीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम, यदि कोई हों, उठाए गए हैं; और

(ख) क्या प्रार्थनापत्रों और मामलों के निपटारे के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) कार्य के निपटारे की प्रगति पर दृष्टि रखी जाती है और प्रक्रिया संबंधी गत्यावरोधों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं । निपटारा संगठन में कार्य के शीघ्र निपटारे के लिए समय समय पर प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन और विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन जहां कहीं आवश्यक हो, किए गये हैं ।

(ख) अभी तक कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है । परन्तु मुख्य निपटारा आयुक्त के संगठन में शेष समस्या का निर्धारण किया जा रहा है ।

बारी के बाहर आवण्टन

†**५९८. श्री चुनीलाल :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कितने अधिकारियों को, वर्षवार और वेतन-क्रमवार, बारी के बाहर आवण्टन मंजूर किए गए हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Settlement Officers.

(ख) कितने अधिकारियों को अधिभावी प्राथमिकता के आधार पर क्वार्टर मंजूर किए गए हैं और ऐसी मंजूरी के क्या कारण हैं ;

(ग) बारी के बाहर क्वार्टर के लिए कितने अधिकारी श्रेणी-वार प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(घ) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें बारी के बाहर आवण्टन एक या दो वर्ष पूर्व मंजूर किए गए थे परन्तु जिन्हें अभी त क क्वार्टर नहीं मिले हैं; और

(ङ) सरकार उन लोगों को क्वार्टर देने के लिए क्या कदम उठा रही है जो बारी के बाहर आवण्टन की प्रतीक्षा-सूची में हैं और जिन्हें तुरन्त ही क्वार्टर की आवश्यकता है?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). दिल्ली/नई दिल्ली में जनरल-पूल में से क्वार्टर के लिए हकदार ऐसे अधिकारियों की संख्या, जिन्हें वर्ष १९५८–५९, १९५९–६०, और १९६०–६१ में अधिभावी प्राथमिकता अथवा बारी के बाहर आवण्टन के लिए मंजूरियां दी गई थीं; वर्ग-वार परिशिष्ट 'ए' में दी गई है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ७२]** अभिभावी प्राथमिकता के लिए मंजूरियां, जो मंत्री अथवा उपमंत्री के अनुमोदन से दे दी जाती हैं, सामान्यतः निम्नलिखित आधारों पर दी जाती हैं:

(१) बीमारी के आधार पर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा सिफारिश किए जाने पर,

(२) न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत किराएदारी अथवा उपकिराएदारी की समाप्ति पर;

(३) सरकारी क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर उसके पुत्र अथवा पुत्री को जो सरकारी सेवा में हो;

(४) सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्ति के पुत्र अथवा पुत्री, जो सरकारी सेवा में हो, को यदि उसका वेतन और उसके पिता की पेन्शन मिलकर २५० रुपए मासिक से अधिक न हो।

(५) यदि किसी अधिकारी द्वारा अधिकृत प्राइवेट मकान दैवी कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाये अथवा खतरनाक हालत में हो; और

(६) किसी भी अन्य अत्यधिक कठिनाई वाले मामले में।

(ग) और (घ). १ अगस्त, १९६१ की स्थिति परिशिष्ट 'बी' में दी गई है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(ङ) आवंण्टन वर्तमान क्वार्टरों के खाली होने अथवा बनने वाले क्वार्टरों के पूरा हो जाने पर निर्भर हैं। बारी के बाहर आवण्टनों के लिए रिक्तताओं का आवण्टन सामान्य बारी के लिए प्रतीक्षा करने वाले अधिकारियों की आवश्यकताओं और वैध आकांक्षाओं का विचार रखते हुए किया जाता है। परन्तु मुनीरका गांव के निकट 'जी०', 'एफ०' और 'ई०' श्रेणी के जो क्वार्टर बनकर समाप्त होने वाले हैं उनका काफी प्रतिशत बारी के बाहर आवण्टन के लिए निर्धारित करने का प्रस्ताव है। यह वर्तमान बस्तियों में बारी के बाहर आवण्टन के लिए उपलब्ध की जाने वाली रिक्तताओं के प्रतिशत के अतिरिक्त होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटसन का निर्यात

†५९९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कच्चे पटसन का निर्यात कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) कच्चे पटसन का निर्यात करने की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

उर्वरक कार्यक्रम

†६००. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक कृषि विशेषज्ञ डा० रेमॉण्ड एवेल ने यह मत व्यक्त किया है कि भारत के उर्वरक कार्यक्रम की प्रगति बहुत खराब है ;

(ख) क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या उपपत्तियां और सिफारिशें हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ङ). डा० एवेल का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत-चीन सीमा विवाद सम्बन्धी रिपोर्ट

६०१. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-चीन सीमा विवाद के बारे में भारतीय पदाधिकारियों ने जो रिपोर्ट पेश की थी क्या वह भारत की प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो भाषावार कितनी प्रतियां प्रकाशित की गईं; और

(ग) उन प्रतियों में से कितनी प्रतियां निःशुल्क वितरित की गईं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां। अब तक रिपोर्ट गुजराती, मलयालम, और उर्दू में छप चुकी हैं। इसके हिन्दी, असमिया, गुरूमुखी, कन्नड़, मराठी, उरिया, और तमिल संस्करण छप रहे हैं। बंगला और तेलुगु संस्करण के मैनुस्क्रिप्ट (पांडुलिपियां) तैयार हो रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भाषा	छपी जा चुकीं या छापी जा रही प्रतियों की संख्या
गुजराती	३०००
उर्दू	२०००
मलयालम	४०००
हिन्दी	७००० छप रही हैं
तमिल	४००० ,,
गुरुमुखी	२००० ,,
मराठी	३००० ,,
कन्नड़	३००० ,,
असमिया	२००० ,,
उरिया	२००० ,,

(ग) गुजराती और उर्दू संस्करणों की ५,००० प्रतियां निःशुल्क बांटी गई हैं। अन्य भाषाओं के संस्करणों की प्रतियां भी निःशुल्क बांटी जायेंगी।

नागा विद्रोही

†६०२. **श्री अमजद अली :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के तुएनसांग जिले में अप्रैल, १९६१ के अंतिम सप्ताह में बीस सशस्त्र नागा विद्रोही दो मुठभेड़ों मे मारे गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख) तुएनसांग जिले से आसाम राइफल्स की एक टुकड़ी ने नागा विद्रोहियों के शिविरों पर २६ अप्रैल, १९६१ और ३ मई, १९६१ को दो धावे किए थे। आसाम राइफल्स के २ जूनियर कमीशन्ड अफसर तथा २ अन्य अधिकारी मरे तथा २ अन्य अधिकारी घायल हुए।

नागाओं के छिपने के स्थानों से सात राइफलें, एक टामी गन, तीन हथगोले और कुछ कुछ गोला बारूद बरामद हुए।

रूस को जूतों का निर्यात

†६०३. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में महिलाओं के जूतों के खरीदारों द्वारा पसंद किए गए नमूनों के संबंध में यह सूचना प्राप्त हो गई है कि प्रत्येक नमूने के कितने जूते भेजने हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सोवियत रूस के खरीद संगठनों से १९६१ के लिए प्राप्त स्त्रियों के जूतों के व्यादेशों का व्यौरा नीचे दिया जाता है :—

ऊंची एड़ी के जूते	७५,०००
दरम्यानी एड़ी के जूते . . .	११,०००
नीची एड़ी के जूते . .	९३,०००
योग	१,६९,००० जोड़ी

हिन्दुस्तान मशीनी औजार फैक्टरी, बंगलौर

†६०४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलौर की हिन्दुस्तान मशीनी औजार फैक्टरी में कर्मचारियों की सहभागिता योजना को पुनः आरंभ करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों को इस में भाग मिले इस का फैसला कर लिया गया है और वहा के प्रबंधक संयुक्त प्रबन्ध परिषद् को पुनः चालू करने के लिये कार्य कर रहे हैं ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†६०५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेन देन के आधार पर मैंगनीज अयस्कों के निर्यात से संबंधित मामलों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हां । मैंगनीज अयस्क संबंधी चालू निर्यात नीति के अन्तर्गत, लेन देन के आधार पर मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने दिया जाता है यदि (क) सौदा सरकारों के बीच हो, और (ख) मैंगनीज अयस्क का विदेशी क्रेता उपभोक्ता भी हो ।

मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लेन देन के आधार पर इस्पात और इस्पात की वस्तुओं का आयात करने का विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस के साथ व्यापार-करार

†६०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ व्यापार करार के बारे में बातचीत आरंभ कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रूस को हथकरघा वस्तुओं के निर्यात का कोई अवसर है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान् । रूस के साथ वर्तमान व्यापार करार १६–११–५८ को किया गया था और यह ३१–१२–६२ तक चलेगा । प्रत्येक पत्री वर्ष के आरंभ होने से पूर्व करार पर पुर्नविचार किया जाता है । १९६२ के आरंभ से पहले वर्तमान करार पर अगला पुर्नविचार किया जाएगा ।

(ख) रूस को हथकरघा कपड़ों के निर्यात की गुंजाइश पर तब विचार किया जाएगा जब व्यापार करार पर पुर्नविचार किया जाएगा ।

जम्मू और काश्मीर राज्य में घड़ी फैक्टरी

†६०७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और काश्मीर राज्य में एक घड़ी फैक्टरी लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं समझा गया चूंकि दूसरा पक्ष स्वयं योजना आरंभ करना नहीं चाहता अपितु यह चाहता है कि इसे राज्य सरकार करे । योजना की कोई अधिक प्रगति नहीं हो रही है ।

संयुक्त प्रबंध परिषदें

†६०८ **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों के प्रतिनिधियों को मार्च १९६१ के चौथे सप्ताह में उन के उपक्रमों में संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने के लिये दिल्ली बुलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इसके बारे में भावी कार्यक्रम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख) कुछ उपक्रमों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, किन्तु बैठक स्थगित कर दी गई ।

(ग) चुने हुए उपक्रमों में संयुक्त प्रबंध परिषदें स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में अफरीका के लिये नया डिवीजन

†६०९. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में अफरीका के लिये एक नया डिवीजन बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा एक डिवीजन खोलने का फैसला किया गया है ।

आर्थिक शक्ति का केन्द्रित हो जाना

†६१०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो जाने को रोकने के लिये प्रशासनिक कार्रवाई करने की संभावना का गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार की नीति के उद्देश्य तथा इस दिशा में जो विभिन्न उपाय लगातार किये जा रहे हैं उनकी मोटी रूपरेखायें पंचवर्षीय योजनाओं, सरकार के विविध संकल्पों, संसद में एवं संसद् से बाहर प्रधान मंत्री के वक्तव्यों में दी गई हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना लेख में इन नीतियों के सब पहलू दिये गये हैं ।

इस दृष्टि से सरकार लगातार विधायिनी, प्रशासनिक एवं राजकोषीय उपाय करती रहती है ताकि आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाए ।

पंजाब में निष्क्राम्य भूमि के आवंटन संबंधी फाइलों का लापता होना

†६११. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में निष्क्राम्य भूमि के आवंटन से संबंधित शेष फाइलों को ढूंढने के लिये जो गुम थीं, किये गये प्रयत्नों के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) उत्तरदायी अफसरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). अभी तक १३ फाइलें ढूंढी गई हैं। शेष फाइलों के बारे में पंजाब सरकार संबंद्ध उप-आयुक्त से कह रही है। अभी तक किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया गया है क्योंकि समय के बीतने के साथ उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरल नहीं होता।

भारतीय राजनीतिक कैदियों का पुर्तगाल को भेजा जाना

†६१२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री चुनी लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल को भारतीय राजनीतिक कैदियों के भेजे जाने के समाचार के बारे में संयुक्त अरब गणराज्य के दूतावास से कोई अग्रेतर सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्रावई की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). संयुक्त अरब गणराज्य के श्रम सचिव ने, जो हाल ही में गोआ गये थे, शासकीय तौर पर इस बात की पुष्टी की है कि गोआ में भारतीय राजनीतिक कैदी श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे को लिजेवन भेज दिया गया था। भारत सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य के दूतावास के द्वारा पुर्तगाल सरकार से इस बारे विरोध में पत्र भेजा है। सरकार ने जैनेवा स्थित रैड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा श्री रानाडे के लिये कुछ खुराक और कपड़ों की भी व्यवस्था की है।

मद्रास में तकुओं और करघों का आवंटन

†६१३. **श्री गोरे :**
श्री पांगरकर :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना अवधि में मद्रास राज्य को तकुओं और करघों का आवंटन कर दिया है और इसका अभ्यंश निर्धारित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). मद्रास तथा अन्य राज्यों को तीसरी योजना में तकुओं के आवंटन से संबंधित निर्णय बहुत शीघ्र ही घोषित किये जाने की आशा है। करघों के आवंटन का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

कपड़ा मिलों का बन्द हो जाना

†६१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च १९६१ से कुछ और बन्द हुई कपड़ा मिलें खुल गई हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) एक मिल ।

तिब्बतियों का आगमन

†६१५. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० च० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में भारत में तिब्बतियों के आगमन के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ हिदायतें दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को विशेष रूप से कोई हिदायतें नहीं दीं। तब भी समय समय पर सरकार तिब्बती शरणार्थियों के बारे में राज्य सरकारों के मार्ग दर्शनार्थ हिदायतें जारी करती है। उसका ब्योरा बताना वाछनीय नहीं है। तब भी, सरकार इस बात की पुष्टि करना चाहती है कि जो तिब्बती शरण लेना चाहें उन्हें शरण देने की नीति में कोई परिवर्तन न हो।

रूस के साथ व्यापार

†६१६. { श्री श्री नारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सोवियत संघ के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) उन उपायों के फलस्वरूप व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) १९५८ में किये गये व्यापार करार के अन्तर्गत रूस के साथ भारत के व्यापार पर प्रति छः महीनों में संतुलित आधार पर व्यापार बढ़ाने की संभाव्यता बनाने के लिये पुनर्विचार किया जाता है। इस उद्देश्य के लिये रूस के साथ व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का भी विनिमय किया जाता है।

(ख) वर्ष में व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है, परन्तु वृद्धि की मात्रा का अनुमान इतनी शीघ्र लगाना कठिन है।

उत्तर और दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंध

†६१७. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर और दक्षिण कोरिया सरकारों ने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के हेतु परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपनी इच्छा व्यक्त की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन देशों की सरकारों को मान्यता देने के प्रश्न पर हाल ही में विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) प्राप्त हुए किसी सुझाव के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं की गई है, परन्तु अनौपचारिक प्रार्थना की गई है।

(ख) से (घ). दोनों कोरियाओं के बारे में भारत सरकार की नीति यह है कि ऐसा कोई काम न किया जाये जिससे देश के विभाजन को स्थिर करने में सहायता मिले। दक्षिण और उत्तर दोनों कोरिया के साथ हमारे व्यापार संबंध हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन बंगलौर में अस्पताल

†६१८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बंगलौर में १७० पलंगों वाले अस्पताल के निर्माण के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) प्रवेश के लिये अस्पताल कब खुलेगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) अस्पताल की मुख्य इमारत का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

(ख) ३० जून, १९६१ को १७, ५३,८४५ रुपये।

(ग) १९६१ के अन्त तक इस का उपयोग आरंभ किये जाने की आशा है। इस बीच अस्पताल किराये की इमारत में चल रहा है।

कोयला खनिकों के लिये क्वार्टर

†६१९. { **श्री कुन्हन** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान कल्याण संगठन के द्वारा १ लाख क्वार्टरों के प्रस्तावित निर्माण में से अब तक कितने सस्ते क्वार्टर बनाये गये हैं ;

(ख) उन पर कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ग) आंध्र प्रदेश मे कोठागुडियम, बल्लमपल्ली, पेलंडेव और रायगुडम में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) अभी पक कोई क्वार्टर नहीं बनाया गया, परन्तु २५००० मकान और ४१७ बैरकें १९६१-६२ के लिये मंजूर की गई हैं और उनका निर्माण लगभग अक्तूबर १९६१ तक आरंभ होने की आशा की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) १९६१–६२ में निर्माण के लिये आन्ध्र प्रदेश कोयला क्षेत्र का भाग १२२४ मकान और २० बैरक है। कोयला खान मालिकों ने कोठागुडियम में १,१०० और पेलांडू में १००० मकानों के निर्माण के लिये प्रार्थना की है और ये उनको आवंटित कर दिये जायेंगे, इस शर्त पर कि ८७६ मकान बाद के वर्षों के लिये आंध्र प्रदेश के हिस्से में समायुक्त कर दिये जायेंगे। वेल्लमपाल्ली और राथगुडम कोयला क्षेत्रों के बारे में अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है।

उपभोक्ता मूल्य देशनांक

†६२०. { **श्री कुन्हन :**
{ **श्री त० ब० विट्ठल राव :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम करने वाले और श्रम न करने वाले कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता मूल्य देशनांक का संकलन करने के लिये परिवार बजट संबंधी जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो नवीन माला कब तक संकलित होने की संभावना है ; और

(ग) क्या जांच के परिणाम की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) तैयारी का काम चल रहा है।

(ग) प्रतियां संसद मंत्रालय में भेज दी जाएंगी।

गोआ सप्ताह

†६२१. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष १२ से १८ जून तक देश के विभिन्न भागों में गोआ सप्ताह मनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन उत्सवों में क्या बड़ी अपीलें या मांगें की गई थीं ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की नीति है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में गोआ सप्ताह मानये जाने के बारे में समाचार देखे हैं और वह समझती है कि विभिन्न उपायों का जिनमें पुर्तगाली जहाजों और विमानों का बहिष्कार, पुर्तगाल के साथ राजनयिक संबंधों का विच्छेद एवं मित्र देशों को कहना, सुझाव दिया गया है। इन क्षेत्रों के बारे में सरकार की नीति के लिये जिस पर लगातार पुनर्विचार किया जाता रहता है, इन सुझावों को जो पहले भी दिये गये हैं ध्यान में रखा गया है।

दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य संघ

†६२२. { **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
{ **श्री अजित सिंह सरहदी :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की संघा में शामिल होने का विचार करती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संस्था के प्रयोजन और उद्देश्य क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). संस्था के उद्देश्य और प्रयोजन ये हैं कि संस्था के तीन सदस्य देशों अर्थात थाईलैंड, फिलिपाइन्ज और मलाया संघान के बीच घनिष्ट सहयोग कायम किया जाए, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, प्रविधिक एवं कलात्मक क्षेत्रों में। प्रस्तावित सहयोग का क्या स्वरूप हो, इसके लिये तीनों सदस्य देशों में अभी बातचीत चल रही है। भारत का इस संस्था में शामिल होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हज यात्री

†६२३. **श्री कोडियान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह फैसला किया है कि जिन लोगों ने एक बार हज किया है, उन को दूसरी बार उनकी पहली यात्रा से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले जाने नहीं दिया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) निर्णय संबद्ध पक्षों के साथ परामर्श से किये गये हैं और कारण नीचे दिये जाते हैं :—

(१) पिछले कुछ वर्षों से हज यात्रा की मांग बढ़ती जा रही है।

(२) हज यात्रियों को ले जाने वाले मुगल लाइन सीमित नौवहन कंपनी की यात्री ले जाने की क्षमता सीमित है।

(३) उनके घर लौट कर आने में होने वाले विलंब के कारण प्रति वर्ष यात्रियों को कठिनाइयां होती हैं। यात्री बड़ी संख्या में जद्दाह में जमा हो जाते हैं और शीघ्र लौटने की मांग करते हैं। सीमित नौवहन सुविधा के कारण प्रत्येक यात्री को तुरन्त भारत लाना असंभव था।

(४) जब कि ऐसे भी लोग हैं जिनको एक बार भी जीवन में हज करके के लिये जहाज में स्थान नहीं मिल सका, सरकार को ऐसे भी लोगों का पता चला, जो कितने ही वर्षों से हज यात्रा के लिये लगातार सऊदी अरब में जाते रहे हैं।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषण व लेख

६२४. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों व लेखों को संकलित तथा प्रकाशित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : विदेशों से जो सामग्री प्राप्त हुई थी उसकी छानबीन कर ली गई है और मैनुस्क्रिप्ट (Manuscript) में शामिल कर ली गई है। यह पुस्तक अब सिवाय जीवनी सम्बन्धी भूमिका के जिसको श्री एस० ए० आयर लिख रहे हैं, तैय्यार है। उम्मीद है कि सम्पूर्ण मैनुस्क्रिप्ट को छपने के लिये शीघ्र ही प्रेस में भेज दिया जायेगा।

योजना आयोग के सदस्यों के मकानों की मरम्मत

†६२५. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९, १९६० और १९६१ में (आज तक) के वर्षों में योजना आयोग के प्रत्येक सदस्य के मकान पर मरम्मत आदि करने के लिये कितना व्यय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मन्त्रालयों आदि को दिये गये कूलर

†६२६. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९, १९६० और १९६१ में योजना आयोग के प्रत्येक सदस्य, मंत्री और उपमंत्री के मकानों पर कितने कूलर दिये गये ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७४]**

गोल मार्केट क्षेत्र में क्वार्टर

†६२७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्केट क्षेत्र के सरकारी क्वार्टरों की श्रेणी को बढ़ा कर नियमित 'एफ' से नियमित 'ई' बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रकार कितने क्वार्टरों की श्रेणी बढ़ा दी गई है ;

(घ) इस श्रेणी वर्द्धन से सरकार को वित्तीय रूप में कितना लाभ हुआ है ; और

(ङ) क्या श्रेणी वर्धन के कारण जो लोग इन क्वार्टरों के लिये अर्ह नहीं रहे हैं, क्वार्टरों के उन वर्तमान अलाटियों को वैकल्पिक स्थान दे दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (घ). युद्ध काल के बीच और उस से पहले अधिक लोक-प्रिय बस्तियों में बनाये गये बहुत से

†मूल अंग्रेजी में

पुराने मकानों में दूरस्थ बस्तियों में बनाये गये तत्समानी या ऊंची श्रेणियों के भी नये फ्लैटों की तुलना में रहने का क्षेत्र, सुविधाएं, लान / मैदान और बाग आदि का अधिक क्षेत्र था । अतः विभिन्न श्रेणियों के मकानों में उपलब्ध निवास स्थान की मात्रा में पर्याप्त अन्तर था । वित्तीय कठिनाई के कारण, ऊंची श्रेणियों के मकानों का निर्माण कम करने का भी फैसला किया गया था । उपलब्ध राशि का अधिकतर कम आय वर्गों के मकानों के निर्माण के लिये उपयोग करने और किराया वसूल करने में होने वाली सहायता की मात्रा को घटाने के उद्देश्य से, डारैक्टर आफ एस्टेट्स के नियंत्रणाधीन २३१७ क्वार्टरों को १९५९ में दिल्ली/नई दिल्ली में बड़ी श्रेणी में डाल दिया गया था । इनमें से गोल मार्केट क्षेत्र में ९७० सरकारी क्वार्टरों को नियमित एफ से नियमित 'ई' श्रेणी में कर दिया गया ।

(ङ) जो लोग उस श्रेणी में नहीं आते, और जो श्रेणी वर्धन के पश्चात उस श्रेणी के हकदार नहीं रहे हैं, उन में से जो चाहते थे उन को उन के पुराने क्वार्टरों से हटा कर वैकल्पिक क्वार्टर दे दिये गये हैं । वर्तमान क्वार्टरों से उन को अनिवार्यतः बदलने का काम इस समय रोक दिया गया है ।

अनुशासन संहिता

†६२८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, प्रतिरक्षा और परिवहन तथा संचार मंत्रालच ने अनुशासन संहिता स्वीकार कर ली है ; और

(ख) क्या यह बात मजदूर संघों को बताई गई है ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) परिवहन तथा संचार मंत्रालय ने संहिता स्वीकार कर ली है परन्तु पत्तन-न्यासों द्वारा इसके स्वीकार किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है । प्रतिरक्षा मंत्रालय भी संहिता को अपने उपक्रमों में लागू करने पर विचार कर रहा है । रेलवे मंत्रालय संहिता स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि उनके विचार में इसके मुख्य उद्देश्य उनकी दीर्घकालीन प्रक्रिया तथा प्रथाओं से पूरे हो जाते हैं ।

(ख) जी हां ।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्

†६२९. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के छः अध्ययन दल बनाये जायेंगे जो औद्योगिक उत्पादिता की उन्नत तकनीकों का अध्ययन करने के लिए रूसी गुट के देशों की यात्रा करेंगे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन यात्राओं का व्यय कौन उठायेगा ;

(ग) उनके कब जाने की आशा है ; और

(घ) दल किस प्रकार बनाये जायेंगे ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) औद्योगिक उत्पादिता की उन्नत तकनीकों का अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने पांच अध्ययन दल रूस और चैकोस्लावाकिया भेजे हैं ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर और रूस तथा चैकोस्लावाकिया में होने वाला व्यय सम्बन्धित सरकारें उठायेंगी ।

(ग) ये दल अध्ययन करने के लिए जून और जुलाई, १९६१ में गये।

(घ) बहुत बड़ी संख्या में संगठनों, संस्थाओं, संघाओं, सरकारी विभागों, आदि से सुझाव मांगने के बाद और मालिकों, मजदूरों तथा टैक्नीशियनों के प्रतिनिधियों को समान संख्या में सम्मिलित करने की बात ध्यान में रख कर ये दल बनाये गये हैं।

कांगो में तथ्य निर्धारण आयोग

†६३०. { **श्री तंगामणि** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगों में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों सम्बन्धी तथ्यों का पता लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय से मि० सी० वी० नरसिंहन् को कांगों भेजा गया था;

(ख) क्या सरकार को उसकी रिपोर्ट की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष राजनीतिक-कार्य के अवर सचिव श्री सी० वी० नरसिंहन् को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने मई, १९६१ के आरम्भ में कांगों भेजा था। वह संयुक्त राष्ट्र के पदाधिकारी हैं और उनकी कांगो यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार को नहीं बताया गया था। नही उन्हें उस रिपोर्ट की जानकारी है जो उन्होंने महासचिव को दी थी क्योंकि वह प्रकाशित नहीं की गई ।

दिल्ली के गन्दी बस्ती वासियों के लिये दो मंजिले क्वार्टर

†६३१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने दिल्ली की गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए हाल में दो मंजिले क्वार्टर बनाने की योजना स्वीकार की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वह कब कार्यान्वित होगी ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). गंदी बस्तियों में रहने वालों को दूसरे मकान देने के लिये दिल्ली में दो मंजिले/बहु-मंजिले मकानों के निर्माण के लिए स्वीकृत गन्दी बस्ती सफाई परियोजनाओं के विवरण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७५**] ।

पश्चिम एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये प्रसारण

†६३२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के लिए होने वाले प्रसारणों को सप्ताह में कुल कितना समय दिया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर)** : पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को आकाशवाणी से प्रति सप्ताह क्रमानुसार कुल ३० घंटे और ४५ मिनट का प्रसारण होता है ।

क्वार्टरों का दिया जाना

†६३३. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) १६५८, १६५६ और १६६० में नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 'जी' तथा 'एस एफ' टाइप के कुल कितने क्वार्टर मिले ;

(प्रत्येक श्रेणी और वर्ष के आंकड़े अलग अलग देने हैं) ।

(२) इन में से कितने 'बिना बारी' (आउट आफ टर्न) दिये गये हैं ; और

(ख) १ अप्रैल, १६६१ को २५० रुपये या अधिक वेतन पाने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी जिन्हें 'जी' और 'एस एफ' टाइप क्वार्टर दिये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) (१) १६५८, १६५६ और १६६० में दिये गये 'जी' और 'एस एफ' टाइप क्वार्टरों की कुल संख्या निम्न है :—

	१६५८	१६५६	१६६०
'जी' क्लास	२,३०४	४८६	८८६
'एस एफ' क्लास	८६६	३१३	४४१

(२)

'जी' और 'एस एफ' क्लासों में उसी अवधि में 'बिना बारी' दिये गये क्वार्टरों के आंकड़े हैं :—

'जी' क्लास .	३७६	१४४	४५०
'एस एफ' क्लास ..	२६३	१६५	२७०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १ अप्रैल, १९६१ को ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या जिनका वेतन २५० रुपये या अधिक था और जिन्हें 'जी' तथा 'एस एफ' टाइप के क्वार्टर मिल गये हैं, निम्न है :—

क्लास	संख्या
'जी' .	७३०
'एस एफ' . . .	१,२८८

उड़ीसा में स्थानीय विकास कार्य

†६३४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूण अवधि में ३१ मार्च, १९६१ तक स्थानीय विकास कार्य योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी;

(ख) ३१ मार्च, १९६१ तक सरकार के पास कितनी धनराशि ऐसी थी जो व्यय नहीं हुई थी ; और

(ग) १९६१–६२ की अवधि के लिए इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी ?

†**योजना उपमन्त्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा सरकार को विकास कार्यों के लिए कुल ७४.४२ लाख रुपये दिये गये।

(ख) द्वितीय योजना काल में, राज्य सरकार ने कुल ५१.५०८ लाख रुपये के व्यय की सूचना दी है । भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाता है । अतः ३१–३–१९६१ को उड़ीसा सरकार के पास कोई शेष राशि न थी ।

(ग) १९६१–६२ के लिए उड़ीसा सरकार को २३.०० लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ?

दिल्ली में 'सिक्किम हाउस'

६३५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में 'सिक्किम हाउस' के लिये भूमि दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह भूमि कहां होगी ; और

(ग) यह 'हाउस' को बनाने का उद्देश्य क्या है ?

निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (ग). जी हां । चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में जमीन का ०.९०२ एकड़ का एक टुकड़ा सिक्किम दरबार को एक निवास भवन बनाने के लिए दिया गया है, जो वहां के शासक, उनके परिवार के सदस्यों तथा दरबार के अधिकारियों के दिल्ली आगमन पर उनके उपयोग में आयेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय विदेश सेवा

†६३६. श्री बलराज मधोक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के संबंध में भारतीय विदेश सेवा (ख) के अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों में भेदभाव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) नहीं, श्रीमान । फिर भी, भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को, वे चाहें अस्थायी हों या स्थायी, भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती । इनमें केवल वे कर्मचारी बैठ सकते हैं जिनके पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा। केन्द्रीय सचिवालय शीघ्रलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा / केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के अन्तर्गत आते हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुनर्वास मन्त्रालय में छंटनी

६३७. श्री सरजू पाण्डेय : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास मंत्रालय के कितने कर्मचारी अब भी बेकार पड़े हुये हैं और उनको पुनः काम पर लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पुनर्वास उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) : वास्तविक अंक तो उपलब्ध नहीं हैं किन्तु जहां तक हमारी जानकारी है छंटनी किये गये कर्मचारियों में से अधिकतर या तो विशेष कक्ष द्वारा या अपनी चेष्टाओं से पुनः काम में लगाये जा चुके हैं । १७२३ कर्मचारियों को विशेष कक्ष द्वारा नौकरी दिलाई गयी है । इसके अतिरिक्त बहुत लोगों ने अपने निजी प्रयास से नौकरियां प्राप्त कीं । छंटनी किये गये कर्मचारियों के सेवा विवरण जो कि केन्द्रीय सचिवालय से सम्बन्ध नहीं रखते थे, रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय को भेज दिये जाते हैं जो कि उन्हें दूसरी जगह काम दिलाने की सब से ऊंची प्रायारटी देता है । हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा पुनः अनुदेश जारी किये गये हैं कि फालतू कर्मचारियों को काम दिलाने का प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिए न केवल सरकारी विभागों में ही अपितु शासकीय क्षेत्र के उपक्रमणों में भी । पब्लिक सेक्टर के कारखानों ने भी इन बेरोजगार वाले कर्मचारियों को काम देना मान लिया है । प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक विशेष चुनाव बोर्ड संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य के सभापतित्व में बनाया गया है ताकि छंटनी किए गए कर्मचारियों को सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों में उचित रिक्त स्थानों पर लगाया जाये । इस बोर्ड ने हाल ही में कार्य प्रारम्भ किया है और इसकी सप्ताह में एक बैठक होगी जब तक कि सब छंटनी किए गए कर्मचारी पुनः काम पर नहीं लग जायेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

केरल में शिक्षकों में बेकारी

†६३८. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल केरल में कितने शिक्षित व्यक्ति बेकार हैं ;

(ख) काम दिलाऊ दफ्तरों में उपलब्ध आंकड़ों के अतिरिक्त क्या हाल में केरल में कुल बेरोजगारी का कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राज्य में बेरोजगारी की समस्या अधिक विकट हो गई है ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) :** (क) ठीक प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है । फिर भी, जून, १९६१ के अन्त में केरल में काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में ६८,२४० शिक्षित (मैट्रिक तक या उच्च शिक्षा प्राप्त) व्यक्तियों के नाम थे ।

(ख) नहीं ।

(ग) केरल के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी, जन संख्या में अधिक वृद्धि होने के कारण देश में बेकारी बढ़ गई है ।

जीप

†६३९. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी से मई १९६१ तक की अवधि में बम्बई के मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० को उड़ीसा में अपनी जीपें देने के प्राथमिकता परमिट दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी जीपें प्राथमिकता के आधार पर दी गईं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजीबद्ध बेरोजगार व्यक्ति

†६४०. { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री अनिरुद्ध सिंह : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६१ से जुलाई, १९६१ तक काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों मे कितने व्यक्तियों के नाम थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमन्त्री (श्री श्राबिद श्रली) :

महीना	महीने के अन्त में चालू रजिस्टर में व्यक्तियों की संख्या
१	२
१९६१	
जनवरी .	१६,०९,७३७
फरवरी .	१५,९६,०१७
मार्च	१५,६१,१६६
अप्रैल . . .	१६,२७,४४६
मई	१७,०५,३३०
जून	१७,५५,४६१
जुलाई	अभी उपलब्ध नहीं है ।

रूई का निर्यात

†६४१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब रूई संघ के अध्यक्ष से बिना किसी बिकी रूई निर्यात करने के लिए मुक्त करने की प्रार्थना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी रूई बिना बिकी पड़ी है ; और

(ग) सरकार का उस के बारे मे क्या निश्चय है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). एक बार यह अनुमान लगाया गया था कि पंजाब में लगभग १३,००० रूई की गांठें बिना बिकी पड़ी है । अब यह सूचना मिली है कि मिलों को वस्त्र आयुक्त द्वारा बिना रोक टोक कोटा देने के कारण अधिकतर स्टाक समाप्त हो गया है । फिर भी स्थिति का निरन्तर ध्यान रखा जाता है ।

आटा मिलों की मशीनें

†६४२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक आटा मिल मशीनें बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कोई प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान । उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत एक भारतीय फर्म को युगोस्लाविया की एक फर्म के सहयोग से औद्योगिक आटा मिल की पूरी मशीन बनाने के लिए लाइसेंस

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया है । निर्माण योजना के लिए अपेक्षित पूंजीगत सामग्री अभी भारतीय फर्म को आयात करनी है । संभवतः औद्योगिक उपक्रम में १९६२ के अन्त उत्पादन आरम्भ होगा । जहां तक आटा मिल की स्वदेशीय प्रकार की मशीन का संबंध है देश उसमें स्वावलम्बी है ।

रूई का निर्यात

†६४३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक रूई का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). पिछले चार वर्षों में भारत से कपास के हुए निर्यात के आंकड़े निम्न हैं :—

१९५७–५८ सित०–अगस्त	१९५८–५९ सित०–अगस्त	१९५९–६० सित०–अगस्त	१९६०–६१ सित०–अगस्त
गांठें	गांठें	गांठें	गांठें
३,०७,७७३	३,९०,३१८	१,९८,९७९	१,८९,०८०

विदित होगा कि १९५९–६० कपास वर्ष में बहुत कम पैदावार होने के कारण निर्यात बहुत कम हुआ । १९६०–६१ में निर्यात बढ़ गया है और कपास वर्ष समाप्त होने से पहिले, आशा है कि निर्यात ३ लाख गांठों तक पहुंच जायेगा ।

सिंगापुर को निर्यात

†६४४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर ने अपनी चार वर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत से और अधिक उपभोक्ता तथा औद्योगिक वस्तुयें खरीदने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत से उस देश को प्राप्त किन किन वस्तुओं का निर्यात होता है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष ये वस्तुयें कितनी मात्रा में निर्यात की गईं ; और

(घ) १९६१ में कितना निर्यात होने की आशा है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) सिंगापुर की चार वर्षीय योजना मुख्यकर उद्योगों तथा पत्तन सुविधाओं के विस्तार से सम्बद्ध है । इसमें भारत से अधिक मात्रा में आयात करने का कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). सिंगापुर को हमारे निर्यात की मुख्य वस्तुयें, उनके मूल्य सहित, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६)**

(घ) १९६० की अपेक्षा १९६१ में सिंगापुर को अधिक निर्यात होने की संभावना है परन्तु अभी वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

जोरहाट और शिलांग में 'रिसीविंग सेण्टर'

†६४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की 'मीडियम वेव' योजना के अन्तर्गत जोरहाट और शिलांग में दो 'रिसीविंग सेन्टर' स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर):** (क) 'मीडियम वेव' योजना के अन्तर्गत जोरहाट और शिलांग में क्रमानुसार एक ५० किलोवाट 'मीडियम वेव' ट्रांसमीटर और १किलोवाट 'मीडियम वेव' ट्रांसमीटर अपने सम्बन्धित 'रिसीविंग सेन्टर' सहित स्थापित किये जायेंगे।

(ख) अनुमानित लागत निम्न है :—

	ट्रांसमीटर	ग्रहण केन्द्र
	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)
जोरहाट	१६.००	१.५०
शिलांग	१.००	१.५०

(ग) **जोरहाट :** स्थान चुन लिए गये हैं राज्य सरकार से उन्हें प्राप्त करने को कहा गया है। मुख्य प्रक्षेप यंत्रों के क्रमादेश दे दिये गये हैं।

शिलांग : उपयुक्त स्थान चुनने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। मुख्य प्रक्षेप मंत्रों के लिए क्रमादेश दे दिये गये हैं।

जोरहाट में मीडियम वेव ट्रांसमीटर

†६४६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट में २० किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या व्यय होगा ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) :** (क) जोरहाट में ५० किलोवाट का मीडियम वेव का ट्रांसमीटर लगाने का विचार है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लगभग १६ लाख रुपये ।

(ग) स्थान चुन लिया गया है। और राज्य सरकार से इसे प्राप्त करने के लिये कहा गया है ।

बेल्जियम से आयात

†६४७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बेल्जियम से किया जाने वाला आयात वृद्धि पर है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में उस देश से हुए आयात और वहां को किए गए निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) उस देश से आयात होने वाली और वहां के लिए निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं क्या हैं ;

(घ) क्या आगामी वर्ष में उस देश के साथ व्यापार में सन्तुलन स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(ख) भारत और बेल्जियम के बीच पिछले पांच वर्षों में हुये व्यापार के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

मूल्य लाखों में

वर्ष	आयात	निर्यात पुनर्निर्यातों को सम्मिलित करके	व्यापार अन्तर
१९५६ . .	२३.४२	८.०८	१५.३४
१९५७ .	२१.९४	६.५८	१५.३६
१९५८ .	१६.५९	४.६४	११.९५
१९५९ .	१३.६०	५.१४	८.४६
१९६० . .	१५.९९	५.०४	१०.९५

(ग) बेल्जियम से आयात की मुख्य वस्तुयें ये हैं : घटिया धातुयें, संयंत्र और मशीनें, परिवहन उपकरण, निर्मित उर्वरक, रसायनिक तत्व और मिश्र, धातु निर्मित वस्तुयें, विद्युत् यंत्र और उपकरण, वैज्ञानिक तथा अन्य औजार, फोटोग्राफिक सामग्री तथा ऐनक के शीशे आदि और कपड़े का सूत । बेल्जियम को होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुए हैं : काफी, तम्बाकू, खली, कच्ची ऊन, अभ्रक, मेंगनीज अयस्क, हड्डियां, चमड़ा, कपास (कच्ची और रद्दी), सूती कपड़े, ऊन और नारियल जटा की चटाइयां, लाख, गोंद और राल तथा काजू की गिरी ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ) सामान्यतः आयातों को प्रतिबन्धित करने और सब देशों को भारत का निर्यात बढ़ाने के अतिरिक्त बेल्जियम के लिये कोई खास योजना नहीं है।

निर्यात संवर्धन

†६४८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल मिल मालिक संघ ने अप्रैल में कलकत्ता में हुई अपनी २७वीं वार्षिक बैठक में विदेशों द्वारा निर्यात संवर्धन के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के अध्ययन और उनको भारत में लागू करने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). सरकार का ध्यान माननीय सदस्य द्वारा निर्देशित भाषण की ओर आकर्षित किया गया है। विदेशों द्वारा निर्यात संवर्धन के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का अध्ययन लगभग दो वर्ष पूर्व किया गया था। अपनी निर्यात संवर्धन योजनाओं के निर्माण में अन्य देशों द्वारा अपनाए गए तरीकों को ध्यान में रखा गया था। हाल में वर्तमान निर्यात संवर्धन उपायों की सक्षमता का पुनरीक्षण करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये एक समिति स्थापित की गई है।

बूरागढ़ कोयला खान

†६४९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बूरागढ़ कोयला खान में १० जून, १९६१ को अथवा उसके लगभग छत गिर जाने की दुर्घटना हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना में कितनी जन तथा सम्पत्ति की हानि हुई ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी, हां। १० जून, १९६१ को।

(ख) दुर्घटना में ४ जानें गईं परन्तु सम्पत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ।

लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय रेशम सम्मेलन

†६५०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६१ में लंदन में हुये अन्तर्राष्ट्रीय रेशम संघ के आठवें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा उठाए गये प्रश्नों की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (१) कोओं का विश्व उत्पादन बढ़ाने के लिये मार्गोपाय।

(२) रेशम कीट पालन में उन्नत देशों से विशुद्ध जाति के रेशम के कीड़ों का निर्यात।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) रेशम के कीड़ों के बीज में सुधार सम्बन्धी गवेषणा के परिणामों की सूचना के विनिमय में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ।

यूनाइटेड प्राविंसेज कर्मशियल कारपोरेशन

†६५१. { **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड प्राविंसेज कर्मशियल कारपोरेशन को समुद्र शुल्क विनियमों का बार बार उल्लंघन करने के कारण ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस निगम को १९६०-६१ में कोई लाइसेंस जारी किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान् । इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विदेशी मुद्रा नियम अथवा आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत नियमों और विनियमों का कोई बड़ा उल्लंघन करने वाली फर्मों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत कोई लाइसेंस न मंजूर किया जाए ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मोटरगाड़ियों का उत्पादन

†६५२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ की प्रथम छमाही में विभिन्न मोटरगाड़ी निर्माताओं द्वारा कितनी कारों, जीपों और ट्रकों का उत्पादन किया गया ; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में वह कैसा है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). कारों, जीपों और वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों के १९६१ की पहली छमाही और १९६० की तदनुरूप अवधि में उत्पादन के आकड़े निम्न प्रकार हैं :--

	जनवरी--जून १९६१ (संख्या)	जनवरी--जून, १९६० (संख्या)
कारें	१२,१५१	९,२१८
जीप . . .	३,४५९	३,०४५
वाणिज्यिक मोटरगाड़ियां .	१३,९६६	१२,२१३

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम द्वारा माल का आयात

†६५३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष १९६१ की प्रथम छमाही में वस्तुओं के आयात के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ख) निगम द्वारा उसी अवधि में कितने भारतीय माल का निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो) :** (क) लगभग ८,७९.५० लाख रुपए का ।

(ख) लगभग २२,२४.०८ लाख रुपए का ।

पंजाब में औद्योगिक विवाद

†६५४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में १९६०–६१ और १९६१–६२ में कितने औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुए ; और

(ख) उनमें से कितनों का निपटारा किया जा चुका है ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) :** (क) विवादों की संख्या निम्न प्रकार है :—

१९६०–६१ .	१९०८
१९६१–६२ (अप्रैल से जून)	३९८

(ख) (१) **समझौते द्वारा निपटाए गए विवादों की संख्या :**

१९६०–६१ .	८१०
१९६१–६२ . (अप्रैल से जून)	२२५

(२) **न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट विवादों की संख्या**

१९६०–६१ .	३९८
१९६१–६२ . . .	४९

छोटे पैमाने के उद्योग

†६५५. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे उद्योगों के 'फेडरेशन आफ एसोसिएशन' ने अपनी कच्ची सामग्री और मशीनों की आवश्यकताओं के लिए आसान शर्तों पर वित्त और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अखबारी कागज उद्योग

†६५६. **श्री खीमजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अखबारी कागज उद्योग के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या नए लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन पक्षों के नाम क्या हैं और कितनी क्षमता के लिए लाइसेंस मंजूर किए गए हैं ; और

(घ) क्या अखबारी कागज के निर्माण के लिए कुछ लाइसेंस अभी भी सरकार के विचाराधीन है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क)

(१) वर्तमान मांग . १०५,००० टन/१०,००० टन प्रतिवर्ष

(२) तीसरी योजना के अन्त तक अनुमानित मांग . १५०,००० टन प्रतिवर्ष

(३) उत्पादन . २४,००० टन प्रतिवर्ष

इस कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष ८३,००० टन अखबारी कागज का आयात किया जाता है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग)

मिल का नाम	स्थिति	क्षमता (अखबारी कागज)
		टन०/वर्ष
(१) श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता	कांगडा जिला (पंजाब)	३०,००० (६०,००० टन विचाराधीन)
(२) मेसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर	कराड (महाराष्ट्र)	३०,००० (६०,००० टन विचाराधीन)
(३) मेसर्स बिड़ला ग्वालियर प्राइवेट लिमिटेड	बम्बई (हटाकर उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है)	३०,००० (६०,००० टन विचाराधीन)

†मूल अंग्रेजी में

(घ) हां, श्रीमान् । परन्तु यह निर्णय किया गया है कि कागज, कागज की लुग्दी, अखबारी कागज अथवा रेयनग्रेड लुग्दी के निर्माण के लिए अग्रेतर क्षमता के लिए लाइसेंस एक वर्ष तक और न दिए जायें ।

फाउन्टेन पेन

†६५७. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फाउन्टेनपैनों की निर्माण करने वाले यूनिटों की वर्तमान स्थापित क्षमता कितनी है और १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में फाउनटेनपैनों का वास्तव में कितना उत्पादन राज्य-वार हुआ ;

(ख) भारत की फाउन्टेनपैनों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ग) १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कितने भारतीय फाउनटेनपैनों एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को निर्यात किए गए तथा उनका मूल्य कितना है ; और

(घ) भारत में फाउन्टेनपैनों के निर्माण और व्यापार की भावी संभावनायें और निर्यातों की प्रवृत्ति कैसी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**:(क) से (ग). आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायगे ।

(घ) देश में फाउन्टेनपैनों के निर्माण और व्यापार की संभावनायें अच्छी हैं । निर्यात में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है ।

उत्तर प्रदेश में सूत के कारखाने

†६५८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में खैलाबाद में संघ सरकार की सहायता से स्थापित प्रथम सूत के प्रारम्भिक कारखाने[1] के उत्पादन में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अन्य सूत के प्रारम्भिक कारखाने और विद्युत् चालित करघे उत्तर प्रदेश राज्य में कहां कहां स्थित हैं और उन से सम्बन्धित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में जो करघे का प्रसिद्ध केन्द्र है, निकट भविष्य में सूत का कारखाना स्थापित किया जायेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) खैलाबाद का कारखाना २३-५-६१ को चालू हुआ था और अभी तक लगभग ६००० पौण्ड सूत तैयार किया गया है ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७८]**

(ग) हां, श्रीमान् ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्धनता

†६५९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश की अत्यधिक गरीबी की स्थिति, जिस के सम्बन्ध में योजाना आयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Yarn preparatory factory.

द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, से संबंधित खाद्यान्न जांच समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में उस क्षेत्र को क्रय शक्ति और संसाधनों की अत्यधिक कमी से मुक्त करने के लिये कौन कौन सी परियोजनायें अनुमोदित की गई हैं; और

(ख) विशेष उपचार के उपाय के रूप में उस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में व्याप्त निर्धनता की परिस्थितियों के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं और तीसरी योजना में इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। तीसरी योजना में सिंचाई और ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये सम्मिलित की गई मुख्य परियोजनाओं की सूची संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७९]** बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिये तीसरी योजना में निर्धारित धनराशि का ५० प्रतिशत से अधिक भाग पूर्वी जिलों में व्यय किया जायेगा ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

६६०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय तथा उस के संलग्न कार्यालयों में इस समय कितने अनुभाग हैं और उन में से कितने ऐसे हैं जिन में हिन्दी जानने वालों की बहुसंख्या है; और

(ख) कितने अनुभागों को हिन्दी में टिप्पण (नोट) और पत्रों के प्रारूप (ड्राफ्ट) लिखने की अनुमति दी गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) विदेश मंत्रालय के ८० अनुभागों में से केवल २० अनुभागों में लगभग ५० प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जो हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान रखने का दावा करते हैं और संलग्न कार्यालयों में से केवल एक, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली, में लगभग ५० प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान है।

(ख) इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है कि कुछ चूने हुए अनुभागों में, हिन्दी में टिप्पण लिखने और मसौदा बनाने का काम शुरू किया जाय ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

६६१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय तथा उस से संलग्न कार्यालयों में इस समय कितने अनुभाग हैं और उनमें से कितने अनुभाग ऐसे हैं जिन में हिन्दी जानने वालों की बहुसंख्या है; और

(ख) कितने अनुभागों को हिन्दी में टिप्पण (नोट) और पत्रों के प्रारूप (ड्राफ्ट) लिखने की अनुमति दी गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) इस मंत्रालय तथा उस से संलग्न कार्यालयों (शाखा सचिवालय, बम्बई को छोड़ कर) में २७१ अनुभाग हैं। इन में से १३७ के अधिकाश व्यक्तियों ने हिन्दी ले कर मैट्रिक अथवा उस से ऊंची परीक्षायें पास कर ली हैं।

(ख) मंत्रालय (मुख्य) के दो अनुभागों को हिन्दी में टिप्पण (नोट) और प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी मुद्रणालयों द्वारा खरीदा गया टाइप

६६२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता तथा अलीगढ़ स्थित भारत सरकार के फार्म प्रेसों में कुल कितना टाइप खरीदा गया और उस में हिन्दी का टाइप कितना था;

(ख) हिन्दी का कौन कौन सा ऐसा टाइप है जिस की इन प्रेसों में हिन्दी के प्रपत्र (फार्म) तथा पत्र शीर्षक (लैटर हैड) आदि छापने के लिये आवश्यकता पड़ती है और जो उपलब्ध नहीं है; और

(ग) उस टाइप को प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) पिछले पांच वर्षों में इन मुद्रणालयों के लिये कोई टाइप नहीं खरीदा गया ।

(ख) जिन टाइपों की आवश्यकता होती है, उन्हें साधारणतया मोनो-ढ़लाई मशीनों द्वारा ढ़ाला जाता है और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हिन्दी टाइप पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी मुद्रणालयों में हिन्दी टाइप की कमी

६६३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६१ में फार्मस् प्रेस, कलकत्ता तथा अलीगढ़ में हिन्दी अथवा हिन्दी अंग्रेजी की छपाई का कितना काम हिन्दी टाइप की कमी के कारण लौटा दिया गया अथवा इस समय रुका पड़ा है; और

(ख) हिन्दी टाइप की कमी के कारण फार्म और लैटर हैड की हिन्दी में छपाई में देरी न हो इस के लिये क्या व्यवस्था की गई है अथवा की जा रही है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समाचार पत्रों की कतरनें

६६४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ की दूसरी तिमाही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समाचारपत्रों की कितनी कतरनें अन्य मंत्रालयों को भेजी गयीं; और

(ख) अंग्रेजी तथा हिन्दी के समाचारपत्रों में से कितनी-कितनी कतरनें ली गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). १९६१ की दूसरी तिमाही में प्रैस इन्फार्मेशन ब्यूरो द्वारा अन्य मंत्रालयों को भेजी गयी कतरनों की संख्या इस प्रकार है :—

अंग्रेजी समाचारपत्रों से लगभग	३,००,०००
हिन्दी समाचारपत्रों से लगभग	१,०८३
कुल संख्या लगभग	३,०१,०८३

संयुक्त प्रबन्ध परिषदें

६६५. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने प्रतिष्ठानों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें स्थापित हो चुकी हैं ; और

(ख) प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के बारे में विचार करने के लिये सरकार ने जो गोष्ठी बुलाई थी उस की सिफारिश के अनुसार केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर एक सक्रिय व्यवस्था करने का जो सुझाव था उस को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ३२ ।

(ख) श्रमिकों को प्रबन्ध में शामिल करने संबंधी काम के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक अनुभाग स्थापित कर दिया है । राज्य सरकारों को लिखा जा रहा है कि वहां भी इस प्रकार के अनुभाग स्थापित किये जायें ।

कोयला खान श्रम कल्याण निधि

६६६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि की तरफ से इस साल अब तक कितने महिला हितकारी केन्द्र खोले गये हैं और कोयला खान कर्मचारियों के बच्चों को उच्चतर सामान्य शिक्षा के लिये कितनी छात्रवृत्तियां दी गयी हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : इस साल अब तक कोई महिला कल्याण केन्द्र नहीं खोला गया ऐसे केन्द्रों की संख्या जो काम कर रहे हैं ६० है । १९६०–६१ में ११२ छात्रवृत्तियां मंजूर की गई ।

स्वायत्त और अर्द्धस्वायत्त निकाय

६६७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार स्वायत्त और अर्द्धस्वायत्त निकायों के प्रशासन और आयव्यय को नियंत्रित करने के लिये कोई विधेयक पेश करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक कब तक पेश किया जायेगा ;

(ग) क्या इस विधेयक के अन्तर्गत सभी स्वायत्त और अर्द्धस्वायत्त निकाय लाये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं, स्वायत्त और अर्द्ध-स्वायत्त निकायों के प्रशासन और आय-व्ययक को नियंत्रित करने के लिये सरकार का विचार कोई विधेयक पेश करने का नहीं है। किन्तु वह इस सुझाव की जांच कर रही है कि केवल उन निकायों पर वित्तीय नियन्त्रण

†मूल अंग्रेजी में

लगाने और उनके कार्यों का नियमन करने के लिये विधेयक पेश किया जाये जिनकी स्थापना संकल्पों अथवा दूसरे एक्जीक्यूटिव आदेशों पर सरकार द्वारा की जाती है और जिन्हें सरकार से सहायता अनुदान मिलता है ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है और सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श किया जा रहा है। इस समय यह बता सकना सम्भव नहीं है कि संसद में विधेयक कब तक पेश किया जा सकेगा।

(ग) और (घ). जैसा कि ऊपर भाग (क) में कहा जा चुका है, प्रस्तावित विधेयक केवल उन्हीं निकायों/संस्थाओं तक सीमित रहेगा जिनकी स्थापना सरकार के संकल्पों अथवा दूसरे एक्जीक्यूटिव आदेशों पर की गई है तथा जिन्हें सरकार से सहायता अनुदान मिलता है। उन अन्य स्वायत्त/अर्द्ध-स्वायत्त निकायों को इस विधेयक के क्षेत्र में लाने का विचार नहीं है जो सरकार के नियंत्रण में न होकर स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिये कोई खास विधेयक बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

रोजगार ढूंढने वालों की आयु सीमा

६६८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों के बारे में सरकार क्या नीति निश्चित करना चाहती है जो रोजगार दफ्तरों में जाते-जाते सरकारी नौकरी पाने की निश्चित आयु सीमा को पार कर जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार ऐसे लोगों के लिये कोई खास प्रशिक्षण योजना चालू करना चाहती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरियों में नहीं लिये जा सकते लेकिन वे उन क्षेत्रों में नौकरियां खोज सकते हैं जिनमें आयु सीमा निश्चित नहीं है । ऐसे उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए कोई खास सहूलियतें नहीं हैं । अगर वे योग्य हैं तो मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों में भर्ती हो सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

६६९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ के अधीन मकान की जगह या मकान खरीदने अथवा बनाने के लिये इस साल कितने रुपये की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) इस रकम में से अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कर्मचारी प्रोविडेंट फंड योजना १९५२ के अधीन चन्दा देने वालों को इन कामों के वास्ते अग्रिम रक़म की मंजूरी के लिये धन की अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है । सदस्यों के प्रोविडेंट फंड में जमा धन से अग्रिम रकमें अदा की जाती हैं ।

(ख) जून १९६१ तक ७ लाख ५७ हज़ार रुपये इस प्रकार अग्रिम रक़मों के रूप में मंजूर किये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात में कपड़ा उद्योग

†९७०. **श्री क० उ० परमार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विद्युत संभरण की कमी के कारण कपड़ा उद्योग में कम घण्टे काम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कपड़े के उत्पादन में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). गुजरात की सरकार के एक आदेश द्वारा अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग में कार्य के घण्टे २२ मई, १९६१ से खण्डित कर दिए गए हैं ताकि विद्युत शक्ति के उपयोग में अधिकतम बचत की जा सके । इस आदेश के अनुसार अहमदाबाद नगर में हाई टेन्शन उपभोक्ताओं के लिए छै समूह बनाए गए हैं जिसमें प्रायः समस्त कपड़ा उद्योग आ जाता है। प्रत्येक समूह सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक के दिनों में से एक दिन निर्दिष्ट प्रतिबन्धित घण्टों, अर्थात् ८ बजे प्रातःकाल से ११ बजे प्रातःकाल और ५ बजे सायंकाल से १० बजे रात्रि में कार्य नहीं करेगा । कार्य के घण्टों के खण्डित किए जाने के कारण कपड़ा उद्योग के उत्पादन में कोई विशेष कमी नहीं हुई है । इसलिए भारत सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है ।

व्यापार करार

†९७१. **श्री खीमजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० और १९६१ की प्रथम छमाही में किन किन देशों के साथ नए व्यापार करार हुए हैं ;

(ख) क्या इन करारों से संबद्ध निर्यातों की अनुसूची में कोई नई वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) १९६० और जनवरी-जून, १९६१ में बल्गारिया, चिली, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ईरान, जोर्डन, उत्तर कोरिया, मोरक्को, पाकिस्तान, ट्यूनीसिया, और यूगोस्लाविया के साथ नए व्यापार-करार किए गए । अफगानिस्तान, फ्रान्स, ग्रीस और इराक के साथ वर्तमान करारों का पुनर्नवीकरण किया गया ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) (१) जीरें के बीज (२) रद्दी ऊन (३) ग्लीसरीन (औषधि संबंधी और प्रविधिक) (४) पैराफीन मोम, (५) कच्चा लोहा (६) बिजली के मोटर और पम्प (७) इस्पात का फर्नीचर (८) स्टोरेज और ड्राई बैटा i (९) सूती, ऊनी और कृत्रिम रेशम के मोजे-बनियान (१०) फल (सूखे, डिब्बों में बन्द और ताजे) (११) जैम, चटनी और अचार (१२) फलों के रस और स्क्वैश (१३) चीनी (१४) बर्फ में जमाया हुआ गोश्त (१५) बर्फ में जमाई हुई मछलियां (१६) कोयला

†मूल अंग्रेजी में

(१७) रसायन (१८) मैग्नेशियम क्लोराइड (१९) तरल क्लोरीन (२०) हाइड्रोजन पैरोक्साइड (२१) नैफथलीन, कच्चा (२२) कपड़ा मशीनें और पुर्जे आदि (२३) डीजल इंजन (मोटर-गाड़ियों के और स्थिर) (२४) रिफ्रेजीरेटर (२५) पॉलिस्टाईरीन (२६) बारीक जूट के बोरे (२७) प्लास्टिक उत्पाद (२८) एयरकण्डीशनर ।

नोट : ये वस्तुयें इस अर्थ में नई हैं कि उन्हें विभिन्न व्यापार करारों से संबद्ध निर्यात अनुसूचियों में पहली बार सम्मिलित किया गया है ।

राष्ट्र संघ

†६७२. { श्री अगाड़ी :
श्री रामपुरे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को राष्ट्र संघ संगठन के संचालन व्यय में अगले तीन वर्षों, १९६२ से १९६४, में कम अंश का भुगतान करना होगा ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक में देय अनुमानित राशि कितनी है ; और

(ग) भारत सरकार द्वारा १९५७–५८ से आद्यतन राष्ट्र संघ को प्रतिवर्ष कुल कितना भुगतान किया गया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):(क) और (ख). राष्ट्र संघ के बजट के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा देय अंश का निर्धारण समय समय पर एक अंशदान समिति द्वारा किया जाता है और उसके प्रतिवेदन पर सामान्य-सभा द्वारा विचार किया जाता है । अंश का निर्धारण प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय से संबंधित आंकड़ों, उसकी भुगतान करने की क्षमता और अन्य बातों तथा राष्ट्र संघ की सदस्यता के आकार के आधार पर किया जाता है । ऐसे आंकड़ों के आधार पर अंशदान समिति ने इस वर्ष भारत का अंश अगले ३ वर्षों की अवधि के लिए २·०३ प्रतिशत निश्चित किया था जब कि पिछले तीन वर्षों का २·४६ प्रतिशत था। यदि यह मान लें कि समिति की सिफारिशें सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित कर दी जायेंगी और राष्ट्र संघ के नियमित बजट का हाल का ७०० लाख डालर का वार्षिक औसत कायम रहेगा, तो भारत का अगले तीन वर्षों में से प्रत्येक का अंश १,४२१,००० डालर होगा परन्तु वास्तविक राशि राष्ट्र संघ के वास्तविक बजट पर निर्भर होगी ।

(ग) राष्ट्रसंघ के नियमित बजट में १९५७–५८ से अब तक भुगतान की गई राशियां निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	भारतीय रुपयों में
१९५७–५८	५०,९८,७०३
१९५८–५९	८८,०८,९४७
१९५९–६०	४२,३५,७६२
१९६०–६१	२८,६३,७९५ (वित्तीय वर्ष १९६० के बजट में)
	६६,५१,९०५ (वित्तीय वर्ष १९६१ के बजट में)

†मूल अंग्रेजी में

कुवैत में व्यापार आयोग

†६७३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुवैत में स्थापित व्यापार आयोग को, देश के अन्तर्राष्ट्रीय एकक के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त करने को ध्यान में रख कर, अधिक अधिकार दिये जायेंगे अथवा इसकी संस्थिति में परिवर्तन किया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** व्यापार आयोग सम्बन्धी व्यापार सम्बन्धी कार्यों की देखभाल करने और कुवैत में भारतीय व्यापार समुदाय के वाणिज्यिक हितों के लिये नियुक्त किया गया था। इसकी संस्थिति के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है यद्यपि, इसको अतिरिक्त कार्य, जैसे वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय के लाभ के लिये पासपोर्ट और वीसा का कार्य, संभालने को कहा जा सकेगा।

सिक्किम में सड़कों का निर्माण

†६७४. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम को सड़कों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि दी गयी;

(ख) क्या सड़क निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग को सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी प्रगति की गयी है और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) १९४७–१९६० के दौरान सिक्किम में सड़कों के विकास पर कुल २.२२ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

(ख) जी, हां। एक सड़क को छोड़ कर अर्थात् सिंघिक से पर नार्थ सिक्किम रोड जो सीमान्त सड़क विकास बोर्ड द्वारा बनाई जा रही है।

(ग) निर्माणाधीन सड़क-कार्य निम्न प्रकार हैं :

सड़क का नाम	लम्बाई (मील)	वर्तमान प्रगति	लक्ष्य तिथि
(१) रिशी-रांगली सड़क	१३	५५ प्रतिशत	नवम्बर, १९६१
(२) नार्थ सिक्किम रोड	५०		
	सड़क—	६० प्रतिशत	मार्च, १९६२
	पुल—	३० प्रतिशत	

दण्डकारण्य में बसे परिवार

†६७५. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य में अब तक बसे परिवारों की क्या संख्या है;

(ख) जो गांव और मकान शरणार्थी परिवारों को बसाने के लिए पूर्ण हैं, उनकी क्या संख्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कोई गांव अथवा मकान स्थानीय आदिम जातीय जनसंख्या के लिए बनाए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस योजना से लाभ उठाने वाले आदिम जातीय परिवारों की क्या संख्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) दण्डकारण्य क्षेत्र में गये ३०४० विस्थापित परिवारों में से २२३३ गांवों में चले गये हैं और २१६६ को कृषि भूमि और मकानों के लिए प्लाट दिये गये हैं ।

(ख) ४२ गांवों में मकानों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है । ३८१ मकान पूरे हो गये हैं और १४०१ मकान बन रहे हैं ।

(ग) और (घ). नये गांवों की स्थापना और आदिम जातीय परिवारों के लिए मकानों के निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है । अब तक इन दो राज्य सरकारों को आदिम जातीय व्यक्तियों को आवंटन के लिये ४००० एकड़ भूमि दी जा चुकी है ।

चाय का निर्यात

†६७६. **श्री अ० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन चाय निर्यात के संवर्द्धन के लिये प्रस्तावित उपायों में आसाम और बंगाल के सड़क कर को हटाना भी शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो इन करों को हटाने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री जी० डी० बिड़ला का रूस का दौरा

†६७७. { **श्री खाडिलकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रूस का दौरा करने के बाद व्यक्त किये गये श्री जी० डी० बिड़ला के विचारों का परीक्षण किया है;

(ख) क्या सरकार का मास्को में और रूस के अन्य बड़े नगरों में भारतीय औद्योगिक और व्यापार मेले का आयोजन करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार सूती कपड़ा के लिए अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने और इसके आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकन करने की संभावना का पता लगा रही है ताकि रूस से मांग का संभरण किया जा सके; और

(घ) क्या सरकार का तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में कुछ विकेन्द्रीकृत आधुनिक कपड़ा मिलें स्थापित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) श्री बिड़ला एक निजी तौर पर रूस गये थे और उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) इस समय नहीं ।

(ग) केवल रूस की मांग का संभरण करने के लिए सूती कपड़े की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने अथवा इसके आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकन का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, तृतीय योजना में अपेक्षित उत्पादन के उच्च लक्ष्य को पूरा करने के लिए सूती कपड़े की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(घ) भारत सरकार का अपनी कपड़ा मिलें स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

पंजाब में औद्योगिक एकक

†६७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में पंजाब में बड़े पैमाने के क्षेत्र में स्थापित किये गये नये औद्योगिक एककों के क्या नाम हैं और वे कहां पर स्थापित किये गये हैं; और

(ख) वर्ष १९६१ में बड़े पैमाने के क्षेत्र में स्थापित किये गये अथवा स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एककों के क्या नाम हैं और उनके स्थानों के क्या नाम हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३०६६/६१]**

बंगाल देशी रूई

†६७९. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन के बोर्ड ने सुझाव दिया है कि सरकार बंगाल देशी और ३/४ इंच और कम के स्टेपल रूई के निर्यात अभ्यंश की घोषणा करे; और

(ख) उपरोक्त सुझाव पर सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकार को रूई के निर्यात के लिए, ईस्ट इंडिया काटन एसोसियेशन समेत विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन मिलते रहे हैं ।

(ख) इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए और पूर्ति और मांग की स्थिति का अध्ययन करने के बाद, सरकार ने हाल ही में ६०,००० गांठों का और निर्यात अभ्यंश छोड़ने की घोषणा की है जिसमें ३०,००० गांठें बंगाल देशी की और ३०,००० गांठें ३/४ इंच और कम की स्टेपल रूई की हैं।

रूस और पूर्व योरोपीय देशों को उपभोक्ता और अर्द्ध-तैयार वस्तुओं का निर्यात

†६८०. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस और पूर्व योरोपीय बाजारों में भारतीय उपभोक्ता और अर्द्ध-तैयार वस्तुओं की बिक्री की बड़ी भारी संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि किया गया है तो इन देशों में मार्केट बढ़ाने के लिए अब तक सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). रूस और अन्य पूर्व योरोपीय देशों में बिक्री की संभावना का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि सारा व्यापार राज्य व्यापार संस्थाओं द्वारा किया जाता है। भारत और इन देशों के व्यापार शिष्टमण्डल विशेष रुपया भुगतान के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने और बिक्री और खरीद की संभावना का पता लगाने के लिए समय समय पर मिलते हैं। कुछ भारतीय उपभोक्ता और अर्द्ध-तैयार माल, यदि खरीदार किस्म और मूल्य स्वीकार कर लें, इन देशों को बेचा गया है। इन देशों में हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधि हमें लाभदायक जानकारी भेजते हैं जिसे व्यापार सम्बन्धी वार्ता करते समय ध्यान में रखा जाता है।

देहरादून के पत्रकार सम्मेलन

†६८१. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो के इस वर्ष जून में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सदर मुकाम में दिल्ली से एक पत्रकार दल देहरादून भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन खर्च हुआ; और

(ग) क्या यह सच है कि समाचारपत्रों ने इस पत्रकार सम्मेलन की कटु आलोचना की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). तीन भारतीय समाचार अभिकरणों, आकाशवाणी और गुजरात प्रदेश में परिचालित तीन प्रमुख समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों का एक पत्रकार दल ११ जून, १९६१ को खान और तेल मंत्री से वार्ता करने के लिए, जो कुछ दिन पूर्व कैम्ब्रे से ८० मील दूर कलोल में तेल के मिलने के समाचार की घोषणा करना और प्रयोगशाला उपकरण और उसके प्रविधिक महत्व के बारे में बताना चाहते थे, देहरादून ले जाया गया। दोनों ओर का सड़क मार्ग की व्यवस्था तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की गयी और प्रेस सूचना विभाग को इस पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा।

(ग) कुछ समाचारपत्रों में इस दौरे की आलोचना इस लिये की गयी कि प्रथमतः घोषणा दिल्ली में न कर के देहरादून में की गयी और दूसरे बड़ा और अधिक प्रतिनिधियों का दल देहरादून नहीं ले जाया गया।

मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों को सम्पत्ति का लौटाया जाना

†६८२. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी ज़ोन में मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों को कितनी सम्पत्ति लौटाई गई है; और

(ख) उसका क्या ब्यौरा है और अब तक कितनी क्षतिपूर्ति दी गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) और (ख). इस सम्बन्ध में पुनर्वास मंत्री द्वारा डा० सैयद महमूद को लिखे गये पत्र संख्या १०(४०)६१-एम० (आर०)/७६१ दिनांक २६ जुलाई, १९६१ की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मशीन निर्माण उद्योग

†६८३. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
सरदार इकबाल सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीन निर्माण उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) मशीन निर्माण उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद की पहली बैठक २० जून, १९६१ को हुई और इसने

(१) मांग, उत्पादन-लक्ष्य ; अधिष्ठापित क्षमता आदि के पूर्ण उपयोग के लिये उपायों सम्बन्धी प्रश्न पर विचार के लिये विशिष्ट निर्दिष्ट उद्योगों के लिये चार तालिकायें बनायी हैं। और

(२) एक समन्वय समिति बनाई है जो नामावलि, मुख्य विवरण और विभिन्न प्रकार की मशीनों और अर्द्ध-निर्मित उपकरणों, जैसे कास्टिंग्स और फार्गिग्स जो अधिकांश मशीनी उद्योग के लिये समान हैं, की आवश्यकता की मात्रा निर्धारित करेगी।

उड़ीसा एग्रीको लिमिटेड

†६८४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "उड़ीसा एग्रीको लिमिटेड", कटक को कृषि औजार बनाने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). उड़ीसा एग्रीको लिमिटेड की अंश पूंजी में उड़ीसा सरकार ने ७३,००० रुपये का अंशदान किया है। इस समवाय को उसी सरकार से उस ही प्रकार की सहायता मिलेगी जिस प्रकार छोटे पैमाने के उद्योगों के मिलती है।

(ग) यह कम्पनी मार्च, १९६१ में रजिस्टर्ड हुई थी और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा क्रयावक्रय आधार पर मशीनें प्राप्त करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं।

तिब्बती शरणार्थी

†६८५. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई, १९६१ तक भारत में कितने तिब्बती शरणार्थी रह रहे थे ; और

(ख) उन पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जून, १९६१ के अन्त तक लगभग ३३,००० तिब्बती शरणार्थी भारत आये हैं ।

(ख) ३१ मार्च, १९६१ तक उन पर कुल ५८,३१,९३१ रुपये खर्च किये गये । अप्रैल से जून, १९६१ तक के आंकड़े एकत्र किये जा रहे है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†६८६. **श्री कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि एकत्र की गयी है ;

(ख) योजना के अधीन कितने अस्पताल बनाये गये हैं ;

(ग) इस योजना पर इसके आरम्भ होने के समय से कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ; और

(घ) इस योजना में, राज्यवार, कुल कितने कर्मचारी हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) ४६,४०,४१,३५८ रुपये (इसमें केन्द्रीय सरकार से अनुदान और विनियोजन आदि से आय शामिल है) ।

(ख) पांच अस्पताल निर्माणाधीन हैं और इनमें से चार जनवरी, १९६२ तक पूरे हो जायेंगे । वर्तमान अस्पतालों में ९ विभाग खोले गये हैं जिनमें २७३ बिस्तरों की व्यवस्था है ।

(ग) ३१-३-६१ तक २८,९८,१२,११६ रुपये ।

(घ)

राज्य	योजना के अधीन आने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या
१. आन्ध्र प्रदेश	५५,८५०
२. आसाम	४,२००
३. बिहार	४०,९५०
४. गुजरात	——
५. केरल	६७,२००
६. मध्य प्रदेश	७५,०००
७. मद्रास	१,८१,२५०
८. महाराष्ट्र	५,८०,५००
९. मैसूर	७१,२००
१०. उड़ीसा	२३,०००
११. पंजाब	५३,५००
१२. राजस्थान	२८,४५०
१३. उत्तर प्रदेश	१,५१,२००
१४. पश्चिम बंगाल	२,८५,०००
१५. दिल्ली (संघ राज्य-क्षेत्र)	६१,०००
कुल	१६,७८,३००

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

†६८७. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थायी एवं अर्धस्थायी कर्मचारियों को, जिन्हें राजस्थान लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरित किया गया था, पुनः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बदल दिया गया है और विभिन्न डिवीजनों में तैनात कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सब कर्मचारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते और योगकाल दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मामला राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से विचाराधीन है ।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

†६८८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न सरकारी क्षेत्र की परियोजना स्थापित करने का कुल अनुमानित व्यय क्या होगा :

(क) दो भारी बिजली के संयंत्र ;

(ख) सही माप औजार परियोजनाएं ;

(ग) भारी संरचनात्मक, प्लेट और बर्तन कारखाने ;

(घ) भारी कम्प्रेशर एवं पम्प परियोजनाएं ;

(ङ) फौसफोरस संयंत्र ;

(च) डीज़ल इंजन कारखाना ;

(छ) जनता कार निर्माण परियोजना ; और

(ख) इन सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये कौन से देश परियोजनावार वित्त दे रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ८१]**

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०

†६८९. **श्री सोनावाने** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वायत्त ऋणदाता निगमों द्वारा 'शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० को कुल कितने सरकारी ऋण दिये गये हैं, और उन में से कारखाने ने कितनी राशि लौटा दी है और कितनी राशि अभी अवशिष्ट है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मिल की कुल कितनी उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है ; और

(ग) क्या मिल के प्रबन्धक पूरी क्षमता तक मिल को चला सकते हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) न तो औद्योगिक वित्त निगम ने और न ही राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ने शोलापुर मिलों को कोई ऋण दिया है, तथापि बम्बई की तब की सरकार ने (जो अब भी महाराष्ट्र सरकार है) १९५४ में मिल को ९४ लाख रुपये का ऋण दिया था। समूचे ऋण की अदायगी अभी बकाया है।

(ख) और (ग). १९५९-६० में कम्पनी के ८१००० तकुए और १५५० करघे चल रहे थे जब कि स्थापित क्षमता ९५२३२ तकुओं और २२३४ करघों की है। तथापि मिल के व्यवस्थापकों का मिल को उसकी पूरी क्षमता पर चलाने के लिये उसका आधुनिकीकरण एवं नवीकरण का कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है।

लघु उद्योग

६९०. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास आयुक्त, राष्ट्रीय लघु उद्योगों तथा लघु उद्योग संस्थाओं द्वारा जारी किये गये आवेदन प्रपत्र तथा बुलेटिन अंग्रेजी में ही प्रकाशित किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से कुछ हिन्दी में भी प्रकाशित किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) यदि हिन्दी में एक भी बुलेटिन प्रकाशित नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें हिन्दी में भी प्रकाशित करने की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). लघु उद्योग विकास आयुक्त तथा लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों पर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में ही पुस्तिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने भी अनेक बुलेटिन, पर्चे तथा मशीनों की किराया-खरीद की शर्तें हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित की हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोदी कालोनी में क्वार्टरों की चार दीवारी को गिराना

†६९१. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोदी कालोनी, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के साथ लगे घास के मैदानों के ईर्द गिर्द की चारदीवारी को गिरा कर पुनः बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो इस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) दीवारें जो अच्छी हालत में दिखाई देती हैं उनको गिराने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और सभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). ऐसा कोई काम अब नहीं चल रहा है। तथापि मार्च/अप्रैल १९६० में लोदी कालोनी नई दिल्ली के कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

बी टाइप के क्वार्टरों की चारदीवारी और द्वारों के खम्भे गिरा कर लगभग ४०,००० रुपये की लागत से पुनः बनवाये गये थे । ये दीवारें कई स्थानों पर धंस गई थीं, सीधी नहीं रहीं थीं और उस क्षेत्र में भूमिगत जल की ऊंची सतह के कारण शोरा जमने लगा था ।

अकबर रोड, नई दिल्ली, में नौकरों के क्वार्टरों का गिराया जाना

†६६२. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अकबर रोड और आसपास के क्षेत्रों में बंगलों के साथ लगे किन्हीं नौकर क्वार्टरों को हाल में गिराया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन के स्थान पर नये क्वार्टर बना दिये गये हैं और उन पर कितना व्यय हुआ है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां । अकबर रोड पर बंगला नम्बर २ से लगा नौकर क्वार्टर, जो डाक व तार विभाग का है, गिरा दिया गया है ।

(ख) क्वार्टर उसकी उपयोगिता अवधि से कहीं पुराना हो चुका था और उसकी मरम्मत पर अधिक खर्च आता था ।

(ग) उसी स्थान पर नये क्वार्टर बनाये जा रहे हैं और उन पर १८००० रुपये की लागत का अनुमान है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल सबडिवीजन

†६६३. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बिल्डिंग डिवीजनों के क्या नाम हैं, जिनके क्षेत्राधिकार में इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल सबडिवीजन या सैक्शन हैं;

(ख) क्या उन सबडिवीजनों या सेक्शनों के कार्य-संचालन में कोई प्रशासनिक या प्रविधिक कठिनाइयां आई हैं;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार सब इलेक्ट्रिकल डिवीजनों को समाप्त करके उनके विभिन्न इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजनों या सेक्शनों को बिल्डिंग डिवीजनों के साथ लगाने की वांछनीयता का विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८२**]

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). सभी इलेक्ट्रिकल डिवीजन समाप्त नहीं किये जा सकते, इन डिवीजनों की बड़े पैमाने के कामों को चलाने के लिये जरूरत है जिनके लिये ऊंचे दर्जे के प्रविधिक पर्यवेक्षण की जरू-

---

†मूल अंग्रेजी में

रत होती है। ऐसा उच्च प्रविधिक पर्यवेक्षण बिजली के कामों के बारे में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) के द्वारा नहीं किया जा सकता। छोटे कामों को करने वाले इलैक्ट्रिकल या मैकेनिकल सब डिवीजन, उन मामलों में जहां बिजली या सिविल कामों का समन्वय करने के लिये जरूरी होता है, या जहां उनको दूर के बिजली डिवीजन के साथ मिलाने के कारण उन पर नियन्त्रण न रहता हो, सिविल डिवीजनों के साथ मिला दिया जाता है। इस कारण सब इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजनों को बिल्डिंग डिवीजनों के साथ मिलाने का सवाल पैदा नहीं होता।

बिजली और औद्यानिकी सब-डिवीजन

†६९४. **श्री तगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व एक बिजली सब-डिवीजन और एक औद्यानिकी सब-डिवीजन को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नई दिल्ली 'ए' डिवीजन के साथ लगा दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ समय पश्चात् बिजली और औद्यानिकी सब-डिवीजनों को 'ए' डिवीजन से हटा दिया गया और उन्हें क्रमशः बिजली और औद्यानिकी डिवीजनों के क्षेत्राधिकार में बदल दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). कोई बिजली या औद्यानिकी सब-डिवीजन को 'ए' डिवीजन के साथ नहीं लगाया गया तथापि बिजली और औद्यानिकी के कुछ सैक्शन अफसरों को मिण्टो रोड क्षेत्र में काम के लिए 'ए' डिवीजन के एक स्थायी सब-डिवीजन के साथ लगा दिया गया था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, १९५६ में यह फैसला किया गया कि बिजली और औद्योगिकी के इन कामों और कर्मचारियों को क्रमशः सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, मध्य बिजली सर्किल, नई दिल्ली (जिसे अब बिजली सर्कल संख्या १ कहा जाता है) और औद्यानिकी निदेशक, नई दिल्ली के नियन्त्रण में कर दिया जाए।

गुजरात में उर्वरक फैक्टरी

†६९५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र में गुजरात में एक उर्वरक फैक्टरी स्थापित करने का फैसला कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने गुजरात राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को कि वहां राज्य में एक उर्वरक फैक्टरी स्थापित की जाए, सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ब्यौरा तैयार कर रही है, जिसका यथासमय परीक्षण किया जाएगा, जब लाइसेंस के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में निष्क्राम्य भूमि

†६६६. **श्री बें० च० मलिक** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में निष्क्राम्य भूमि को नीलाम करने के बारे में कोई निश्चित नीति निर्धारित की है; और

(ख) निष्क्राम्य भूमि को नीलाम करने के बारे में जो नीति निर्धारित की गई है, उसका क्या ब्यौरा है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री पू० श० नास्कर)** :(क) जी, हां।

(ख) दिल्ली राज्य में भूमि की सब बिक्री और आवंटन, चाहे वह कृषि भूमि हो या नगरीय, सरकार द्वारा बनाई गई बस्तियों में, नगरीय क्षेत्रों के बाहर भूमि या निष्क्राम्य नगरीय भूमि हो, १६ मई, १९६१ से बन्द कर दिया गया है। तथापि यह प्रतिबन्ध उन भूमियों पर लागू नहीं होता है, है, जो नीलाम की जा चुकी हैं और बोली स्वीकार कर ली गई हैं या जिनके बारे में आवंटन की पेशकशें उन लोगों को भेज दी गई हैं और उनके द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं परन्तु स्थानान्तरण दस्तावेज का मामला केवल मूल्य की वसूली या समायोजन के कारण निलम्बित है। उन भूमियों के बारे में जिनकी बोली १६ मई, १९६१ से पहले पक्की नहीं की गई या स्थानान्तरण की पेशकशें स्वीकार नहीं की गई हैं, भूमि मुख्य आयुक्त दिल्ली को यह विचार करने के लिये पेश कर दी है कि क्या उसे दिल्ली प्रशासन की विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में इसकी जरूरत है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हथकरघा उद्योग द्वारा सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : श्रीमान्, मैं हथकरघा उद्योग द्वारा की गई प्रगति को आंकने और इसके आगे विकास के लिये सिफारिशें करने के हेतु सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कार्यकारी दल की रिपोर्ट के बारे में दिनांक ५ मई, १९६१ के गजट में प्रकाशित सरकारी संकल्प संख्या ४ (१५) टैक्स (सी)/६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०६१/६१]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भर्ती) नियम, १९६१ और हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: श्रीमान्। मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड एक्ट, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९७६ में प्रकाशित केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भर्ती) नियम, १९६१।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) (क) कम्पनीज़ एक्ट, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड, जयपुर की वष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०—३०६२/६१ और ३०६३/६१]

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन नियम, १९६१

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: श्रीमान् मैं सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) एक्ट, १९५६ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७९ में प्रकाशित सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—३०६४/६१]

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६१ और कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के आठवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) औद्योगिक विवाद एक्ट, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५७ में प्रकाशित औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६१ ।

(दो) कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के अप्रैल, १९६१ में नई दिल्ली में हुए आठवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०—३०६५/६१ और ३०६६/६१]

आयकर विधेयक, १९७१

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : श्रीमान्, आय कर तथा अधिकर सम्बन्धी विधेयक का समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

साक्ष्य

†**श्री जगन्नाथ राव** : श्रीमान्, मैं आय कर विधेयक, १९६१ सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले और द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) अधिनियम, १९६१ में कुछ मामूली संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले और द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) अधिनियम, १९६१ में कुछ मामूली संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री अ० कु० सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू स्टाम्प शुल्क और कोर्ट फीस से सम्बन्धित विधियों में संशोधन करने तथा कुछ का निरसन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

दशमिक सिक्का प्रणाली को लागू करने के साथ ही यह आवश्यक हो गया है कि स्टाम्प अधिनियम तथा कोर्ट फीस अधिनियम के अधीन लगाये जाने वाले स्टाम्प तथा कोर्ट फीस की दरें दशमिक सिक्कों

---

†मूल अंग्रेजी में

में नियत कर दी जाये। इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन यह है कि मनीपुर और त्रिपुरा में चालू स्टाम्प तथा कोर्ट फीस को उसके निकटवर्ती आसाम राज्य में विद्यमान दरों के समान कर दिया जाये—आसाम राज्य में कोर्ट फीस तथा स्टाम्प शुल्कों को दशमिक सिक्कों में पहले ही किया जा चुका है। हालांकि सिक्के दशमिक प्रणाली में बदल गये हैं किन्तु फिर भी विधेयक में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिनसे कि इन संघ क्षेत्रों में समानता बनी रहे। कोर्ट फीस के मामले में मनीपुर तथा त्रिपुरा में जो कुछ होगा वही हिमाचल प्रदेश में भी होगा। स्टाम्प शुल्क के बारे में यह नहीं हो सकता क्योंकि नवम्बर १९६० से पंजाब में स्टाम्प शुल्क में ५० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। पंजाब की यह वृद्धि हिमाचल प्रदेश पर भी लागू होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मामले में हमें यह ध्यान रखना होगा कि वहां के लोग इतनी बढ़ी हुई फीस सहन नहीं कर सकते। इसलिये हिमाचल प्रदेश में हमें वह स्थिति रखनी होगी जो कि पंजाब नवम्बर, १९६० से पूर्व थी। इसी कारण इस विधेयक की धारा २ में यह व्यवस्था की गई है।

पंजाब ने १९५८ में दशमिक सिक्का प्रणाली अपनाई थी। इस पद्धति के अपनाने के कारण, क्योंकि इस में हिसाब किताब पूरे सिक्कों में करना पड़ा, राजस्व में कुछ वृद्धि हुई थी। इस तरह कुछ मामलों में राजस्व में थोड़ी सी वृद्धि हो जायेगी पर किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में स्टाम्प शुल्क में बहुत थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है। कोर्ट फीस राजस्व में २८,००० रु० की वृद्धि हो जायेगी।

त्रिपुरा आसाम के निकट है। आसाम में स्टाम्प शुल्क काफी दिन हुए तभी संशोधित हो चुका था। आसाम सन् १९२२ से स्टाम्प शुल्क में निरन्तर संशोधन कर रहा है, लेकिन त्रिपुरा में कोई भी विधि लागू नहीं की गयी। इसलिये वहां स्टाम्प शुल्क में ५० से १०० प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। यह बोझ कुछ अधिक सिद्ध नहीं होगा।

मनीपुर में स्टाम्प शुल्क में थोड़ी सी वृद्धि होगी। कोर्ट फीस में केवल ८,००० रुपये की वृद्धि होगी। जिस प्रतिशत के हिसाब से आसाम ने अपने यहां वृद्धि की है उसी प्रतिशत के हिसाब से मनीपुर में भी वृद्धि की जायेगी।

जिन दिनों ये क्षेत्र राजा महाराजाओं द्वारा प्रशासित होते थे उन दिनों यहां कोई विशेष अथवा नियमित विधियां नहीं थीं। इनके विलय के पश्चात् वहां केन्द्रीय विधियां लागू की गयीं। फिर भी पड़ौसी राज्यों में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल यह परिवर्तन नहीं हो सका। सामान रूप बनाने के लिये ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : इस विधेयक के द्वारा मनीपुर, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश में स्टाम्प तथा कोर्ट फीस विधियों को लागू करना तथा उस में संशोधन किया जायेगा। इस विधेयक के दो उद्देश्य मालूम पड़ते हैं। एक तो यह है कि स्टाम्प आदि की दरों को रुपये तथा नये पैसों में बदलना तथा दूसरा यह है कि मनीपुर तथा त्रिपुरा में उस स्टाम्प शुल्क अधिनियम को लागू करना जो कि आसाम में लागू है। तथा पंजाब में प्रचलित स्टाम्प शुल्क को हिमाचल प्रदेश में लागू करना।

त्रिपुरा के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद वहां स्टाम्प शुल्क में १०० प्रतिशत तक की वृद्धि हो जायेगी। लेकिन इस विधेयक को लागू करने से पूर्व मैं यहां बता देना चाहता हूं कि वहां की स्थानीय स्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिये त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ स्थान है और देश के शेष भाग से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दशरथ देव]

पृथक है। वहां के रहने वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है कोर्ट फीस तथा स्टाम्प शुल्कों में समानता लाने से पूर्व सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि सभी स्थानों के व्यक्तियों के रहन सहन का स्तर समान हो जाये। दरों में जो वृद्धि की गई है वह समुचित नहीं है। इसके विपरीत औचित्य इस बात का है कि शुल्कों तथा अन्य फीसों को कम कर दिया जाये ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक बहुत सादा है। इस का उद्देश्य भी बहुत ही स्पष्ट है। विधेयक के खंड ६ के सम्बन्ध में सरकार को ब्योरेवार जानकारी देनी चाहिये थी यह धारा नये आसाम अधिनियम के लागू होने तथा १६ अप्रैल, १९५० के बीच---भारतीय स्टाम्प शुल्क के अधिनियम १८९९ इस तिथि को लागू हुआ था---की अवधि में इकट्ठे किये गये स्टाम्प शुल्क के लगाये जाने को मान्यता प्रदान करेगी। यह एक अवैध कार्य को वैध बनाना है। इस अवधि में आसाम में लगाये गये स्टाम्प शुल्क की दर अधिक थी जबकि मनीपुर में इसकी दर काफी कम थी। इस कारण सरकारी कोष को जो घाटा हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी व्यक्ति पर, जो भी इसके लिये उत्तरदायी हो, निश्चित की जानी चाहिये। और इस मामले की जांच कराई जानी चाहिये। सरकार को सब प्रकार के कराप्रवचनों को रोक कर तथा कुछ उन्मुक्तियों को समाप्त करके राजस्व बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। विभिन्न राज्यों में स्टाम्प शुल्कों तथा कोर्ट फीसों की दरों में जो असमानतायें हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये।

†**श्रीमती आल्वा** : श्री दशरथ देव ने त्रिपुरा तथा मनीपुर की स्थिति का वर्णन करते हुए इस विधेयक का विरोध किया है। लेकिन वह शायद यह भूल गये कि इस वृद्धि का अनुमोदन त्रिपुरा परामर्श समिति ने किया है जिस के कि वह स्वयं एक सदस्य हैं। त्रिपुरा की आय ३५ से ४० लाख रुपये है जब कि वहां का खर्चा ६ से ८ करोड़ रुपये तक प्रतिवर्ष है। यह वृद्धि तो मामूली सी वृद्धि है। अगर पड़ौसी राज्यों में प्रचलित दरों को देखा जाये तो यह वृद्धि मामूली सी है। इसलिये इस शुल्क का विरोध नहीं किया जाना चाहिये ।

जब हम दशमिक पद्धति को अपनाना चाहते हैं तो हमारे लिये यह श्रेयस्कर है कि हम इन संघ राज्य क्षेत्रों में भी समान विधियां लागू करें। अतः मेरा विचार है कि स्टाम्प शुल्क तथा कोर्ट फीस में वृद्धि करने से जनता को कोई खास परेशानी नहीं होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू स्टाम्प शुल्क और कोर्ट फीस से सम्बन्धित विधियों में संशोधन करने तथा कुछ का निरसन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि खंडों के बारे में कोई और संशोधन नहीं है अतः मैं सभी खंडों को मतदान के लिये एक साथ रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"खंड १ से ६, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १ से ६, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्रीमती आल्वा** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : श्री नंदा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रुप में विचार किया जाये।"

वर्तमान अधिनियम की विद्यमान रूप में निश्चित व्यवस्था है कि ३१ दिसम्बर, १९५९ तक अनुसूचित नौकरियों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी के प्रारम्भिक निर्धारीकरण का समाप्त हो जाना चाहिये। यह तिथि व्यतीत हुए काफी समय हो गया है और मजूरी निर्धारण का काम भी लगभग समाप्त हो गया है इस तिथि के निर्धारित किये जाने का प्रयोजन पूरा हो गया है और अब उसको रखने का कोई महत्व नहीं है। अतः समय सीमा सम्बन्धी उपबन्धों को बिल्कुल हटा देने का विचार है ताकि जहां भी कहीं मजूरी निर्धारित करना आवश्यक हो, वहां इसके कारण कोई बाधा पैदा न हो।

यह सुनिश्चित करने के लिये एक उपबन्ध भी सम्मिलित कर दिया गया है कि वर्तमान अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजूरी के निर्धारण तथा पुनरीक्षण के काम का औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन बनाये गये न्यायाधिकरणों द्वारा मजूरी निर्धारण के काम से संघर्ष न पैदा हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : यह विधेयक मजदूरों की भलाई के लिये है। काफी लड़ाई झगड़े के बाद सन् १९४८ में यह अधिनियम संसद् ने बनाया था। लेकिन न्यूनतम मजूरी अधिनियम के पारित होने के बाद भी इस अधिनियम के अधीन दिये गये लाभ प्राप्त करने में मजदूरों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि विभिन्न उद्योगों में जैसे सिनेमा, बीड़ी उद्योग, दर्जीगिरी दुकानों तथा खान उद्योग में त्रिदलीय समिति बनाने के लिये मजदूरों को आन्दोलन करना पड़ा। जो करार ईमानदारी से किये गये हैं उनको मालिक लोग नहीं करते। जिस संशोधन का सुझाव दिया गया है, उस से तो मामला और भी अधिक जटिल हो जायेगा। अतः जिस ढंग से माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। ऐसा संशोधन ही रखा जाना चाहिये जिससे कि मजदूरों को लाभ हो। अतः मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस ढंग से संशोधन न करें।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : संशोधक विधेयक पर कुछ कहने के पहिले मैं न्यूनतम मजूरी अधिनियम के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हमने न्यूनतम मजूरी निश्चित करने का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरविन्द घोषाल]

जो मानदंड निश्चित किया है वह गलत है। न्यूनतम मजूरी किसी उद्योग के मजूरों को भुगतान करने की क्षमता को देख कर निश्चत की जाती है, जब कि यह मजूर की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर निश्चित की जानी चाहिये।

सच्चाई यह है कि जो उद्योग अपने मजदूरों को न्यूनतम मजूरी भी नहीं दे सकता है उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, प्रत्येक उद्योग को अपने मजदूरों को कम से कम इतनी मजूरी अवश्य देनी चाहिये कि उसके मजदूर की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी हो जायें।

दुख की बात है कि सरकार अभी तक अखिल भारतीय आधार पर निर्वाह व्यय का देशनांक स्थिर नहीं कर सकी है, यद्यपि क्षेत्रीय आधार पर यह अंक स्थिर कर लिया गया है। तथापि न्यूनतम मजूरी उस अंक से भी कम है।

एक बार न्यूनतम मजूरी स्थिर हो जाने के उपरांत उसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। वस्तुतः प्रति तीसरे वर्ष सरकार को स्वयं ही इस मजूरी की राशि में परिवर्तन करना चाहिये जब कि ऐसा नहीं किया जाता है।

कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम का कोई लाभ नहीं पहुंचने पाता है, क्योंकि उनका कोई प्रभावशाली संगठन नहीं है, सरकार को चाहिये कि कम से कम न्यूनतम मजूरी प्राप्त करवाने में उनकी सहायता करे।

पहिले संशोधन का आशय अवधि की सीमा को हटा देना है, तथापि इससे उन श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होगा जो अभी तक इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आ सके हैं।

दूसरे संशोधन का आशय यह है कि यदि किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण में कोई विवाद विलम्बित हो तो न्यूनतम मजूरी निश्चित न की जाये। मेरे विचार से मजूरी न्यायाधिकरणों में किसी विवाद के निलम्बित रहने पर भी न्यूनतम मजूरी निश्चित की जा सकती है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम): सरकार द्वारा प्रस्तुतः संशोधन निराशाजनक है। क्योंकि जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनसे विधेयक में सुधार न होकर और भी संकुचितता आ जायेगी वस्तुतः जो कुछ अब तक दिया गया है उसे भी कदाचित् इससे वापस ले लिये जाने की संभावना है।

पहिले संशोधन के द्वारा अवधि सीमा निश्चित करने के स्थान पर नियत की गयी अवधि सीमा बिल्कुल हटा दी गयी है। वस्तुतः यह सरकार द्वारा अपनी असफलताओं को स्वीकार करना है। निसंदेह यदि अवधि सीमा निश्चित करने का कोई ठोस परिणाम नहीं निकले तो समय सीमा हटा देना ही उचित है। अवधि की सीमा को बार बार बढ़ाने से दूसरों को प्रोत्साहन मिलता था कि वह किसी प्रकार इतना विलम्ब करें कि अवधि सीमा समाप्त हो जाये। जिससे कि वे न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के दायित्व से मुक्त हो जायें।

इस संबंध में मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि दूसरी अनुसूची के अधीन आने वाले मजदूरों को पहली अनुसूची के अधीन आने वाले मजदूरों के समकक्ष नहीं रखा जाता है। दूसरी अनुसूची के अधीन कृषि श्रमिक आते हैं। जहां तक मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में जो कि भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है वहां भी उनके लिये कोई न्यूनतम मजूरी निश्चित नहीं की गयी है, अतः बावजूद इसके कि एक समय सीमा के अन्दर उनके लिये न्यूनतम मजूरी निश्चित की जाये समय सीमा का उपबंध ही हटा देना उचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं दूसरा संशोधन लेता हूं। इसकी शब्दावली इतनी व्यापक और भ्रांतिपूर्ण है कि शायद हमें इसका विरोध करना होगा। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार की शब्दावली असावधानी के कारण रखी गयी है या किसी विशेष उद्देश्य से। मैं माननीय उपमंत्री से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह संशोधन वहीं उपयुक्त है जब कि न्यूनतम मजूरी के संबंध में कोई संशोधन राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में विलम्बित पड़ा हो

हमें यह जानकर भी दुख हुआ है कि इस विधेयक में इस अधिनियम के सुधार के लिये कोई उपबंध नहीं किया गया है। अधिनियम के धारा २२ के अनुसार यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो उसे ५०० रु० का अर्थदंड दिया जा सकता है। मेरे विचार से इससे कोई रोक नहीं लगती है। अतः यदि सरकार यह चाहती है कि इस विधेयक को प्रभावशाली बनाया जाय तो इसके उपबंध अधिक कठोर बनाने चाहियें। तथापि इस और सुधार करने के लिये कोई भी संशोधन नहीं किया गया है।

इस विधेयक को लागू हुए बारह तेरह वर्ष हो चुके हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वह अधिनियम में कुछ ऐसे व्यापक सिद्धान्तों, या निदेशों का समावेश करें जिससे कि मजूरी निश्चय करने वाली समतियों को उनके कार्य में सहायता मिले। बहुधा यह होता है कि मजूरी की बाजार दर से मजूर का न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाता है। यह बिल्कुल गलत सिद्धान्त है क्योंकि मजदूर कोई कपड़ा, चीनी या चावल नहीं है जो इस प्रकार बाजार में बेचा जाये। दूसरे हमारे देश में बेकार मजदूरों की संख्या भी बहुत है, परिणाम यह होता है कि सामान्यतः मजूरी निश्चित स्तर के आस पास अर्थात १ रु० या १.२५ रु० प्रतिदिन के हिसाब से निश्चित की जाती है। मजूरी में इससे अधिक वृद्धि नहीं होने पाती है। इसका कारण है कि हमारे पास इस संबंध में कोई निदेशक सिद्धान्त नहीं है।

तथापि मेरे सुझाव देने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई इस प्रकार का विधान पारित किया जाय कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन आने वाले सभी व्यवसायों पर पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन में निश्चित मापदंड स्वयं ही लाग हो जाये, तथा उसे विधी द्वारा नियोजकों पर अनिवार्यतः लागू किया जाये। तथापि पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन में पारित संकल्प में यह भी कहा गया है कि इस निश्चित मानदंड को एक निदेशक सिद्धान्त के रूप में उन सभी न्यायाधिकरणों तथा मजूरी निश्चत करने वाली संस्थाओं को सिफारिश के रूप में भेजा जाये।

यदि केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम में यह निश्चत किया जाता है कि दैनिक मजूरी १.५० रु० की जाये तो राज्य सरकारें यह आपत्ति करती है कि यदि एक ही राज्य के अन्तर्गत देनिक मजूरी में ये विभेद रहेगा तो सभी मजूर केन्द्रीय सरकार के उपक्रम में चले जायेंगे और फलस्वरूप राज्य सरकार को अपने उपक्रमों के लिये मजदूर उपलब्ध होने में कठिनाई होगी। फलस्वरूप मजूरी की दर घटाकर १.२५ रु० की करनी होती है। यदि सरकार की यह राय है कि पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर अमल नहीं हो सकता है तो उन्हें चाहिये कि वह उससे कम मापदंड निर्धारित करें तथापि इस संबंध में कोई न कोई मानदंड अवश्य होना चाहिये जिससे कि मजूरी निश्चित करने वाली समितियों और न्यायाधिकरणों को निदेश मिल सके।

संशोधनों के संबंध में मेरा मत यह है कि कम से कम कृषि श्रमिकों के संबंध में अवधि सीमा निश्चित की जाये, तथा सरकार इस बात का भरसक प्रयत्न करे कि यह अधिनियम उस व्यवसाय पर तत्काल लागू हो।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

दूसरे संशोधन के संबंध में मेरा मत है कि इसकी शब्दावली पर सावधानी से विचार किया जाय जिससे कि नियोजक कोई बहाना बना कर इस अधिनियम को लागू होने से न रोक सकें।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सरकार ने दूसरा संशोधन इस आधार पर किया प्रतीत होता है कि यदि कोई औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयाधीन हो तो उस समय दूसरा पदाधिकारी किस प्रकार न्यूनतम मजूरी निश्चित कर सकता है ? अतः इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि यदि ऐसी स्थिति हो तो भी मजूरी निर्धारण संस्था को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अन्तर्कालीन न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर सके, जो तब तक कायम रहेगी जब तक कि उच्चतर संस्था द्वारा मजूरी में संशोधन न कर लिया जाये।

हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि न्यूनतम मजूरी विधान को लगभग १३ या १४ वर्ष हो चुके हैं, अतः हमे इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि केवल इस कारण कि उस उद्योग से संबंधित कोई औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयाधीन है, न्यूनतम मजूरी निश्चित करने में किसी प्रकार की रुकावट न आ सके।

अवधि की सीमा हटाने के संबंध में जिस आधार का सहारा लिया गया है वह उपयुक्त नहीं है। यह कहना कि क्योंकि इस संबंध में अधिकांश कार्य हो चुका है अतः अवशेष कार्य के संबंध में कोई शीघ्रता नहीं है, उचित नहीं कहा जा सकता है। यह नियोजकों के सामने अपनी हार स्वीकार करना है।

हमारा यह अनुभव है कि कई उद्योगों में जो न्यूनतम मजूरी निश्चित की गयी है वह बहुत कम है। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई निश्चित मानदंड नहीं है अतः इस अधिनियम के संशोधन के समय हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना है कि मजूरी निर्धारण व्यवस्था के समक्ष कौन से निदेशक सिद्धान्त रखे जायें, क्योंकि जब तक निदेशक सिद्धान्त नहीं होंगे कोई भी व्यवस्था ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकती है। इस सिद्धान्त के संबंध में मेरा मत है कि न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ नियोजक की क्षमता पर भी ध्यान देना चाहिये।

अतः मेरा मत है कि यह विधेयक प्रतिगामी है अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मेरा सुझाव यह है कि सरकार को इस बारे में सर्वेक्षण करना चाहिये कि उन उद्योगों में जहां कई आन्दलोनों के पश्चात् न्यूनतम वेतन किसी प्रकार निश्चित् किया गया है वहां भी वह दिया जा रहा है या नहीं। कानपुर में चमड़े का काम करने वाले श्रमिकों के लिये बड़ी कठिनाई से १.७५ रु० मजूरी निश्चित की गयी थी तथापि वह मजूरी भी अभी नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार के कई अन्य उद्योग भी हैं जहां अभी तक न्यूनतम मजूरी निश्चित ही नहीं की गयी है। अतः यदि यह विधेयक इसी रूप मे स्वीकृत हो जाय तो उन उद्योगों में न्यूनतम मजूरी कभी निश्चित नहीं हो सकेगी। सबसे अधिक कठिनाई कृषि मजूरों के संबंध में होगी, वहां यह अधिनियम कभी लागू नहीं हो सकेगा।

अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका है कि न्यूनतम मजूरी क्या होनी चाहिये। वस्तुतः केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का कारण यही था कि पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन में जो सिफारिशें की गयी थीं उनके अनुसार उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। वस्तुतः कर्मचारियों ने इसी बात को लेकर संघर्ष किया। किन्तु वेतन आयोग ने इसको क्रियान्वित नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक विधेयक का संबंध है कम से कम कृषि श्रमिकों के संबंध में तथा उन उद्योगों के संबंध मे जहां यह क्रियान्वित नहीं हो सका है अवधि की सीमा बनी रहनी चाहिये अन्यथा इसकी उपेक्षा होनी आरम्भ हो जायगी।

जहां तक दूसरे संशोधन का तात्पर्य है विवाद शब्द की स्पष्ट व्याख्या हो जानी चाहिये अन्यथा इस उपबंध का मजदूरों के हितों पर घातक प्रभाव पड़ने की आशंका है।

अतः मैं माननीय उप मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात का स्पष्टीकरण करें कि न्यूनतम मजूरी से उनका तात्पर्य क्या है, आशा है वे इस संबंध में भ्रांति दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : अध्यक्ष महोदय, सदन में यह जो मिनिमम वेजेज़ (अमेंडमेंट) बिल पेश किया गया है उस पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

इस अमेंडिंग बिल के अन्दर कोई खास बात नहीं कही गई है और जो कहा गया है वह यह कहा गया है कि मिनिमम वेज जो कायम किया जाय उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। राज्य सरकारें इसके लिए फ्री हैं कि वह किसी भी टाइम में कितने भी अर्से के बाद कहीं भी मिनिमम वेज कायम करें। श्रीमन्, मिनिमम वेज ऐक्ट १९४८ के अन्दर बना था लेकिन १९४८ के पहले कुछ उद्योग ऐसे थे कि जिनमें मिनिमम वेज कायम हो चुका था। बम्बई, अहमदाबाद और इंदौर जैसे सेंटर्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अन्दर मिनिमम वेज कायम हो चुका था और उस के बाद मिनिमम वेज ऐक्ट बना और उस के अन्दर टाइम लिमिट ठहरा दी गई कि अमुक अमुक उद्योग के अन्दर इतने समय के अन्दर मिनिमम वेज कायम हो जाना चाहिए। उस टाइम लिमिट को भी समय समय पर बदला गया, लेकिन शिड्यूल में जो उद्योग रखे गये थे, उन में केन्द्रीय शासन राज्य शासनों से मिनिमम वेज निश्चित नहीं करा पाया। इससे तो यही लगता है कि जहां पर लड़ाई की पूरी तैयारी होती है और मजदूर अपने अधिकारों के लिये लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वहां तो सरकार भी विचार करती है, लेकिन जो सीधे-सादे और दबे हुए और बहुत अधिक ग़रीब श्रमिक होते हैं, उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता।

देखने में यह आया है कि जहां मिनिमम वेज कायम हुए, उन को समय समय पर रिवाइज़ भी किया गया। इतना ही नहीं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वेज बोर्ड वग़ैरह कायम किये गये और दो तीन दफ़ा उन का वेतन बढ़ाया गया। इस के मुकाबले में ऐसे श्रमिक हैं, जिन की हालत बहुत गिरी हुई है, जिन को बहुत कम वेतन मिलता है और अक्सर उसमें उनका शोषण होता रहता है, लेकिन उन के लिए अभी भी कितनी ही राज्य सरकारें मिनिमम वेज कायम नहीं कर पाई हैं। अधिक दुख इस बात से होता है कि उन उद्योगों में बेशुमार कमाई हो रही है। उदाहरणस्वरूप मैं बीड़ी उद्योग का ज़िक्र करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में बीड़ी उद्योग में कम से कम चार पांच लाख श्रमिक काम करते हैं। पुराने बम्बई स्टेट में बीड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जब मिनिमम वेज कायम किया गया और यह निश्चित किया गया कि उनको कम से कम वेतन क्या मिलना चाहिए, तो सारा बीड़ी उद्योग पुराने बम्बई स्टेट से शिफ्ट कर के मध्य भारत में ले जाया गया, क्योंकि यह उद्योग सूपड़े में चलता है और इस के लिये बिल्डिंग या मशीन वग़ैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सूपड़े में तम्बाकू, डोरा और पत्ता रख लिया जाता है और उससे बीड़ियां तैयार की जाती हैं। इसमें बेहद कमाई होती है। मध्य भारत में जब बीड़ी वर्कर्ज़ का मिनिमम वेज कायम किया गया, तो वह उद्योग मध्य भारत से शिफ्ट हो कर पुराने मध्य प्रदेश में चला गया। जब मध्य प्रदेश में मिनिमम वेज कायम होता है, तो सारे का सारा उद्योग बिहार की तरफ चला जाता है। शासन के सामने यह एक बड़ा विचारणीय सवाल है कि एक ही उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, अनस्किल्ड वर्कर्ज़ के लिए, मिनिमम वेज क्या

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

होना चाहिए। समय समय पर जो कमेटियां बिठाई गईं, उन्होंने इस बारे में विचार किया। अभी माननीय सदस्य, श्री गुप्ता, ने कहा कि कैपेसिटी टु पे को देखना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिमम वेज के लिए कैपेसिटी टु पे का सवाल ही नहीं उठता। जब उन लोगों को कम से कम देना है, तो कैपेसिटी टु पे का सवाल क्या है? जब लिविंग वेज़ का सवाल आता है, तब यह विचार करना पड़ता है कि यह इंडस्ट्री कुछ दे सकती है या नहीं, कितना दे सकती है, कितना बोझा उठा सकती है। मैं ने अपने अनुभव से यह देखा है कि जिस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा दिलाने की कोशिश की होगी, वह इंडस्ट्री उतनी ही अधिक बढ़ी और फली फूली होगी और जिस इंडस्ट्री में कम से कम दिया गया होगा, वह इंडस्ट्री पनप नहीं पाई होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा ज़ाती तजुर्बा है। क्यों? जब वर्कर्ज़ को कुछ मिलता है, तो उद्योग के चलाने वाले भी यह विचार करते हैं कि इंडस्ट्री को किस तरह से चलाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाना है, उस में से प्राफ़िट निकालना है, उस में से कमीशन लेना है। मेरा यह निवेदन है कि कितने ही ऐसे उद्योग हैं, जहां के लिये हम ने मिनिमम वेज कायम नहीं किया। टैक्सटाइल इंडस्ट्री एक ही सैंटर में है। तो फिर उस एक ही इंडस्ट्री में मिनिमम वेज़ अलग अलग होना समझ में नहीं आता। हम ने एक प्रिंसिपल, एक सिद्धान्त ठहरा लिया है कि एक ही सैंटर में एक ही उद्योग में कम से कम वेतन एक होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली में चार टैक्स-टाइल मिलों में से तीन मिलों में मिनिमम वेज़ तीस रुपये है और एक मिल में २८ रुपये है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मिनिमम वेज़ के बारे में गवर्नमेंट टाइम लिमिट नहीं मुकर्रर करती है, तो उसका मतलब तो यह होगा कि राज्य सरकारें बेफ़िक्र हो जायेंगी कि वे जब चाहें, इस काम को करें। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को मिनिमम वेज़ के बारे में कुछ सिद्धान्त तय कर लेना होगा कि अमुक टाइम में हर एक इंडस्ट्री में मिनिमम वेज कायम हो जाना चाहिए। अगर वह उस लिमिट में कायम नहीं होता है, तो केन्द्रीय शासन एक नोटिफ़िकेशन के द्वारा यह ज़ाहिर करेगा कि अमुक इंडस्ट्री में मिनिमम वेज़ अमुक होना चाहिए। माननीय मंत्री, श्री शाह, मेरी बात पर हंस रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर केन्द्रीय शासन पर कुछ जवाबदेही डाली जायगी, तो वह बहुत ज्यादा एक्टिव हो जायगा।

अभी कल ग्रामोद्योग और खादी के सवाल पर विचार किया गया, जिस में लाखों वर्कर्ज़ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ़ से अनुदान दे कर, पहनने वालों को रीबेट दे कर और सस्ती खादी दे कर उन को खादी पहनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहां लाखों की तादाद में काम करने वालों को प्रति दिन क्या मिलता है? उन के लिये कोई निश्चित दर नहीं है कि आठ घंटे काम करने पर उनको क्या मिलेगा। खादी में पीस-रेट की व्यवस्था है। कताई में चार आने प्रति हैंक के हिसाब से दिया जाता है। आठ घंटे में कितने हैंक आ सकते हैं और इस हिसाब से प्रति-दिन उन को प्रति क्या मिलना चाहिए, यह देखना चाहिए। लेकिन हो यह रहा है कि उसमें . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह एक संक्षिप्त संशोधन विधेयक है। अतः दोनों पक्षों द्वारा जो बातें कही गयी हैं उन में अधिकांश असंगत हैं। निसंदेह कुछ अच्छी और लाभदायक बातें कही गई हैं यथा उन सिद्धान्तों को निश्चित किया जाना चाहिए जिनके आधार पर न्यूनतम मजूरी निश्चित की जा सके तथापि विधेयक का क्षेत्र सीमित है।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मेरा निवेदन यह है कि यह जो मिनिमम वेजिज़ एक्ट है यह शुरू में १९४८ में पास किया गया था और उसमें टाइम फिक्स कर दी गई थी कि इतने समय के अन्दर शैड्यूल्ड इंडस्ट्रीज़ में मिनिमम वेजिज़ कायम हो जानी चाहियें। लेकिन राज्य सरकारें उस टाइम लिमिट में इसे नहीं कर पाईं और एमेंडमेंट द्वारा फिर टाइम लिमिट को बढ़ाया गया। उस टाइम लिमिट में भी वे नहीं कर पाईं। इसके बाद फिर इस टाइम लिमिट को बढ़ाया गया। अन्त में यह किया गया है कि अब कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि अमुक स्टेज है और उस स्टेज के अन्दर अमुक बात हो जाये, इसे आपको देखना चाहिए। हमारी नैशनल इनकम बढ़ती जा रही है, कई इंडस्ट्रीज़ के अन्दर मिनिमम वेजिज़ रिवाइज़ हो रही हैं, वेज़ बोर्ड कायम हो रहे हैं, पे कमिशन नियुक्त किये जा रहे हैं, ऐसी हालत में जहां मजदूर दबे हुए हैं और जिन की संख्या लाखों में है और जिन के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एक टाइम के अन्दर अन्दर वहां मिनिमम वेजिज कायम हो जानी चाहियें। इस तरह की छूट देना कि कितने ही समय के अन्दर मिनिमम वेज़िज कायम की जा सकती हैं, खराब है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अगर राज्य सरकारें अमुक टाइम के अन्दर मिनिमम वेजिज़ कायम करने में असमर्थ रहती हैं तो केन्द्रीय शासन को इस चीज़ को तय करना चाहिए, फिर चाहे इसको करने के लिए कोई भी तरीका अख्तियार किया जाये, चाहे त्रिदलीय सम्मेलन बुला कर किया जाये, या इंडियन लेबर कान्फ्रेंस में किया जाये या किसी और प्रकार से किया जाये। मैं समझता हूं कि मिनिमम वेज़ एक्ट के अन्दर एमेंडमेंट ला कर यह तय कर दिया जाना चाहिए कि अगर राज्य शासन ने मिनिमम वेज़ इतने समय के अन्दर शैड्यूल्ड इंडस्ट्रीज़ के अन्दर तय नहीं की तो केन्द्रीय सरकार नोटि-फिकेशन के द्वारा या किसी और तरीके से ऐसा कर सकती है और कह सकती है कि अमुक इंडस्ट्री के अन्दर काम करने वाले श्रमिकों के लिए अमुक मिनिमम वेज़ होगी। इस एक्ट के अन्दर आज जो खामियां हैं, वे बहुत जबर्दस्त हैं। इंडियन लेबर कान्फ्रेंस के फार्मुले के अनुसार जो त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है और जिस में राज्य शासन के प्रतिनिधि बैठते हैं, एम्प-लायर्ज़ के प्रतिनिधि बैठते हैं, एम्पलायीज़ के प्रतिनिधि बैठते हैं और यह फैसला करते हैं कि क्या मिनिमम वेज़ होनी चाहिए और इसके बारे में एग्रीमेंट हो जाता है और उसके फलस्वरूप राज्य शासन विधान सभा में कानून लाता है, उसको पास कराता है और उसके बाद उसको राष्ट्रपति जी की स्वीकृति भी मिल जाती है, यह सब कुछ हो चुकने के बाद जो एम्पलायर्ज़ होते हैं वे हाई कोर्ट में जाते हैं और रिट ले आते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करके त्रिदलीय सम्मेलन का जो एग्रीड फार्मुला था और जिसके अनुसार मिनिमम वेज़ तय होनी थी, उसको लागू नहीं होने देते हैं, उसको लम्बा करते चले जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि मिनिमम वेज़ एमेंडमेंट बिल जो है उससे कोई ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि उससे यह होगा कि राज्य शासन ढीले पड़ जायेंगे। इस वास्ते मिनिमम वेज़ फिक्स करने के मामले को केन्द्रीय शासन को देखने की जरूरत है। उसे देखना चाहिए कि जहां जहां पर भी मिनिमम वेज़ फिक्स नहीं हुई है, वहां वहां वह जल्दी फिक्स हो जाये।

†**डा० मेलकोटे**: (रायचूर): १९४८ में न्यूनतम मजूरी अधिनियम अनुसूचित उद्योगों में लागू किया गया और व्यवस्था की गयी कि न्यूनतम मजूरी निर्धारित हो। उद्योगों को इस उद्देश्य के लिए दो तीन अवसर भी दिये गये परन्तु बात बनी नहीं। हो सकता है कि विभिन्न राज्यों के हालात इसके लिए उत्तरदायी हों परन्तु जहां सम्भव हो न्यूनतम मजूरी निर्धारित होनी चाहिए। प्रत्येक

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मेलकोटे]

व्यक्ति को इस देश में इतना तो मिलना ही चाहिये कि वह अच्छी प्रकार जीवित रह सके। मैं यह स्वीकार करता हूं कि आज मजदूर को इतने पैसे भी नहीं मिलते कि वह पेट भर खाना खा सके। जो न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया था वह १९५२, १९५४, १९५६, में किये गये कार्य का पुनरीक्षण मात्र ही था। न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण करना बड़ा जरूरी है और इसके लिये बराबर समय लेते रहना ठीक नहीं। शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में निर्णय हो जाना चाहिए।

मेरा मत यह है कि न्यूनतम मजूरी में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम को सभी क्षेत्रों में, राज्य क्षेत्रों में भी लागू करना चाहिए। वर्तमान न्यूनतम मजूरी भी ठीक नहीं है और सरकार को चाहिए कि एक और संशोधन विधेयक लाकर विभिन्न उद्योगों में निर्धारित वर्तमान न्यूनतम मजूरी का भी संशोधन करे। मुझे विश्वास है कि उपमन्त्री महोदय मेरी इन बातों पर विचार करेंगे।

†**श्री काशी नाथ पांडे** (हाता): न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने की दिशा में एक कठिनाई यह है कि विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार से न्यूनतम मजूरी प्रचलित है। इसमें एकरूपता नहीं है। अभी तक मैं यह नहीं समझ सका कि किस आधार पर यह न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जा रही है। यह कहना तो बिल्कुल ही निराधार है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम का लाभ उत्तर प्रदेश को नहीं प्राप्त हुआ और वहां के कृषि मजूर इससे वंचित रहे हैं। मेरी जानकारी तो यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें काफी अधिक लाभ हो रहा है। मैं इसके कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने का कोई सिद्धान्त निश्चित किया जाना चाहिए। और अनुसूचियों में भी संशोधन करना चाहिए। न्यूनतम मजूरी को निर्धारित करते समय देश की बराबर बदलती हुई स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिये। १९५२ से १९६१ तक बहुत भारी परिवर्तन देश में हुये हैं। मेरा मत यह है कि जो उद्योग न्यूनतम मजूरी से अधिक देने में समर्थ है और उनका आर्थिक ढांचा ठोस है तो उन उद्योगों को इस न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लेना चाहिए। आशा है कि सारी बातों का ध्यान रख कर ही नयी व्यवस्था को आरम्भ किया जाना चाहिये।

†**श्री आबिद अली** : इस संशोधन विधेयक का क्षेत्र बड़ा सीमित है। परन्तु इस बारे में विविध अंगों पर माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। विरोधी पक्ष के सदस्यों की इस दिशा में कठिनाई यह है कि उनका कार्मिक संघ में विश्वास नहीं है। कलकत्ता के एक माननीय सदस्य ने सिनेमा कर्मचारियों के बारे में कहते हुए कहा कि कुछ मन्त्री मालिकों के प्रभाव में हैं, साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि मन्त्रियों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में मन्त्रियों को बड़ा सचेत रह कर कार्य करना होता है। सरकार पूरी जिम्मेदारी से इस दिशा में चल रही है। बम्बई और कलकत्ता में सिनेमा कर्मचारी काफी संगठित हैं और उन्हें इस विधान का लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्हें जो लाभ प्राप्त हो रहा है उन्हें अपेक्षित स्तर पर लाया जा रहा है। परन्तु इस समय हो रही चर्चा का लाभ उठा कर कुछ दिशा में कांग्रेस मन्त्रियों की आलोचना की जा रही है हलांकि वह अन्त में यह महसूस करते हैं कि कांग्रेसी मन्त्रियों ने बहुत कुछ किया है। यदि किसी काम में ९५ प्रतिशत सफलता और ५ प्रतिशत असफलता मिली हो तो उसे असफलता नहीं कहा जा सकता न ही इसे 'गलती मानना' कहा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं स्वयं ही आपको आंकड़े बताता हूं। राज्यों में ६,७४,६४४ कर्मचारियों पर यह अधिनियम लागू है, जबकि केन्द्र में ऐसे कर्मचारियों की संख्या ५,८५,८५७ हैं। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में मजूरी निश्चित करने का काम हो चुका है। जो कर्मचारी इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। इसी चीज को दृष्टि में रख कर ही प्रारम्भ में मैंने कहा था कि अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है। सारे देश भर से हमें इस दिशा में एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि जिन कर्मचारियों पर यह अधिनियम लागू हो सकता था वहां इसे लागू नहीं किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के ३६,००० परिवहन कर्मचारी भी इसके अन्तर्गत आ गये हैं। केवल बम्बई के २०,००० कर्मचारी जिनका सम्बन्ध 'बैस्ट' से है इसके अन्तर्गत नहीं आते क्योंकि वह इस मामले में काफी आगे हैं। फिर इससे ही सारा काम नहीं हो जाता यह तो ३५ लाख है। इसके अतिरिक्त लाखों व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे है। उनके लिये अलग से विधान बनाये गये हैं और उन विधानों का लाभ उन्हें मिल रहा है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम का ऐसे कर्मचारियों ने लाभ उठाया है जो कि संगठित नहीं थे और ठीक ढंग से उचित स्तर का कार्मिक संघ नहीं बना सकते थे। उनके मामले में सरकार ने उनके लिये न्यूनतम मजूरी को सुनिश्चित करने की कार्यवाही की है।

संशोधन के सम्बन्ध में निवेदन है कि जब कभी कोई विशेष विवाद किसी न्याय निर्णय अथवा किसी प्राधिकार को सौंपा गया तो उसके निर्णय हो जाने तक न्यूनतम मजूरी को परिवर्तित करके उसे ऐसे कर्मचारियों पर लागू करना ठीक नहीं होता। इस दिशा में जो कुछ सभा में कहा गया है वह हमारे सामने है और हम विधि मन्त्रालय से इस मामले पर परामर्श कर रहे हैं। जहां तक अन्तरिम सहायता का सम्बन्ध है। यह मामला विवादपूर्ण है। कोई निर्णय करने वाला प्राधिकार ही इस मामले में अन्तिम निर्णय कर सकता है।

एक बात और भी हमें समझ लेनी चाहिए वह यह कि कर्मचारी अब इस स्थिति में हैं कि न्यूनतम मजूरी के निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपना मामला सम्बद्ध प्राधिकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके प्रतिनिधि सब जगह विद्यमान हैं। सलाहकार बोर्डों में भी उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त है और उन समितियों में भी उनके प्रतिनिधि हैं जिन्होंने कि मजूरी निश्चित करनी है। इस मामले में मैं यह बताना चाहता हूं कि सारी बातों का अन्दाजा लगा कर और अच्छी प्रकार से इस समस्या के विविध अंगों को विचार कर इस समिति ने एक मत से निर्णय किया था। स्थिति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया कि समिति द्वारा एक मत से किये हुये निर्णयों को बदला जाय। यह सम्भव था कि यदि समिति एक मत से निर्णय न करती तो सरकार अपना फैसला दे देती। क्योंकि एक मत न होने की दशा में ऐसा करने का सरकार का अधिकार है। समिति के निर्णय करते समय किसी भी कर्मचारियों को प्रतिनिधि पर दवाव नहीं डाला गया। क्योंकि सलाहकार समिति है और इसका प्रतिवेदन प्रकाशित होता है। वहां कोई ऐसा निर्णय हुआ ही नहीं जिसे हमें बदलना पड़ता।

इस प्रस्तुत संशोधन पर हमें खण्डवार चर्चा करनी ही होगी। अतः अब प्रश्न यह है :

"कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[श्री आबिद अली]

खंड २—(धारा ३ का संशोधन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २, ६ से १४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"(2A) Where in respect of an industrial dispute relating to the rates of wages payable to any of the employees employed in a scheduled employment, any proceeding is pending before a Tribunal or National Tribunal under the Industrial Disputes Act, 1947 or before any like authority under any other law for the time being in force, or an award made by any Tribunal, National Tribunal or such authority is in operation, and a notification fixing or revision the minimum rates of wages in respect of the scheduled employment is issued during the pendency of such proceeding or the operation of the award, then, notwithstanding anything contained in this Act, the minimum rates of wages so fixed or so revised shall not apply to those employees during the period in which the proceeding is pending and the award made therein is in operation or, as the case may be, where the notification is issued during the period of operation of an award, during that period; and where such proceeding or award relates to the rates of wages payable to all the employees in the scheduled employment, no minimum rates of wages shall be fixed or revised in respect of that employment during the said period."

"(२क) किसी अनुसूचित रोजगार में काम करने वाले किसी कर्मचारी को देय मजूरी की दरों से सम्बन्धित किसी औद्योगिक विवाद का मामला हो और उसकी कोई कार्यवाही औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन किसी न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सामने विचाराधीन हो, या उक्त समय पर प्रचलित किसी कानून के अधीन बनाये गये किसी प्राधिकार जैसी संस्था या किसी न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या किसी विद्यमान ऐसे प्राधिकार के किसी संचार के अधीन ऐसी कार्यवाही के विचाराधीन समय में या ऐसे पंचाट के चालू रहते समय में अनुसूचित रोजगार के सम्बन्ध में मजूरी की न्यूनतम दरों को निश्चित करने या उनमें संशोधन करने की कोई अधिसूचना जारी की जाय तो इस अधिनियम में उल्लिखित बातें के होते हुए भी मामले के विचाराधीन रहने की अवधि में या पंचाट के लागू रहने की अवधि जैसा भी मामला हो संशोधित या पुनरीक्षित मजूरी की न्यूनतम दरें, उन कर्मचारियों पर नहीं लागू होगी चाहे उस पंचाट के प्रवर्तन काल में कोई अधिसूचना निकाली गई हो; और ऐसे मामलों में जिन में कार्यवाही या पंचाट उस अनुसूचित रोजगार में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को देय मजूरी की दरों से सम्बद्ध हो, उक्त अवधि में मजूरी की कोई भी न्यूनतम दरें न तो निर्धारित की जायेंगी और न उनका संशोधन किया जायेगा ।"

[श्री आबिद अली]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३, खंड ४, खंड १ और अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री आबिद अली : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक

†उपाध्यक्ष महोदय : अब कार्य-सूची के अनुसार हमें नमक उपकर संशोधन विधेयक लेना चाहिये । परन्तु प्रभारी माननीय मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं ।

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : श्री मनुभाई शाह की ओर से, मैं विचार-प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : यह अनुचित है कि माननीय मंत्री सभा की कार्यवाही की ओर उचित ध्यान नहीं देते । माननीय मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिये था ।

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : मुझे खेद है कि मेरे उपस्थित न रहने से सभा की कार्यवाही में बाधा पड़ी ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नमक उपकर अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण से स्पष्ट है कि यह एक सीधा सा विधेयक है । इसमें कोई पेचीदगी नहीं है । १ली अप्रैल, १९४७ से नमक पर शुल्क हटाने के बाद से, सरकार ने नमक संगठन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये कार्य-पालक आदेशों के अन्तर्गत नमक पर कुछ प्रभार लगाये थे, जो इस प्रकार थे :—

(क) निजी नमक कारखानों में तैयार होने वाले नमक पर, दो आने प्रति मन की दर से ; और

(ख) सरकारी नमक कारखानों में तैयार होने वाले नमक पर, साढ़े तीन आने प्रति मन की दर से ।

१९५३ में इस आरोपण को संविहित आधार दिया गया था । नमक उपकर अधिनियम में नमक पर उपकर लगाने की व्यवस्था की गई थी ।

हिन्दुस्तान नमक समवाय (केन्द्रीय सरकार के पूरे स्वामित्व में एक सीमित समवाय) अप्रैल, १९५८ में स्थापित किया गया था, प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसरण में । उसका उद्देश्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

था नमक के सभी सरकारी कारखानों को अपने अधिकार में लेकर संचालित करना और नमक से सम्बन्धित सभी व्यवसाय अपने हाथ में लेना। १ली जनवरी, १९५९ से सांभर, खारगोधा और डिडवाना के सरकारी नमक कारखाने इस समवाय को सौंप दिये गये थे। बाद में डिडवाना राजस्थान सरकार को लौटा दिया गया है। मंडी नमक खानों में कुछ काम चल रहा था, इसलिये उसे समवाय को सौंपना स्थगित कर दिया गया था।

समवाय की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये है, १००० रुपये के १०,००० पूंजी शेयरों के रूप में। प्रार्थित पूंजी और शेयर पूंजी २४,२०,००० रुपये है। नमक विभाग की ओर से समवाय को मिली आस्तियों के मूल्य के बराबर पूंजी जल्द ही समवाय को दे दी जायेगी।

१९५९ और १९६० में सांभर नमक कारखाने का उत्पादन क्रमशः ६२,३६,००० टन और ६५,५६,००० रहा ; जब कि खारगोधा का उत्पादन क्रमशः ५२,१२,००० मन और ४०,३२,००० मन रहा।

मैं पहले बता चुका हूं कि सरकारी नमक कारखाने निजी नमक कारखानों की अपेक्षा डेढ़ आना प्रति मन अधिक उपकर अदा करते हैं। यह इसलिये कि उनके प्रशासन और संगठन के संचालन की लागत सरकार भरती है। सरकारी नमक कारखाने इस लागत में बहुत थोड़ा अंशदान करते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान नमक समवाय लिमिटेड को सभी सरकारी नमक कारखाने सौंपने के बाद परिस्थिति बदल गई, और सभी निजी कारखानों की भांति, समवाय भी प्रशासन और संगठन संचालन की पूरी लागत भरने लगा। लेकिन उपकर की दर डेढ़ आना प्रति मन अधिक ही बनी रही, इससे समवाय को, विशेष कर खारगोधा कारखाने को कठिनाई पड़ने लगी अपना माल बेचने में। उसके फलस्वरूप कारखाने में माल का स्टॉक जमा होने लगा। समवाय को निजी कारखानों के साथ प्रतियोगिता करने के लिये नमक का मूल्य उत्पादन-लागत से भी कम रखना पड़ा। इससे समवाय को घाटा पड़ने लगा और वह उपकर की ऊंची दर के बारे में बार-बार सरकार को लिखने लगा। समवाय हालांकि है तो सरकारी, पर उसे सभी निजी नमक समवायों की तरह कर अदा करने पड़ते हैं।

भारत सरकार ने १९५८ में एक नमक समिति नियुक्त की थी। उसने नमक उद्योग के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद यही सिफारिश की थी कि राज्यों की संघात्मक वित्तीय एकता के बाद, और सभी सरकारी नमक कारखानों को हिन्दुस्तान नमक समवाय को सौंप देने के बाद, सरकारी कारखानों में तैयार नमक पर अधिक दर पर उपकर लगाने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। सरकार ने हिन्दुस्तान नमक समवाय के अनुभव के आधार पर इस सिफारिश पर विचार किया और इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि उपकर की दर एक समान होनी चाहिये। हां, छोटे निर्माताओं, सहकारी समितियों, इत्यादि को नमक उपकर अधिनियम, १९५३ की धारा ६ के अन्तर्गत मिलने वाली वर्तमान रियायतें जारी रहेंगी।

अभी सरकार को नमक उपकर से प्रतिवर्ष, औसतन ८५ लाख रुपये की आय होती है। एक समान दर रखने से उसमें प्रतिवर्ष १२.७५ लाख रुपये की कमी हो जायेगी। सरकारी नमक कारखानों के कर्मचारी अब समवाय के अधीन हो जायेंगे, वही उन पर व्यय करेगा। इससे सरकार को प्रतिवर्ष १० लाख रुपये की बचत हो जायेगी। इसके अतिरिक्त, समवाय सरकार को, निजी कारखानों की भांति ही, कर-अदायगी करेगा।

सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के फल-स्वरूप देश ने नमक उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। १९४७ में देश में नमक की कमी थी। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उसके पहले ही वर्ष में पूरा कर लिया गया था और द्वितीय योजना का लक्ष्य भी पूरा हो चुका है। १९५१ के बाद से हम नमक के मामले में आत्म-निर्भर ही नहीं हो गये हैं, उसकी अतिरिक्त मात्रा रहने लगी है। अभी हम जापान को नमक का निर्यात करते हैं, प्रयास है कि निर्यात-व्यापार बढ़ाया जाये।

भारी रासायनिक उद्योग की प्रगति के कारण अब नमक की मांग बहुत बढ़ गई है। रासायनिक उद्योग को अगले पांच वर्ष में ३० लाख टन नमक की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये हमारा लक्ष्य है कि तृतीय योजना काल में ६० लाख टन नमक का उत्पादन हो, जो अभी केवल ३५ लाख टन होता है। रासायनिक उद्योग के लिये बहुत बढ़िया किस्म का नमक चाहिये। हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और तूतीकोरन का नमक बढ़िया किस्म का होता है। इसके लिये दो-तीन नये नमक कारखाने भी स्थापित किये जा रहे हैं।

नमक उत्पादन के मामले में सहकारी समितियों को यथाशक्ति सहायता दी जाती है। १९४७ से अब तक ३० सहकारी समितियां बन चुकी हैं। उनको उपकर से विमुक्ति दे दी गई है।

सरकार नमक प्रशासन को अधिक कार्य-दक्ष बनाने के उपाय सोच रही है। १९५८ की नमक समिति ने इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें की थीं। उन सभी के बारे में निर्णय किया जा चुका है और अब उनको कार्यान्वित किया जा रहा है।

नमक-विभाग ने अपने अधीन काम करने वाले मजदूरों के लिये काफी सुविधायें जुटा दी हैं। विभाग ने विकास सम्बन्धी कार्यों पर द्वितीय योजना काल के दौरान ३३.७६ लाख रुपये व्यय किये हैं। तृतीय योजना के दौरान इस पर २० लाख रुपये व्यय करने का विचार है।

नमक उद्योग के विकास के उपाय सोचने में केन्द्रीय और प्रादेशिक सलाहकार बोर्डों ने सरकार की बड़ी सहायता की है। केन्द्रीय नमक बोर्ड बनने से अब और आसानी हो जायेगी।

सरकार नमक के उत्पादों को हासिल करने की समस्या पर भी विचार कर रही है। उससे नमक की किस्म भी बढ़िया बन सकेगी और उत्पादन-लागत भी कम हो जायेगी। तूतीकोरन स्थित आदर्श नमक फार्म में इसके परीक्षण किये जा रहे हैं। हिन्दुस्तान नमक समवाय लिमिटेड ने सांभर झील में सोडियम सल्फेट और अन्य रासायनिक तैयार करने की योजना बनाई है। राजस्थान सरकार इसके लिये डिडवाना में सोडियम सल्फेट तैयार करने का एक कारखाना बना रही है। निजी निर्माताओं को भी केन्द्रीय नमक अनुसंधान संस्था द्वारा निकाले गये निष्कर्ष बता दिये जाते हैं।

अभी इस विधान द्वारा सरकार उपकर की दर का दाशमिक बाटों के आधार पर विनियमन कर रही है।

नमक उद्योग का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : इस बात से तो किसी को मतभेद नहीं हो सकता कि सरकारी नमक कारखानों और निजी नमक कारखानों के नमक पर एक समान उपकर लगना चाहिये। लेकिन प्रश्न यह है कि नमक पर उपकर में वृद्धि होनी चाहिये या नहीं।

हमारे देश की राजनीतिक परम्परायें ऐसी रही हैं कि जनता के उपभोग के साधारण नमक पर कोई कर नहीं लगना चाहिये। भारतीय जनता महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये नमक-सत्याग्रह को भूल नहीं सकती।

इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि साधारण नमक और रासायनिक उपयोग के नमक पर लगने वाले उपकर की दर में कोई अन्तर है या नहीं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि दोनों में बिल्कुल ही कोई अन्तर नहीं। न तो मूल अधिनियम और न संशोधन विधेयक ही में ऐसा कोई अन्तर रखा गया है।

†**श्री प्रभात कार** : मेरा मतभेद इसी को लेकर है। मैं चाहता हूं कि सभा इस पर विचार करे कि साधारण नमक को उपकर से बिल्कुल ही मुक्त रखा जाये या नहीं।

इससे होने वाले घाटे की पूर्ति नमक के निर्यात से होने वाली आय से पूरी की जा सकती है। नमक के निर्यात के प्रसार की अभी बड़ी सम्भावना है। आखिर १४ नये पैसे किलोग्राम के हिसाब से साधारण नमक पर सरकार को कोई बहुत भारी घाटा तो नहीं होगा।

गत कुछ वर्षों में नमक के मूल्य में ४०० प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे जनता पर बोझ बढ़ा है। सभा को इस पर विचार करना चाहिए।

मुझे विधेयक के उद्देश्य पर कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि इसे कुछ दिन पहले रखा जाना चाहिए था।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस में विलम्ब अवश्य हुआ है, क्योंकि १९५७ की नमक जांच समिति ने उपकर की दरों में एकरूपता करने की सिफारिश की थी।

माननीय मंत्री ने कहा है कि हिन्दुस्तान नमक समवाय बनने के फलस्वरूप ही यह एकरूपता आवश्यक हो गई है। समवाय न बनता, तो भी सरकारी नमक कारखानों पर निजी नमक कारखानों की अपेक्षा अधिक भार नहीं रखना चाहिए।

उपकर की यह बढ़ी हुई दर, १-४-४७ को एक कार्य-पालक आदेश द्वारा लागू की गई थी।

बड़ा विचित्र लगता है कि सरकारी नमक कारखानों की कीमत पर निजी नमक कारखानों को बढ़ावा क्यों दिया गया था। समिति ने इसका कारण यह बताया है कि कुछ सरकारों को संधि के मुताबिक कुछ राशियों की अदायगी की जानी थी।

खैर, अब अच्छा है कि सरकार ने यह महसूस कर लिया है कि सरकारी कारखानों को भी व्यावसायिक कारखानों की भांति ही चलाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि खारगोधा सरकारी नमक कारखाने को प्रति मन डेढ़ आना अधिक उपकर न देना पड़ता तो वह उस क्षेत्र के निजी नमक कारखानों के साथ बड़ी सफलता से प्रतियोगिता कर सकता था।

नमक की किस्म और अच्छी बनाने से हम अपने नमक निर्यात व्यापार में पर्याप्त वृद्धि कर सकेंगे।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं इस विधेयक के पक्ष में हूं। साथ ही, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में नमक उत्पादन की लागत कम पड़े। अभी तो निजी कारखानों की उत्पादन-लागत ही कम रहती है।

लोक लेखा समिति ने बिल्कुल ठीक कहा है कि निर्मित नमक को अच्छे ढंग से स्टोर करना चाहिए, जिससे वह खराब न हो।

तीसरी चीज़ यह कि इस विधेयक की स्वीकृति को आधार बना कर, सरकार को फिर से नमक कर थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

सरकार को नमक के उपोत्पादों के विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस के लिए अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिए।

नमक का निर्माण सहकारी समितियों और निजी समवायों द्वारा जारी रहना चाहिए। दोनों की प्रतियोगिता से देश की जनता को लाभ होगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : माननीय मंत्री ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा, परन्तु मुख्य प्रश्न से कतराते रहे।

मुझे नमक सत्याग्रह का इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं। नमक को कर मुक्त कराने के आन्दोलन का महत्व विश्व-विख्यात है।

स्वतंत्रता के बाद, इसलिये सरकार को नमक-शुल्क बिल्कुल हटाना पड़ा था। फिर १९५३ में संसद् ने सरकार को यह नमक-उपकर लगाने की अनुमति इसलिये दी थी कि नमक विभाग के प्रशासन और इस दिशा में अनुसंधान करने वाली संस्थाओं का व्यय, इत्यादि पूरा किया जा सके, इसलिये नहीं कि उसे सरकार अपनी आय का स्रोत बनाये। परन्तु हुआ यह कि सरकार को १९५३–५४ में उपकर से ९५ लाख रुपये की आय हुई, पर सरकार ने उसमें से केवल ४१ लाख खर्च किये। इसी तरह सरकार ने १९५४–५५ और १९५५–५६ में क्रमशः ९३ लाख और ९५ लाख रुपये वसूल किये, लेकिन क्रमशः ४९ लाख और ४७ लाख रुपये ही खर्च किये। सरकार ने आठ वर्ष में इस मद से ४ करोड़ रुपये अपने राजकोष में जमा किये।

यह ईमानदारी नहीं है। दूसरी ओर, सांभर झील के कारखाने के पास विकास के लिए पर्याप्त निधि नहीं है। फिर, सरकारी राजकोष में रुपया जमा करते जाने से क्या लाभ? यह संसद् की मंजूरी की शर्त के विरुद्ध है।

मैं अन्य माननीय सदस्यों की भांति यह नहीं कहता कि नमक-कर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, पर संसद् को उसकी पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। यदि सरकार इन चार करोड़ रुपयों के उपयोग के लिए कोई विधान नहीं रखती, तो मैं इसे ग़बन कहूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिशचन्द्र माथुर]

सरकार को तो इन चार करोड़ रुपयों पर ब्याज भी अदा करना चाहिए। इस राशि को नमक उद्योग के विकास में ही लगना चाहिए।

संसद् को पूरा विवरण बताया जाना चाहिए कि सरकार यह उपकर क्यों और स्पष्टतया किस-किस व्यय को पूरा करने के लिए लगा रही है। आठ वर्ष का अनुभव तो यही है कि सरकार को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिये उपकर की दर तुरंत आधी कर दी जानी चाहिए। वर्तमान दर पर उपकर लगाने का कतई कोई औचित्य नहीं।

सरकारी और निजी नमक कारखानों के नमक पर लगने वाले उपकर की दर में एकरूपता लाने से सरकार को कोई भी घाटा नहीं होगा। फर वर्तमान दर पर उपकर बनाये रखने की क्या आवश्यकता है ?

दूसरा बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या यह हिन्दुस्तान नमक समवाय मुनाफे के लिये चलाया जा रहा है ? मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्टीकरण करे। अभी सभा-पटल पर केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के बीच हुए एक करार की प्रति रखी गई है। उसमें कहा गया है कि केन्द्र ने राजस्थान सरकार को ५$^1/_2$ लाख रुपये पट्टे की राशि के रूप में दिये हैं। यह राशि समवाय को मिलेगी। समवाय में राजस्थान सरकार के ४५ प्रतिशत शेयर हैं। आशा यही है कि यह समवाय ३०-४० लाख रुपये मुनाफा कमायेगा और वह एक दूसरा समवाय भी बनायेगा।

†**श्री मनुभाई शाह** : वह तो दो राज्यों के बीच हुई संधि या करार है, इसलिए सरकारी लिमिटेड समवाय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

†**श्री त्यागी** : क्या मुनाफे की कोई सीमा रख दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि हम उसे सरकारी क्षेत्र के एक समवाय की भांति चलाना चाहते हैं, तो वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि मुनाफा कमाना है, तो फिर नमक पर उत्पादन-शुल्क लगाने का क्या मतलब ? तब तो आप उसका मनमाना मूल्य रख सकते हैं। अभी पूरी चीज मेरी समझ में नहीं आई। मैं उसके परिणाम समझना चाहता हूं। आशा है कि माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन दें कि इस शुल्क के लगाने के पश्चात् नमक का मूल्य वर्तमान मूल्य की अपेक्षा बढ़ेगा नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य चर्चा के बाद में आये हैं यह शुल्क तो केवल सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में समानता लाने के लिए ही है।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक साधारण विधेयक है जिसका उद्देश्य सरकारी वर्ग के उपक्रम को निजी वर्ग के उपक्रमों की तुलना में लाना है तथा यह उचित ही है। आजकल देश में ८० प्रतिशत नमक सहकारी संस्थाओं तथा छोटे पैमाने के उत्पादकों द्वारा तैयार किया जाता है। अतः यह आवश्यक था कि सरकारी उपक्रम निजी उपक्रमों की अपेक्षा अधिक शुल्क आदि न

---

†मूल अंग्रेजी में

लगायें। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि नमक सहकारी संस्थाओं तथा छोटे पैमाने के उत्पादकों को इस समय जो छूटें प्राप्त हैं, पूर्व की भांति हो बनी रहेंगी। इस अधिनियम के द्वारा हमारा उद्देश्य कोई छूट अथवा कोई रियायत देना नहीं है। १९५३ के अधिनियम के खंड ३ में यह स्पष्ट है कि यह उपकर कर या उपकर के सामान्य अर्थों में निधिग्रस्त उपकर नहीं है, यह एक साधारण शुल्क है जो नाममात्र राशि में वसूल होगा। इस शुल्क की आय को किन्हीं निश्चित प्रयोजनों के लिए बर्ता जायेगा। सरकार का कर्तव्य यह है कि वह इन राशियों को उन बातों के लिए सर्वप्रथम देय धन समझे। यह कहना गलत है कि सभा की इच्छाओं के विरुद्ध कुछ किया जा रहा है। हम इस उद्योग को ठोस आधार पर लाने के लिए प्रत्येक कार्यवाही कर रहे हैं।

यदि हम नमक आन्दोलन के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात हो जायेगा कि यह आन्दोलन शुरू में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। उन दिनों इस पर शुल्क बहुत कम अर्थात् २ आना प्रति मन (बंगाली मन) था। लेकिन यह स्मरणीय है कि उन दिनों भारतीय मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था और उनका रहन सहन स्तर भी बहुत नीचा था। जैसे ही भारत ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शिकंजे से छूटा तो पहला काम यह किया गया कि नमक पर से कर उठा लिया गया। किन्तु बाद में चलकर २ आने प्रति मन (बंगाली मन) का शुल्क लगाया गया। यह शुल्क बहुत ही कम है। इस दौरान में नमक उद्योग ने काफी अधिक उन्नति की है। आज स्थिति यह है कि हमारे पास अतिरिक्त नमक है। ५० हजार टन से भी अधिक नमक का निर्यात किया जा रहा है। आज हमारे देश का नाम नमक के निर्यातकों में प्रमुख है। स्वतंत्रता के पश्चात् हमें यह लाभ हुआ है।

हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस उद्योग का समुचित विकास हो। और इसके लिये पूरी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। नमक समिति ने, जिसका हवाला कि श्री कासलीवाल ने किया है, नमक के विकास सम्बन्धी सभी प्रश्नों की जांच पड़ताल की है। तथा एक स्वायत्त संविधिक संविहित केन्द्रीय नमक बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है। इस सम्बध में एक विधान शीघ्र ही सभा के सम्मुख लाया जायेगा। हम नमक उद्योग के लिये एक नमक विकास निधि की स्थापना करने जा रहे हैं। इस निधि में से सहकारी समितियों को अन्य अधिक उदार आधार पर ऋण दिये जायेंगे। इसके अलावा छोटे तथा बड़े पैमाने के नमक उद्योगों को भी ऋण दिये जायेंगे। अब तक बहुत थोड़ी सी ही सहायता दी जाती थी।

श्रम कल्याण सम्बन्धी कुछ कार्यवाहियां भी करना चाहते हैं। जिस प्रकार कि अन्य क्षेत्रों में जैसे जूट कोयला आदि क्षेत्रों में हैं। इसका उद्देश्य यह होगा कि नमक उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं जैसे पीने का अच्छा पानी, रहने के लिये अच्छे मकान, अच्छी सड़कें आदि की व्यवस्था हो सके। इसके लिये हम २० लाख रुपये की राशि इस निधि में से देंगे। और आवश्यकता पड़ने पर इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। एक ओर केन्द्रीय नमक बोर्ड होगा जिसे यह अधिकार दिया गया है कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के नमक उद्योग को ऋण दे सके। दूसरी ओर विकास निधि को जो धन दिया गया है उसका उपयोग रखे हम कल्याणकारी उपबन्धों की व्यवस्था कर सकते हैं। हम लगभग ३५ लाख टन नमक का उत्पादन करते हैं और इससे हमें ७५ से ८५ लाख रुपये तक की आय होती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे ही उपकर से होने वाली आय से भी वृद्धि होगी। इससे सरकारी राजकोष को भी लाभ होगा। क्योंकि सुयोजित योजनाएं तैयार की जा रही हैं अतः रेल आदि सभी को लाभ पहुंचेगा। तीसरी योजना में नमक उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा कर ६० लाख टन कर दिया गया है। हमारा यह प्रयत्न अच्छी किस्म का

[श्री मनुभाई शाह]

नमक पैदा करने का होगा। यह उल्लेखनीय है कि यह उद्योग तेजी से प्रगति कर रहा है। एक दिन था जबकि हम नमक का आयात किया करते थे, फिर हम आत्म निर्भर हुए और आज वह दिन आ गया है जब कि हम निर्यातक बन गये हैं। यह इस बात का ही प्रमाण है कि हम तीव्र गति के साथ प्रगति कर रहे हैं। फिर भी हमारा प्रयत्न होगा कि हम अच्छे से अच्छा नमक तैयार करें।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि खाने के काम आने वाले नमक को उपकर से मुक्त कर दिया जाये और औद्योगिकी नमक पर उपकर लगाया जाये। ऐसा करने में बड़ी कठिनाई होगी। नमक उत्पादन करने वाले प्रत्येक कारखाने भिन्न भिन्न प्रकार के नमक का उत्पादन करते हैं। नमक की एक किस्म को दूसरी किस्म से विभिन्न करना आसान बात नहीं है। इसलिये ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। दूसरे इस सुझाव को क्रियान्वित करना प्रशासकीय दृष्टि से भी कठिन होगा।

इस सम्बन्ध में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह तो एक मामूली सी बात है। जैसा कि श्री कासलीवाल ने बताया है हमें यह कार्य तो एक वर्ष पूर्व ही कर देना चाहिये था।

अब प्रश्न लाभ का आता है। हिन्दुस्तान नमक कम्पनी के कार्य का मूल्यांकन आर्थिक तथा वाणिज्यिक आधार पर किया जाना होगा, सरकार यह नहीं चाहती कि किसी सरकारी उपक्रम का उद्देश्य सामाजिक या धर्मार्थ हो। जहां तक वितरण का प्रश्न है सरकार वह कार्य स्वयं करेगी। यह निश्चित है कि यह हिन्दुस्तान नमक कम्पनी भी अन्य कम्पनियों की भांति करों का भुगतान करेगी और इसे करों से कोई छूट नहीं दी जायेगी। हम यह नहीं चाहते कि जनता में किसी भी तरह की भावना न फले कि सरकार सरकारी उपक्रमों के साथ भेदभाव की नीति अपनाती है।

नमक विभाग के कर्मचारियों का हस्तान्तरण इस कम्पनी को कर दिया गया है जिसका अभिप्राय यह होगा कि कम्पनी पर लगभग १० लाख रुपये का वार्षिक लाभ बढ़ जायेगा जबकि कम्पनी पर उपकर की दर घटाने के फलस्वरूप लगभग १२·७५ लाख रुपये का घाटा होगा। इस प्रकार इस विधेयक के कारण सरकार को कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी।

केन्द्रीय सरकार तथा भूतपूर्व देसी रजवाड़ों के साथ हुई सन्धि को समाप्त करने का अभिप्राय यह होगा कि अब केन्द्रीय सरकार को उन्हें स्वामित्व तथा अन्य खर्चे नहीं देने पड़ेंगे। कृष्णमचारी पंचाट के अनुसार उस एक नई कम्पनी में जो सांभर नमक कारखाने का प्रबन्ध करने के लिये बनाई जाने वाली है, राजस्थान सरकार को ४० प्रतिशत निःशुल्क अंश मिलेंगे। यह भी विचार है कि सांभर नमक विकास कम्पनी या निगम बनाया जायेगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे।

इससे कितनी आय होगी अभी इस समय यह बताना कठिन है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं दोनों ही सरकारों ने इस पंचाट को स्वीकार कर लिया है। यह पंचाट वैसे सन्तोषजनक है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य नमक उद्योगों को पूरा पूरा प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि वे अपना विकास कर सकें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नमक उपकर अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि और संशोधन नहीं है अतः सभी खण्डों को मैं मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ४, अनिनियमन सूत्र, विधेयक का पूरा नाम, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ४, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री रंगा** : सरकार को नमक के सम्बन्ध में भी ऐसी ही समिति या बोर्ड बनाना चाहिये जैसा कि तिलहन या कपास के सम्बन्ध में है । इस बोर्ड अथवा समिति का यह कार्य होना चाहिये कि नमक उपकर से जो भी आय हो वह इस उद्योग के संवर्द्धन और प्रगति में व्यय की जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि १९५३ का नमक अधिनियम केवल इसी कारण पारित किया गया था कि उससे सरकार को कुछ आय हो सके ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं यह खण्ड पढ़ चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि यह उत्पादन राजस्व शुल्क के रूप में है । नमक उद्योग के अतिरिक्त भी कुछ अन्य विकास कार्य करने हैं उदाहरणार्थ परिवहन संचार विद्युत् तथा अन्य प्रकार का कार्य ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रसूति लाभ विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि कुछ स्थापनाओं में बच्चे पैदा होने से पहले और उसके बाद कुछ समय तक महिलाओं को काम पर लगाने को विनियमित करने और उन्हें प्रसूति लाभ देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।"

विधेयक में संयुक्त समिति ने कई सुधार किये हैं । इसका क्षेत्र भी अधिक व्यापक बना दिया गया है तथा प्रोत्साहक बोनस को मजूरी की परिभाषा में शामिल कर उसके अधीन प्राप्त होने वाले लाभों में भी वृद्धि कर दी गयी है । अर्हता की अवधि को घटा कर १६० दिन कर दिया गया है । एक विशेष उपबंध यह भी किया गया है कि माता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बालक को सहायता देने की व्यवस्था की जाये । पेट में बच्चा रहने के समय रोजगार की सुरक्षा से सम्बन्धित उपबंध और सुदृढ़ बना दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि माता तथा बालक को कुछ विशेष स्थितियों में पर्याप्त संरक्षण दिया जाये । अभी तक स्त्रियों को सस्ती मजूरी का साधन मात्र समझा जाता रहा है । अतः अखिल भारतीय स्तर के प्रसूति लाभ विधेयक को पारित करते समय सरकार को इस सम्बन्ध में भी सावधान रहना होगा कि इससे काम करने वाली स्त्रियों की संख्या न घटने पाये ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सभी सदस्य सरकारों से यह कहा है कि अभिसमय संख्या १०३ का अनुसमर्थन किया जाय । तथापि भारत सरकार ने अभी तक यह नहीं किया है । तथाति यह प्रसन्नता की बात है कि इस प्रकार के अखिल भारतीय स्तर का श्रम विधान बनाया जा रहा है ।

विधेयक के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि इस विधेयक के लाभ उन स्त्रियों को भी मिलने चाहियें जो कि व्यवसायिक उपक्रमों, आफीसों तथा अन्य कार्यालयों में काम करती हैं, इन स्त्रियों की संख्या हाल के वर्षों में बढ़ी है जब कि खानों तथा कपड़े और जूट के कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों की संख्या में कमी हुई है । हमने इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति में भी दबाव डाला था और सभा का भी हम विधेयक की इस त्रुटि की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं ।

मेरा यह भी सुझाव है कि ऐसे कारखानों या उद्योगों में काम करने वाली औरतों को भी जो कि एक विशेष मौसम में काम करती हैं इस विधेयक के लाभ प्राप्त होने चाहियें । उदाहरणार्थ तम्बाकू उद्योग में बहुत अधिक संख्या में स्त्रियां काम करती हैं उन्हें इस विधेयक के लाभ मिलने चाहियें ।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने अर्हता की अवधि घटा कर १६० कर दी है । मेरे विचार से यह १५० दिन ही होनी चाहिए । इसका कारण यह है कि कई उद्योगों यथा चाय के उद्योग में स्त्रियों को खराब मौसम में बड़ी कठिनाई से काम करना होता है, इसका फल यह होता है कि वह बीमार हो जाती हैं । और वे इतनी अवधि भी पूरा नहीं कर पाती हैं । अतः विशेषतः चाय बागानों में अर्हता की अवधि घटा कर १०० दिन ही कर दी जाये ।

जहां तक प्रसूति के सम्बन्ध में नकद सहायता देने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी सिफारिश संख्या ९५ की है । उसमें कहा गया है कि जहां तक सम्भव है उन्हें न्यूनतम स्तर से अधिक सहायता दी जाये । तथापि हमने न्यूनतम दैनिक मजूरी १ रु० निश्चित की है जो आजकल की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है अतः हमें चाहिये कि इसे बढ़ा कर कम से कम डेढ़ रुपया कर दिया जाये ।

हर्ष की बात है कि हम ने यह व्यवस्था की है कि लाभ देने के लिए प्रोत्साहक लाभांश को भी शामिल कर लिया जायेगा । मेरा सुझाव यह है कि इसमें उपरि समय भत्ता, रात्रि भत्ता भी शामिल कर लिया जाये ।

जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी लाभ का प्रश्न है विधेयक में यह सिफारिश की गयी है कि २५ रु० दिया जाये । तथापि माननीय मंत्री को ज्ञात होगा कि चाय के बागानों में मीलों तक कोई भी अस्पताल नहीं है, इससे बागानों के श्रमिक अस्पताल का लाभ नहीं उठा सकते हैं, अतः उनके लिए केवल २५ रुपये बहुत कम है, सरकार को चाहिए कि यह राशि बढ़ा कर १०० रु० कर दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं नौकरी से हटाने का प्रश्न लेती हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बागानों में ऐसे कई मामले हुए हैं। विधेयक के खंड १२ में यह उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन यदि कोई स्त्री अपने कार्य से अनुपस्थित रहेगी तो उसे काम से नहीं हटाया जा सकता है। तथापि उसमें एक त्रुटि रह गयी है वह यह है कि उपखंड २ के परन्तुक में कहा गया है कि कदाचार के आरोप में औरत को काम से हटाया जा सकता है। मेरे विचार से ऐसा उपबंध रखना उचित नहीं है क्योंकि कदाचरण के अपराध के कारण औरत को प्रसूति लाभों से वंचित कर देना ठीक नहीं होगा। जहां तक उसके कदाचरण का सम्बन्ध है इसका निर्णय न्यायाधिकरण में हो सकता है तथापि इसका यह फल होगा कि जिस समय औरत को पैसे और सहायता की सब से अधिक आवश्यकता है वह उसे प्राप्त नहीं हो पायेगा। मेरे विचार से बहुतसे नियोजक इसकी आड़ लेकर औरतों को प्रसूति लाभ से वंचित करेंगे। इसे रोकने के लिए हम ने एक संशोधन रखा है जिसका आशय यह है कि इन्सपैक्टर को और अधिक शक्तियां दी जायें तथा काम से हटाने के सभी मामले उसके समक्ष रखे जायें।

खंड २६ के द्वारा राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उन संस्थापनों को जहां पहिले से ही लगभग इसी प्रकार के लाभ की व्यवस्था है छूट दे सकते हैं। मेरे विचार से इसका लाभ कुछ बड़े संस्थापन उठा सकते हैं और अपने कर्मचारियों को इन सुविधाओं से वंचित कर सकते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि यह छूट केवल राज्य सरकार की अनुमति से दी जाये।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाती हूं बहुत सी स्त्रियां इस विधेयक के अधीन इस कारण नहीं आ पायेंगी क्योंकि वे अस्थायी या नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में काम करती हैं। इसके साथ ही यह भी खतरा है कि कहीं नियोजक लोग इस सामाजिक सुरक्षा विधेयक को पारित होते ही स्त्रियों को काम से न हटा दें यदि ऐसा होगा तो इस विधेयक से हित होने के स्थान पर स्त्रियों का अहित होगा। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहना चाहिये।

†**श्री नंजप्प** (नीलगिरि) : संयुक्त समिति ने मूल विधेयक में काफी सुधार किया है।

अब मैं विधेयक को लेता हूं। इस में गर्भस्राव की जो परिभाषा की गयी है वह त्रुटिपूर्ण है। उसमें गर्भपात के मामलों को शामिल नहीं किया गया है। खंड के अन्तिम भाग को निकाल दिया जाना चाहिए।

खंड ५ के सम्बन्ध में मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। यह इस कारण किया गया है कि इससे सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आघात न होने पावे। मेरे विचार से जिन स्त्रियों के चार से अधिक जीवित बच्चे हों वे इस विधेयक के अधीन उपबन्धित लाभों की अधिकारिणी न हो सकें।

खंड ८ के सम्बन्ध में भी मैं ने एक संशोधन रखा है। मेरे संशोधन का आशय यह है कि प्रसव के लिये जटिल मामलों में स्त्रियों को परिवहन तथा अन्य व्यय के रूप मे वह व्यय दिया जाय जो कि वास्तव में व्यय हुआ है। कई मामलों में जहां प्रसव करने के लिए आपरेशन करवाने की आवश्यकता होती है ऐसा आपरेशन ऐसे अस्पतालों में ही करवाना होता है जहां कि सभी आधुनिक चिकित्सा उपकरण मौजूद हों। इन मामलों में केवल २५ रु० का उपबंध उचित नहीं होगा। अतः विशेष मामलों में वास्तविक व्यय दिये जाने का उपबंध होना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि (मदुरै) : प्रसूति लाभ के सम्बन्ध में अभी तक विभिन्न राज्यों में तेरह अधिनियम पारित हो चुके हैं। केन्द्र ने इस विषय में तीन अधिनियम पारित किये हैं। हमें चाहिए कि हम इन सोलहों अधिनियमों का इस अधिनियम से तुलना करें और देखें कि यह अधिनियम कितना प्रगतिशील है। वस्तुतः इससे राज्य सरकारों को जिन पर इस अधिनियम के लागू करने का दायित्व होगा बहुत लाभ होगा।

जहां तक चिकित्सा बोनस का सवाल है पंजाब और बिहार के विधानों में यह राशि २५ रु० रखी गयी है। परन्तु वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह काफी नहीं है अतः मैं आशा करता हूं कि विधेयक के द्वितीय पाठन में स्वयं माननीय उपमंत्री इस आशय का संशोधन रखेंगे कि चिकित्सा बोनस की राशि २५ रु० से बढ़ा कर १०० रु० कर दी जाये।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

अब मैं कदाचार के प्रश्न को लेता हूं। इस सम्बन्ध में केरल विधान सभा में प्रसूति लाभ विधेयक पर जो चर्चा हुई थी उसका निर्देश करना लाभदायक होगा। उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि यह ज्ञात होने पर कि महिला मजदूर गर्भवती है उसे हटाने या उस पर कदाचरण का आरोप लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः मेरे विचार से भारतीय परिपृष्ठ को ध्यान में रखते हुए आपको इस पर विचार करना चाहिए। मेरे कथन का तात्पर्य केवल यही है कि इस विधेयक को पारित करते समय हमने यह उपबंध भी नहीं किये हैं जो कि अन्य राज्यों में किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त केरल के अधिनियम में कहा गया है कि यदि वह महिला कर्मचारी पिछले नौ महीनों में १५० दिन काम पर उपस्थित रही हो, जब कि इस अधिनियम में यह अवधि १६० दिन रखी गयी है। इतना ही नहीं आसाम का अधिनियम भी इससे अधिक प्रगतिशील है। वहां अर्हता की अवधि १५० दिन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकरूप विधेयक बनाने के प्रयास में हम ने ऐसा विधेयक नहीं बनाया है जो कि राज्यों के अधिनियमों से अधिक प्रगतिशील हो।

खंड १ में यह उपबंध किया गया है कि यह विधेयक संघ क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी की गयी तारीख से, और राज्यों में संबंधित राज्यों द्वारा जारी की गयी तारीख से लागू होगा। मेरे विचार से इसके स्थान पर यह व्यवस्था होनी चाहिए कि केन्द्रीय सरकार एक निश्चित तारीख नियत करे उस दिन से यह विधेयक समस्त देश में एक साथ लागू हो जाये।

संयुक्त समिति ने विधेयक में यह सुधार किया है कि अब राज्य सरकारें किसी विशेष मौसम में चलने वाले कारखानों को इस विधेयक के क्षेत्र से छूट नहीं दे सकती हैं। वस्तुतः कई उद्योग जहां औरतें काम करती हैं एक विशेष मौसम में ही काम करते हैं यथा कपड़ा, चीनी, तम्बाकू इत्यादि इस कारण मैंने एक यह संशोधन रखा है कि इन मौसमी उद्योगों में अर्हता की अवधि १६० दिन से घटा कर १०० दिन रख दिया जाये। इस विधेयक में एक त्रुटि यह भी है कि एक स्थायी कर्मचारी को भी यदि वह अर्हता की अवधि पूरी नहीं करती है तो प्रसूति लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। मेरे विचार से स्थायी कर्मचारी के बारे में अर्हता की अवधि की छूट होनी चाहिये।

अब मैं सेवा की सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति में जो व्यवस्था हुई है उससे विधेयक में सुधार हुआ है। मूल विधेयक में अधिनियम का उल्लंघन करने पर नियोजक को ५०० रु० जुर्माने या तीन महीने की सजा या दोनों का उपबन्ध किया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

था, जब कि अब उसे इसके अतिरिक्त प्रसूति लाभ के अधीन महिला कर्मचारी को मिलने वाले लाभ की राशि भी देनी होगी। तथापि इस खंड में ऐसे किसी मालिक को दंड देने का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है जो किसी कर्मचारी को केवल इसी कारण नौकरी से निकाल देता है कि उसे प्रसूति लाभ से छूट मिल जायेगी।

प्रसूति लाभ देने की जिम्मेदारी से बच निकलने के लिये काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कम करने की जो प्रवृत्ति है उसे रोकने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

जहां तक लाभ की न्यूनतम दर का सम्बन्ध है मैं इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उचित मानदंड निर्धारित किया है। वस्तुतः कई राज्य विधान सभाओं ने इस मानदंड का अनुकरण किया है। मैं चाहता था कि न्यूनतम लाभ की दर कम से कम दो रुपये अथवा डेढ़ रुपये हो। तथापि महिला श्रमिकों को मिलने वाले लाभ के लिये दैनिक दर पर जो औसत मजूरी निश्चित की गई है, उसके लिये संयुक्त समिति बधाई की पात्र है।

इस विधेयक में एक अन्य उपबन्ध यह है कि औसतन दैनिक मजूरी निर्धारित कर दी गयी है। तीन महीने की पहली मजदूरी से औसत मजदूरी लगाई जाती है। इसमें और भी कई बातें हैं जिनका उल्लेख में दूसरे वाचन में करूंगा। मैं इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाऊंगा कि कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनसे अधिक प्रगतिशील हैं। अतः यह देखा जाना चाहिये कि इस विधान का अधिक से अधिक लाभ लोगों को पहुंचे।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : श्रीमती जी, ज्वाइंट कमेटी की जो रिपोर्ट हाउस में पेश की गयी थी और आज उस पर विचार किया जा रहा है। मैं उसका हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस लोक सभा के अन्दर अभी तक मजदूरों के सम्बन्ध में जितने भी कानून बने हैं उनको जब हम अपने सामने रखते हैं तो इतना प्रोग्रेसिव कोई कानून नहीं है जितना कि यह बिल जो सिलेक्ट कमेटी से आया है और जिसको हम कानूनी रूप देने जा रहे हैं। जो सेंटर के लेबर लाज़ हैं बहुत से राज्यों के लेबर लाज उनसे आगे बढ़े हुए हैं और बहुत प्रोग्रेसिव हैं। लेकिन आज जिस कानून पर हम विचार कर रहे हैं इसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह केन्द्र का कानून उद्योग व्यवसाय में काम करने वाली बहिनों के प्रति न्याय करने के लिये लाया गया है और इसके द्वारा यह सदन इन बहिनों के प्रति पूरा न्याय करने जा रहा है। और उनके प्रति पूरी सहानुभूति इस बिल के द्वारा दिखायी गयी है। वैसे तो अभी तक सेंटर का ऐसा कोई कानून नहीं था कि उद्योग व्यवसाय में काम करने वाली बहिनों को प्रसूति का लाभ मिले। राज्यों में अपने अपने कानून थे और उन कानूनों के अनुसार उनको कुछ लाभ मिल जाता था। आम तौर से देखते हैं कि जो लाभ इसमें दिए गए हैं और बताए गए हैं वह अन्य राज्यों के अन्दर भी बहिनों को कम मिलते थे उन्हें अब अधिक मिलेगा। लेकिन साथ ही इसमें यह ठहरा दिया है कि अगर किसी को जहां ज्यादा मिलता हो तो वह तो उसे मिलता ही रहेगा लेकिन जो इसमें दिया गया है उससे कम किसी को नहीं मिलना चाहिए।

अभी हमारे कम्युनिस्ट भाई ने और उनके पहले हमारी कम्युनिस्ट बहिन ने कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि १६० दिन की हाजिरी के बजाए उनको यह लाभ १५० दिन की हाजिरी पर ही मिलना चाहिए। वैसे जितने भी सेंटर के कानून हैं जिनमें श्रमिकों को लाभ देने की बात आई है उनमें २४० दिन की हाजिरी होने पर ही उनको लाभ देने की व्यवस्था है। लेकिन

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

यह पहला बिल है मैटरनिटी बेनीफिट देने के बारे में जिसको हम कानूनी रूप देने जा रहे हैं जिसके अन्दर १६० दिन रखे गए हैं। लेकिन हमारे साथी ने और उनके पहले हमारी बहिन ने १५० दिन बताए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ज्वाइंट कमेटी में ये दोनों सज्जन विराजमान थे और दोनों सज्जनों ने जो नोट आफ डिस्सेंट दिया है उसमें १६० दिन रखे हैं उसका स्वागत किया है। यह तो ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में नोट आफ डिस्सेंट देने के बाद आफ्टर थाट है कि १५० दिन हो। यह तो उनको बाद को विचार आया कि १५० दिन होने चाहियें। १५० दिन का कानून बनने के बाद उनको यह विचार भी आ सकता है कि १०० दिन ही क्यों न होने चाहियें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस बिल पर ज्वाइंट कमेटी में विचार हुआ था तो ये सज्जन वहां उपस्थित थे और जो नोट आफ डिस्सेंट दिया है उसमें भी बराबर १६० दिन का स्वागत किया है। तो इनके द्वारा नोट आफ डिस्सेंट में उसका स्वागत करने के बाद अब उसका विरोध करना तो न्यायसंगत नहीं मालूम देता।

दूसरी बात यह है कि बेनीफिट की दर क्या होनी चाहिए। ज्वाइंट कमेटी ने यह रखा है कि जो उनका तीन महीने का एवरेज वेतन हो उसके हिसाब से उन्हें ६ हफ्ते इधर और ६ हफ्ते उधर दिया जाए। यह भी न्यायसंगत बात है। दूसरे राज्यों के अन्दर जो बैनीफिट की रकम दी जाती है कहीं १२ आने है, कहीं दस आने हैं कहीं आठ आने है। यह नहीं देखा जाता कि उनका एवरेज वेतन क्या आता है। लेकिन इस के अन्दर यह ठहरा दिया गया है कि कम से कम एक रुपया तो प्रति दिन मिलना ही चाहिए। मैं मानता हूं कि यह न्यायपूर्ण बात है और बहुत ही अच्छी चीज है इस बिल के अन्दर जो कि हमारे हाउस के अन्दर आया है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि जो १६० दिन रखे हैं वह बराबर है।

अभी भाषण में और नोट आफ डिस्सेंट में हमारे कम्युनिस्ट साथियों ने जापान और चीन की बात कही है। मैं तो कहता हूं कि आप रूस का उदाहरण लीजिए। वहां क्या है? ९५ परसेंट बहिनें उद्योग में काम करती हैं और ९५ परसेंट में से लगभग ९० परसेंट क्वारिकाएं हैं और जापान के अन्दर तो ९० परसेंट में से ९० परसेंट क्वारिकाएं मिलेंगी। क्वारिकाओं को रखने में एक मकसद है। वह मकसद यह है कि एक तो उनको मैटरनिटी बैनीफिट नहीं देना पड़ता। इसके अलावा बच्चों के लिये पालनाघर होता है, बच्चों की मातायें बार बार दूध पिलाने जाती हैं उसमें समय लगता है। क्वारिकाओं को रखने में वह समय बच जाता है। लेकिन हिन्दुस्तान की टैक्सटाइल इंडस्ट्री के अन्दर श्री अटेरा ने टाइम एंड मोशन स्टडी करके यह निकाला है कि ८ घंटे में पुरुषों का ८० या ७५ परसेंट का एफीसियेन्सी होती है। लेकिन जो बहनें बाइंडिंग और रीलिंग का काम करती हैं उनकी एफीशेंसी मुश्किल से ६० परसेंट आती है। हमारे देश के अन्दर यह एक प्रथा चली आई है कि हम क्वारिकाओं को कारखानों में काम करने के लिये नहीं भेजते। लेकिन वह बहिनें जिनके कोई कमाने वाला नहीं होता उनको ही काम करने के लिये भेजा जाता है। जो विवाहिता बहिनें होती हैं उनको ही कारखानों में काम करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उनकी उतनी एफीशेंसी नहीं होती। नोट आफ डिस्सेंट में कहा गया है कि जापान में जो बहिनें काम करती हैं वह इसलिए हड़ताल करती हैं कि हमें शादी करने दो और वहां शादी इसलिए नहीं करने देते कि अगर वे शादी करेंगी तो उनके बच्चे होंगे, तो जो एफीशेंसी उद्योग के अन्दर मिलती है वह कम मिलेगी और दूसरे बैनीफिट भी देने होंगे। तो यह विचार करने की बात है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैटरनिटी बैनीफिट का कानून बनने के पहले भी हमारे यहां राजबीमा योजना शुरू हुई, उसके अन्दर भी अच्छा सेफगार्ड रखा गया था। मैं निवेदन करना

चाहता हूं कि सारे उद्योग के अन्दर काम करने वाली हमारी बहिनें कितनी हैं। लगभग ६८ हजार हमारी बहिनें हैं और उसमें मैटरनिटी बैनीफिट कितनी क्लेम करती हैं। जिन्होंने यह बैनीफिट क्लेम किया है उनकी संख्या ६५२३ है और उनमें से जितनों को यह बैनीफिट मिला उनकी संख्या ६०६६ है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर तथ्यों को देखा जाए तो उद्योग व्यवसाय के अन्दर टोटल स्ट्रेंग्थ में से १० परसेंट बहिनें आती हैं जब कि दूसरे देशों में टोटल स्ट्रेंग्थ के अन्दर बहिनें ६० परसेंट आती हैं। इसलिए दूसरे देशों से हम अपने देश की तुलना नहीं कर सकते अगर हम अपनी माताओं और बहिनों के साथ सहानुभूति रखते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि हमारे देश के रीति रिवाज और संस्कारों के अनुसार हमें विचार करना होगा और हमें ऐसा रुख। नहीं अपनाना चाहिए कि जिन बहिनों के घर में कोई कमाने वाला नहीं, जिनका पति अपंग है, वह बहिनें काम करती हैं उन्हें भी कारखाने के बाहर जाना पड़े। देश की टैक्सटाइल इंडस्ट्री में रीलिंग और बाइंडिंग के अन्दर जहां पहले सेंट परसेंट बाईयां रहती थीं आज उनकी तादाद घट कर पचास परसेंट रह गयी है और वहां पर यह एक ट्रेंड चल गया है कि बजाय औरतों के पुरुषों को रक्खा जाय। एम्पलायर्स अक्सर यह कोशिश करते हैं कि बाइयों की जगह मर्दों को रखते हैं। मेरा यह निवेदन है कि आज यह बिल और ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई है मैं मानता हूं कि बहनों के साथ पूर्ण न्याय किया गया है। इसमें कोई शंका नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम बहनों के प्रति जो कि उद्योग व्यवसाय में काम करती हैं, न्याय करने के लिये गये हैं तो ऐसा न हो कि किसी के साथ अन्याय हो जाय। मैं सीजनल फेक्टरीज की बाबत कहना चाहूंगा कि वहां पर काम करने वाली बहनों के लिये भी यह नियम रखना कि उन्हें मैटरनिटी बेनीफिट तभी मिलेगा जब साल में १६० दिन की उनकी काम पर हाजिरी होगी। उचित न होगा। अब इसके लिये माननीय मन्त्री को यह विचार करना होगा कि जो कारखाने १२ महीने चलते हैं उनके अन्दर काम करने वाली औरतों के वास्ते जो मैटरनिटी बेनीफिट देने के लिये १६० दिन की हाजिरी की शर्त समझ में आ सकती है लेकिन यह सीजनल फैक्टरीज कोई साल के बारह महीने तो चलती नहीं है साल में करीब ५ महीने चलती हैं तो उनके वास्ते भी यह १६० दिन की हाजिरी कहां तक न्यायसंगत होगी? उनके लिये हाजिरी की शर्त १६० दिन से कम होनी चाहिये और १२ महीने के वास्ते जो आपने यह १६० दिन की हाजिरी की शर्त रक्खी है तो ५ महीने जो फैक्टरीज चलती हैं उनमें हाजिरी की शर्त उसी अनुपात से रखनी चाहिये और जाहिर है कि वहां के वास्ते यह १६० दिन की हाजिरी नहीं हो सकती है क्योंकि अगर सीजनल फैक्टरीज जो कि साल में पांच महीने चलती हैं उनमें काम करने वाली औरतों के वास्ते भी आप यह १६० दिन की हाजिरी की कैद रखते हैं तो जाहिर है कि वहां पर उनकी १६० दिन की हाजिरी होना असम्भव है और उनको मैटरनिटी बेनीफिट नहीं मिल सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनके वास्ते हाजिरी की शर्त भी उसी अनुपात से होनी चाहिये ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जीनिंग फैक्टरीज की संख्या हमारे देश में कम नहीं है और हम इस पोजीशन में हैं कि कोर्स और मीडियम काउन्ट का कौटेन हम अपने जरूरत के लिये रख कर एक्सपोर्ट भी करते हैं। देश की जितनी भी जीनिंग फैक्टरीज हैं उनकी चर्खियों के ऊपर काम करने वाली सेंट परसेंट महिलाएं हैं और चूंकि वह फैक्टरीज ५ महीने चलती हैं और यदि हम यह कैद १६० दिन की हाजिरी की उनके लिये भी रखते हैं तो यह उन बाईयों के साथ अन्याय होगा और १६० दिन की हाजिरी की शर्त लगी होने के कारण उनको मैटरनिटी बेनीफिट मिलने में दिक्कत पड़ेगी और कठिनाई पेश आयेगी। हमारी बहनें जो वहां पर काम करती हैं उनको कपास की रूई बनाने में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और हम देखते हैं कि पांच महीने जो वहां पर वे काम करती हैं तो वह पांच

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

महीने की कमाई १२ महीने के अन्दर दवादारू में खर्च कर देती है। यह देखने में आया है कि उनको क्षय रोग हो जाता है और उनके फेंफड़े खराब हो जाते हैं लेकिन विवश होकर उनको उन फैक्टरियों में काम करना होता है क्योंकि खेत पर उनको काम मिलता नहीं है और दूसरा रोजी का साधन सुलभ नहीं है।

इसी प्रकार से बीड़ी बनाने का व्यवसाय है। इस उद्योग में भी काफी तादाद में हमारी बहनें लगी हुई हैं। लेकिन वहां पर बीड़ी व्यवसाय के मालिकान लेबर लाज से बचने के लिये बाईयों को बीड़ी और तम्बाकू बांट देते हैं और वह अपने घरों पर यह बीड़ियां बनाती हैं। यह मालिकान लाखों रुपये की बीड़ियां बनाते हैं और बहुत महंगे दामों पर बेच कर भारी मुनाफा कमाते हैं लेकिन बाईयों को बीड़ी और तम्बाकू बांट देने से और बाईयों द्वारा बीड़ी घरों पर तैयार करने से फैक्टरी ऐक्ट, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, मैटरनिटी बेनीफिट और गवर्नमेंट के किसी भी लेबर कानून का फायदा उन बीड़ी वर्कर्स को नहीं मिल पाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनके साथ सरासर अन्याय है और उनको यह सब बेनीफिट्स मिलने चाहियें। हमारी लाखों बहनें जो बीड़ी वर्कर्स के तौर पर काम करती हैं उन्हें प्राविडेंट फण्ड का फायदा नहीं मिलेगा और मैं समझता हूं कि सरकार को इस खामी को दूर करना चाहिये।

इसके साथ ही साथ यह हैल्थ इंश्योरेंस का जो कि हम जनता को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं उसका फायदा उन वर्कर्स को नहीं पहुंचेगा और मैं चाहता हूं कि उनको भी प्राविडेंट फण्ड का फायदा मिले। जो उनके कन्ट्रीब्यूशन की रकम है वह इस स्कीम में आनी चाहिये और हमारे बीड़ी वर्कर्स को भी प्राविडेंट फण्ड का बेनीफिट मिलना चाहिए।

सीजनल फैक्टरीज और बीड़ी वर्कर्स के अलावा धान कुटाई के धंधे में भी हमारी बहनें काफी तादाद में लगी हुई हैं। धान कुटाई के कारखाने हमारे मध्य प्रदेश के अन्दर बहुत हैं। धान कुटाई के कारखाने १२ महीने नहीं चलते हैं। जब धान आता है जमा होता है तो धान कुटाई का काम उन कारखानों में शुरू होता है और उस समय काफी तादाद में हमारी बहनें उस काम को करने जाती हैं। मैं चाहता हूं कि उन हमारी बहनों को भी लेबर कानूनों का बेनीफिट मिले। अब होता यह है कि जो ज्यादा दुखी हैं, और जिनकी आमदनी बहुत थोड़ी है उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता है और जिनकी आमदनी ज्यादा है और जो अपेक्षाकृत अपने पैरों पर खड़े हैं उनको ज्यादा बेनीफिट मिले यह कहां तक ठीक और वाजिब होगा? मन्त्री महोदय को आज नहीं तो कल इस चीज पर विचार करना होगा और मैं चाहता हूं कि वे इस बात को अपने सामने रक्खें कि सीजनल फैक्टरीज में काम करने वालों और धान कुटाई या बीड़ी वर्कर्स को भी सेंटर के जो लेबर लाज हैं उनका फायदा किस प्रकार से मिले।

मैं सरकार लेबर डिपार्टमेंट और ज्वाएंट कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा लेजिस्लेशन वर्कर्स के फायदे के वास्ते रक्खा है और यह सही है कि दूसरी स्टेट्स की बनिस्बत सबसे अधिक प्रोग्रेसिव कानून आप बनाने जा रहे हैं और जिसके जरिए हमारे देश की लाखों माताओं और बहनों को फायदा मिलेगा और इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद तेता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया): मेरा विचार है कि इस विधेयक से महिला श्रमिकों की बहुत सी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लाभ प्राप्त हुये हैं उसका प्रभाव खण्ड १२ का परन्तुक नष्ट कर देता है। दुर्व्यवहार इत्यादि के

†मूल अंग्रेजी में

आरोपों से यदि किसी को नौकरी से निकाला गया और इस प्रकार की व्यवस्था हो गयी तो इसका दुरुपयोग किया जायेगा। इससे श्रमिक प्रसूति लाभ से वंचित हो जायेंगे।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि विधेयक की परिधि से उद्योगों को मुक्त करने के के मामले में राज्य सरकारों को बहुत व्यापक अधिकार दिये गये हैं। किसी समय भी कोई गलत दिशा में इसका प्रयोग कर सकता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि स्थिति ऐसी है कि इन अधिकारों को राज्य सरकारों से छीना नहीं जा सकता तो कम से कम इन अधिकारों को सीमित अवश्य कर दिया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : सबसे अधिक जिस बात की ओर मेरा ध्यान गया वह गन्ने की कीमत थी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संसद् को ग्रामीणों का कोई लिहाज नहीं करना चाहिये। यह तो हैं ही कि हमारी बहुसंख्या गांवों में रहती है और सामान्यतः उनका व्यवसाय कृषि है। काफी काल से यह भी एक प्रवृत्ति चल रही है कि खाद्यान्नों की कीमतें न बढ़ें। यदि गन्ने की कीमत सरकार ने बढ़ने न दी तो ग्रामीणों को इससे भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि यदि सरकार चीनी ही का मूल्य कम करना चाहती है, तो वह शुल्कों तथा उपकरों की दर घटा कर ऐसा कर सकती है। अतः यदि गन्ने की कीमतें कम करने की कोई बात है तो मैं उसका विरोध करता हूं। हां, जिन चीजों की देहाती लोगों को जरूरत है यदि उनकी कीमतें भी कम हो जायें तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। देहाती भाई ज्यादा शोर नहीं मचा सकते इसलिए उनका मामला बिना वकालत किये ही रह जाय। आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस ओर समुचित ध्यान देंगे।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि उसे चीनी के अधिक से अधिक निर्यात करने के बारे में पूरी खोज करनी चाहिये। हमारे पास काफी फालतू चीनी है और उसका निर्यात किया ही जाना चाहिये, चाहे उसमें हमें घाटा ही उठाना पड़े। परन्तु हमारे जो ऋण हैं उनको देखते हुए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। इस दिशा में मुझे कई बार आश्चर्य होता है इंडोनेशिया में चीनी का दाम ४८ रुपये मन हैं। परन्तु वह १६ रुपये प्रति मन निर्यात कर रहे हैं। इसी तरह आस्ट्रलिया में दाम ३३ है परन्तु निर्यात १६ में हो रहा है। अतः इस दिशा में मन्त्री महोदय का दृष्टिकोण उचित ही है और हमें प्रत्येक अवस्था में चीनी का निर्यात करना ही चाहिये। चीनी वैसे भी फालतू है और तीसरी योजना में हम इसका उत्पादन और अधिक कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में यह भी बड़ी अजीब बात है कि हम लोगों को काफी चीनी खाने से भी रोक रहे हैं। एक कारखाने में पैदा होने वाली चीनी एक या दो व्यक्तियों को दे दी जाती है। और उन्हें ५० हजार से ६० हजार तक दलाली मिल जाती है। यह नियन्त्रण भी अजीब नियन्त्रण है। फिर जिस एक ऐजेण्ट को सारी चीनी दी जाती है उस पर किसी निर्धारित दर पर चीनी बेचने की कोई पाबन्दी नहीं। अब यह कहा जा रहा है कि सब को चीनी दी जा रही है और कारखानों के लिये संकट पैदा हो रहा है अतः गन्ने की कीमत कम की जानी चाहिये। क्या विचित्र तर्क है।

---

†मूल अंग्रेजी मे

[श्री त्यागी]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी के वितरण पर जो भी नियन्त्रण है, उसे हटा देना चाहिए। और यह काम मिल मालिकों तथा गन्ना उत्पादकों दोनों के हितों की रक्षा करते हुए किया जा सकता है। यह भी है कि अन्य देशों को चीनी बेचने से जो हानि हो उसे सारे राष्ट्र को उठानी चाहिए। केवल चीनी उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों को यह हानि उठाने के लिये कहना, मेरे मत में भारी अन्याय है।

यदि हमारे पास फालतू चीनी बहुत अधिक है तो हमें गन्न की फसल कम पैदा करनी चाहिये और कारखानों में उत्पादन भी कम करना चाहिये। और यह संसाधन किसी और दिशा की ओर लगाने चाहियें। चीनी को बिना किसी भी प्रकार की रोक के मण्डी में बिकने देना चाहिये। सरकार द्वारा स्थापित तथा पोषित कतिपय अभिकरणों द्वारा यह काम नहीं होना चाहिये।

यह भी बात बड़ी आश्चर्यजनक है कि दक्षिण में चीनी का मूल्य उतना ही क्यों रहने दिया गया है जितना कि उत्तर में चीनी का है। हमें इस तथ्य को भी देखना चाहिये कि दक्षिण भारत की चीनी पर परिवहन व्यय कोई विशेष नहीं होता, उसे देखते हुए वहां की चीनी का मूल्य अधिक नहीं होना चाहिये यह भी उपेक्षित बात नहीं कि मिल मालिकों को बहुत अधिक मुनाफा दिया जा रहा है। प्रशुल्क आयोग ने कारखानों के मालिकों को जितना लाभ देने को कहा है, वह बहुत अधिक है। सरकार को चाहिये कि वह सही स्थिति बताये।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : जो कुछ मेरे से पूर्व श्री त्यागी ने कहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। हमारे दृष्टिकोण में तथा मंत्री महोदय के दृष्टिकोण में इस दिशा में कोई अन्तर नहीं है। हम केवल यह चाहते हैं कि सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि आगामी चार या पांच वर्षों में चीनी के मामले में जो सरकारी नीति चलेगी, उससे गन्ना उत्पादकों को कोई हानि नहीं होने दी जायेगी।

मेरा यह भी निवेदन है कि चीनी पर लगे उत्पादन-शुल्क से जो आय होती है उसका काफी अंश इस उद्योग के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, गन्ना उत्पादकों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जा सकेंगी और इससे चीनी का उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ाया जा सकेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि कारखानेदारों को मुनाफे की बहुत अधिक मात्रा न दी जाये। अन्त में मैं यह कहूंगा कि हमें अब लोगों को चीनी खाने से वंचित नहीं रखना चाहिए। जो कुछ भी फालतू स्टाक हमारे पास है उसे किसी न किसी ढंग से बेच डालना चाहिए।

†**श्री च० दे० पांडे** (नैनीताल): हम जो चीनी निर्यात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ भ्रांति पाई जाती है। उसके घाटे की बात कही गयी है। वास्तविकता यह है कि हमारे माननीय मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं कि हमें अपनी चीनी का मूल्य "विश्व मूल्य" से अधिक उपलब्ध हो रहा है। मेरा मत है कि हमें इस मामले में घाटा नहीं होता। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि यदि अतिरिक्त उत्पादन के लिए यदि आर्थिक सहायता की व्यवस्था न होती तो आज जो चीनी का फालतू स्टाक है वह नहीं हो सकता था। इस समय चीनी का उत्पादन ४० से ५० लाख टन हो गया है। हमें इस दिशा में घाटे की चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि आखिर हम उससे विदेशी विनिमय प्राप्त करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त ने यहां पर कह दिया कि चीनी के दाम ज्यादा हैं। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इंगलैंड के साथ आस्ट्रेलिया और फीजी का जो ऐग्रीमेन्ट हुआ . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने जो चैलेन्ज थ्रो किया था उस को आप सीधे नहीं लेना चाहते हैं, आप रास्ते से बाहर जा रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं उसी पर आता हूं। सन् १९६१ में इंगलैंड के साथ आस्ट्रेलिया और फीजी ने जो ऐग्रीमेंट किया है उस के अनुसार ४५ पाउंड २ शिलिंग पर टन चीनी की कीमत होती है। अगर पाउंड को १५ रु० का भी मान लिया जाय तो एक टन चीनी की कीमत ६७५ रु० होती है। हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हिन्दुस्तान की चीनी ८०० रु० पर टन पड़ती है।

मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में बतलाया है कि ग्रोअर को १७ रु० मन मिलता है और चीनी को वह बेच रहे हैं ३७ रु० ८५ न० पै० मन। इस हिसाब से २० रु० ८५ न० पै० फी मन या तो सरकार की ड्यूटी में जाता है या मिल वालों के चीनी बनाने में जाता है। मिनिस्टर साहब का कहना है कि किसान को ६८ फी सदी मिलता है। जब ३७ रु० ८५ न० पै० में किसान को १७ रु० मिलते हैं तो यहां के आनरेबल मेम्बर कम से कम मैट्रिक तक तो मैथिमैटिक्स पढ़े हुए तो हैं ही, यह लगभग ४५ फी सदी आता है। सौ रुपये में ४५ किसान को मिलता है जब कि यह अपने स्टेटमेंट में बताते हैं कि ६८ पर सेंट मिलता है। ३७ रुपये ८५ नये पैसे में से १७ रुपये किसान को मिलते हैं। हिसाब लगा लीजिये कि किसान को क्या पर सेंट मिलता है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दूसरी बात यह है, जैसा कि श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा है, कि उनको १२ प्रतिशत मुनाफा दिया जाता है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया गजट एक्सट्राआर्डिनरी पार्ट १ सेक्शन १, ४ अप्रैल १९६० के अनुसार आप उनको १२ पर सेंट प्राफिट देते हैं। और त्यागी जी ने कहा कि कास्ट आफ प्रोडक्शन साढ़े पांच रुपया होना चाहिए। मैं बतलाना चाहता हूं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन इससे कम होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि जब फैक्टरी ज्यादा दिन चलती है तो कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत कम पड़ता है। यहां फैक्टरियां ज्यादा दिन चलती हैं इसलिए कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए। अगर १८० दिन फैक्टरियां चलें तो कास्ट आफ प्रोडक्शन ४ रुपया ६७ नये पैसे होगा, लेकिन फैक्टरियां १८० दिन से ज्यादा चली हैं, इसलिए कास्ट आफ प्रोडक्शन कम पड़ेगा।

अब हमारे फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो चीनी हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके बनाने में जो ग्रोअर का केन लगता है उसकी कीमत कम होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आस्ट्रेलिया और फिजी इंगलैंड को ४५ पाउंड २ शिलिंग यानी ६७५ रुपये में अपनी चीनी बेचते हैं तो हमारी चीनी उससे कम में क्यों जायेगी। असल बात तो यह है कि हमारे मिनिस्टर साहब बनिया तो हैं नहीं, व्यापारी हैं नहीं जो सौदा करना जानें। पालिटिक्स और व्यापार अलग अलग चीजें हैं। ये सौदे बाजी करना क्या जानें। यह तो ब्राह्मण हैं। यह तो बनिया जानता है, मिनिस्टर साहब अमरीका आदि जगह जाकर वापस आ गये लेकिन अच्छा सौदा नहीं कर सके। अगर किसी बनिये को भेजते तो वह ठीक सौदा करता।

कहा जाता है कि चीनी बहुत ज्यादा हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, सन १९५८–५९ में बीस लाख ८० हजार टन चीनी हुई थी और वह देश में खपी। लेकिन अब उसके दो साल बाद जब कि आबादी बढ़ गयी है। कहते हैं कि साढ़े २० लाख टन खाओ। सन् १९५८–५९ में

[श्री विभूति मिश्र]

देश में २० लाख ८० हजार टन चीनी खर्च होती है और आज दो साल बाद कहा जाता है कि लोग केवल साढ़े बीस लाख टन चीनी खायें। दिक्कत यह है कि चीनी रिलीज नहीं करते हैं। अगर उदारतापूर्वक चीनी रिलीज करें तो लोग ज्यादा चीनी खायेंगे और कीमत की दिक्कत नहीं होगी। आप तो हिन्दुस्तान भर में घूमते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी दुकानदार के यहां १ रुपये दो आने और १ रुपये चार आने सेर से कम चीनी नहीं मिलेगी। और अभी डा० राम सुभग सिंह साहब लद्दाख हो कर आये हैं। वहां चीनी ३ रुपये सेर है। सवा रुपये सेर से कम पर तो चीनी कहीं नहीं मिलती। चीनी पर इस तरह का नियंत्रण ठीक नहीं है। चीनी को उदारतापूर्वक रिलीज करना चाहिए और किसान के गन्ने के दाम कम नहीं होने चाहिए। आप हिसाब लगायें कि एक मन चीनी बनाने में कितना गन्ना लगता है, और यह भी देखें कि कितना किसान को देते हैं और कितना मुनाफा मिल वाले को देते हैं। आपने बतलाया कि उनको १२ पर सेंट प्राफिट दिया जाता है। इसके अलावा सुना है कि चीनी वाले कुछ रकम चीनी मिलों को रिहैबिलिटेट करने के लिए चाहते हैं। आज जितने भी चीनी के कारखाने चल रहे हैं इन्होंने बहुत समय पहले अपना सारा दाम तो मुनाफे के रूप में निकाल लिया है और अब तो उनको केवल मुनाफा ही मुनाफा है। फिर भी वह और चाहते हैं। मैं फिर फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप जो कहते हैं कि जो शुगर हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके बनाने में जो गन्ना काम आया है उसका दाम कम दिया जायेगा। यह मुनासिब नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप चीनी को उदारतापूर्वक रिलीज कीजिये, यह सवाल ही पैदा नहीं होगा।

एक बात और। यह तै हुआ था कि किसान को गन्ने की कीमत के बदले में चीनी दी जाये। लेकिन उस में ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि किसान को गन्ने के दाम के बदले चीनी नहीं मिल पाती। मैं चाहता हूं कि यह प्रबन्ध होना चाहिए कि अगर किसान गन्ने की कीमत के बदले में चीनी चाहे तो उसको दी जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी चीनी की पालिसी को ठीक करे। यह पालिसी कितने ही मिनिस्टरों को खा गयी है। इसलिए इसको आगे नहीं रखना चाहिए।

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): चीनी के मधुर विषय पर भी मतभेद हो गया, यह सच मुच खेद की बात है। परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि माननीय सदस्य संतोष से मेरी बात सुनेंगे तो उनकी तसल्ली हो जायेगी। बहुत से लोगों का विचार है कि गन्ने के मूल्यों को कम किया जा रहा है। यही बात लगभग सभी माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में कही है। यह बात सब को समझ लेनी चाहिए कि सरकार गन्ना उत्पादकों के हितों की प्रत्येक अवस्था में रक्षा करेगी और गन्ने की कीमतों को कम करने का उसका कोई विचार नहीं, परन्तु हम इसका एक मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे।

यहां तक निर्यात का सम्बन्ध है यदि हम ने १० अथवा २० प्रतिशत का निर्यात कर भी लिया, परन्तु हम सारा धन तो नष्ट होते नहीं देख सकते। सभी दिशाओं को अर्थात् उत्पादक, मिल मालिक, सरकार और उत्पादन शुल्क वालों ने भी यह देखना है कि हमारे चीनी के निर्यात घाटे वाले न हों। एक बात हम को समझ लेनी चाहिए कि यदि हम ने हर बात की छूट दे दी तो किसान ही अन्ततोगत्वा घाटे में रहेगा। हमें इस समस्या पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिए और बड़ी गम्भीरता से इस पर सोचना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि १९५६ में

†मूल अंग्रेजी में

जब हम ने उद्दीपक देने आरम्भ किये थे चीनी की कीमतें बढ़ रही थीं और देश में चीनी काफी नहीं थी। बड़ी गम्भीरता से उस समय इस प्रश्न पर विचार हो रहा था कि चीनी का विदेशों से आयात किया जाय। मेरे एक पूर्वाधिकारी ने जो कि बड़े व्यवहारिक व्यक्ति हैं लगभग १४ लाख टन चीनी का आयात किया। उस पर ४० करोड़ के लगभग विदेशी विनिमय खर्च करना पड़ा। और यह खर्च आवश्यकता के अनुसार करना ही पड़ा। क्योंकि लोगों को चीनी के बगैर तो नहीं रखा जा सकता था। १६५६ में प्रथम बार जब मैं ने अपना वक्तव्य सदन के समक्ष रखा मैंने कहा था कि मैं अपनी यथाशक्ति एक टन चीनी भी बाहर से नहीं मंगाउंगा। जब मैं देश को ही आत्मनिर्भर कर सकता था तो मैं आयात क्यों करूं? और स्थिति यह थी कि न धन था और न विदेशी विनिमय।

किसानों ने बड़ी मेहनत और बड़ी इमानदारी से काम किया। और, उसका फल यह निकला कि मूल्यों का स्तर गिरने लगा। बड़ी विचित्र सी बात है कि यदि कमी पड़े तो सरकार की आलोचना होगी ही, लेकिन यदि बाजार में अतिरिक्त मात्रा आ जाये, तो भी सरकार की आलोचना होती है। फिर किया क्या जाये? इतना दक्ष और समर्थ तो कोई भी मंत्री नहीं हो सकता कि बिल्कुल ठीक नाप जो[illegible] से उत्पादन हो[illegible] लगे, इतना ठीक कि न थोड़ा भी कम पड़े और न थोड़ा भी ज्यादा।

हमारे देश में चीनी की खपत २४ से २५ लाख टन तक होती है। अब यदि हम २५ लाख टन उत्पादन करने का निर्णय करें, तो हो सकता है कि २० लाख टन ही हो पाये या फिर ३० लाख टन हो जाये। इसलिये कि उत्पादन कुछ ऐसी चीज़ों पर भी निर्भर करता है जिन पर किसी भी मंत्री का वश नहीं चलता। हमारा देश अत्यंत प्राचीनकाल से ईसासे भी बहुत पहले से, चीनी उत्पादन के मामले में अग्रणी रहा है। आज भी हमारा देश संसार में सबसे अधिक चीनी-उत्पादन करता है। इसमें आप केवल बढ़िया किस्म की २६·८ लाख टन चीनी के उत्पादन को ही मत देखिये। इसमें गुड़ और खांडसारी भी शामिल हैं। दोनों का अनुपात १ : २ बैठता है। यदि सारा गन्ना चीनी के लिये लगा दिया जाये ६० लाख से १ करोड़ टन चीनी हो सकती है। और, वह संसार के समूचे चीनी-उत्पदन का २० प्रतिशत बैठेगा। बैठेगा क्यों, अभी भी है, क्योंकि हमारा शेष उत्पादन गुड़ और खांडसारी के रूप में होता ही है। आत्म-निर्भर बनने के लिये आवश्यक है कि हम ५–६ प्रतिशत उत्पादन अपनी आवश्यकता से अधिक करें। हम अपने कुल उत्पादन का ५–६ प्रतिशत से अधिक निर्यात नहीं करते।

अब यह कठिनाई ऐसी तो नहीं है कि हम उस पर पार न पा सकें। प्रशासकीय दक्षता के बल पर हम इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सभा के सहयोग से हम इस कठिनाई पर विजय पालेंगे।

इस सम्बन्ध में कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। १६५५–५६ में हमारा चीनी का उत्पादन १८·६२ लाख और खपत १६·४१ लाख टन थी। जन संख्या बढ़ने के साथ ही साथ देश में चीनी की खपत भी बढ़ती रही है। उसमें क्रमशः ४५,००० टन, ५६,००० टन और ३८,००० टन वृद्धि होती रही है। चिन्ता की बात तो खपत का स्तर गिरना होती है। यदि खपत गिरने लगे, तो समझना चाहिये कि कहीं कोई बड़ी गलती है। इधर दो-तीन वर्षों से खपत का स्तर न बढ़ा और न गिरा है। १६५५ से इस देश में खपत का स्तर बढ़ता जा रहा था। यहीं नहीं, अमरीका में भी वह प्रति वर्ष ७५,००० टन बढ़ रहा था। अब वहां लोग अधिक मिष्टान-प्रिय हो गये हैं, इसलिये प्रतिवर्ष १,२५,००० टन वृद्धि होती है। लेकिन हमारे देश में चीनी की खपत कम हुई है। १६५६ में चीनी की खपत २०–२१ लाख टन थी, जो १६६०–६१ में २०·५ लाख टन हो रह गई। श्री त्यागी और

[श्री स० का० पाटिल]

श्री शि० ला० सक्सेना की बात बिल्कुल सही है कि इस का कारण साधारण नहीं हो सकता; कहीं कोई बड़ी रुकावट आ गई है। उसे दूर किया जाना चाहिये और चीनी की खपत से सामान्य वृद्धि होती रहनी चहिये। अब तक उसे २२–२३ लाख हो जाना चाहिये था। इसीलिये मैंने हिसाब लगाया था कि तृतीय योजना की समाप्ति तक चीनी की खपत ३० लाख टन हो जायेगी और हमें आत्म-निर्भर बनने के लिये तब तक अपना उत्पादन ३५ लाख टन कर लेना चाहिये।

आत्म-निर्भरता का मतलब यही है कि वास्तविक खपत से ५–१० प्रतिशत अधिक उत्पादन हो, जिसे कि आप आड़े समय में बाहर से आयात करते न फिरें।

हम यदि अपना गेहूं बेचना चाहें, तो १४ रुपये प्रतिमन से कम पर नहीं बेच सकते, जब कि संसार में उसका मूल्य ८ रुपये प्रतिमन से अधिक नहीं है। एक ओर तो आप शिकायत करते हैं कि उत्पादन बढ़ता नहीं है और दूसरी ओर जब वे उत्पादन बढ़ाते हैं तो आप उसके मूल्य गिराकर उनको दण्डित करते हैं। हर प्रगतिशील देश में यही होता है। निर्यात मूल्य देश के आंतरिक मूल्य उत्पादन की लागत से कहीं कम मिलता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह शिकायत तो किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं की कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। शिकायत तो इसकी है कि उत्पादन में वृद्धि होने के बाद भी बाजार में चीनी नहीं मिलती।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं उस पर आ रहा हूं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करता हूं। इंगलैण्ड में भूमि की कमी के कारण, वे अपनी आवश्यकता का केवल आधा ही चीनी उत्पादन कर पाते हैं। और उसके मूल्य-समर्थन के लिये वे ४० करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देते हैं। इसलिये हमारे देश में भी लोगों को इस पर नाक-भौं नहीं सिकोड़नी चाहिये।

हमने १६५६ में जब आर्थिक सहायता दी, तब गन्ने की बोआई हो चुकी थी, इसलिये गन्ने की खेती का क्षेत्र तो बढ़ाया नहीं जा सकता था। हमने गन्ना-उत्पादकों के लिये गन्ने का मूल्य एक रुपये सात आने से बढ़ाकर एक रुपये दस आने कर दिया था और मिलों को भी उत्पादन-शुल्क में कुछ छूट दे दी थी जिससे कि वे गन्ना-उत्पादकों को कुछ अधिक दे सकें। इसीलिये हमने उत्पादन में जो वृद्धि की, वह गन्ने की खेती का क्षेत्र बढ़ाकर नहीं, बल्कि गुड़ और खांडसारी का उत्पादन कम करके ही दानेदार चीनी का उत्पादन २४ लाख टन तक बढ़ाया था।

१६५६–६० में गन्ने की खेती का क्षेत्र ३५ लाख एकड़ से बढ़कर ५० लाख एकड़ और १६६०–६१ में ५७ लाख एकड़ हो गया है। और इस वर्ष रोकते-रोकते उस में ४ लाख एकड़ क्षेत्र और बढ़ गया है। यदि किसान को फायदा दिखे तो फिर उसे क्षेत्र बढ़ाने से रोकना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है हमारा चीनी-उत्पादन ३० लाख टन हो गया है। यदि यह वृद्धि खेती का क्षेत्र बढ़ाकर नहीं बल्कि उतने ही क्षेत्र में अधिक तीव्र खेती के द्वारा, प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाकर हासिल की जाती, तो उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि न हो पाती। परन्तु किसान को लाभ अधिक होता, क्योंकि उतने ही क्षेत्र में खेती करके वह उससे अधिक रकम पा जाता। इसीलिये सरकार बड़ी गम्भीरता से सोच रही है कि राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान की जाये कि वे अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के प्रयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों के क्षेत्र को विनियमित करें। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो व्यावसायिक फसलों की वृद्धि से खाद्य की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसमें संतुलन हो जायेगा। पूरी कृषीय अर्थ-व्यवस्था लड़खड़ा जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब इस स्थिति में कुछ लोग कहते हैं कि मैंने गन्ने का मूल्य घटाने की बात कही है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही पर उनका ख्याल है कि मैंने कही है। और उसी ख्याल से वे कहते हैं कि दूसरी चीज़ों का भी मूल्य क्यों नहीं घटाया जाता। मेरे पास ठीक-ठीक आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जहां भी हो सका हमने मूल्य घटाने की कोशिश की है।

श्री विभूति मिश्र ने कहा है कि चीनी का मूल्य ३७ · ८५ रुपये प्रतिमन है और गन्ने की लागत १७ · ६१ रुपये है, इसलिये वह ६८ प्रतिशत नहीं है। वह ६८ प्रतिशत नहीं ७० प्रतिशत है। मैं उनको उसका पूरा विवरण बता दूंगा।

सहकारी समितियों के कमीशन समेत गन्ने की लागत १७ · ६१ रुपये है। उस पर राज्य सरकारें २ रुपये उपकर लगाती हैं। निर्माण की लागत ५ · ७५ रुपये है और प्रशुल्क आयोग ने उस पर १ · ७९ रुपये लाभांश दिया है। उत्पादन शुल्क १० · ७० रुपये है। श्री पाण्डे ने बताया भी था हम गन्ने उपकर और उत्पादन शुल्क के बीच १२ · ७० रुपये देते हैं, जो उपभोक्ता-मूल्य का ३४–३५ प्रतिशत बैठता है। सरकार को आप चाहे प्रत्यक्ष करों के रूप में दें या अप्रत्यक्ष करों के रूप में, उसे ४६ करोड़ रुपये राजस्व तो चाहिये ही। यह कर राजस्व के लिये ही लगाया गया था। इससे मिलने वाला राजस्व ७ $^1/_2$ करोड़ रुपये से बढ़कर ४६ करोड़ रुपये हो गया है, और उत्पादन बढ़ने पर ५० करोड़ रुपये तक हो जायेगा। यदि आप चाहें तो राजस्व के इस स्रोत को बन्द करके, हमें दूसरा कोई स्रोत दे दें।

हम निर्यात पर उपकर की छूट देते है। उत्पादन-शुल्क भी नहीं लिया जाता। वह मिल मालिकों को वापस मिल जाता है। इस प्रकार उत्पादन की लागत १७ · ६१ रुपये के साथ ५ · ७५ रुपये और १ · ७९ रुपये मुनाफ़ा जोड़ने से कुल २५ · १५ रुपये बन जाते हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिये गन्ने का मूल्य इस मूल्य का ७० प्रतिशत बैठता है या नहीं। मैं नहीं कहता कि ये उनको नहीं मिलना चाहिये, केवल इतना कहता हूं कि हमें पहले देख लेना चाहिये कि गन्ने की लागत १७ · ६१ रुपये से घटाने की कोई गुंजाइश भी है या नहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत ठीक कहा है कि चीनी उत्पादन का मौसिम अधिक लम्बा खिंचने, लागत अपेक्षातया घट जाती है, इसलिये उद्योग को भी अपनी ओर से कुछ त्याग करना चाहिये।

मैं आपको बताता हूं कि उद्योग ने अभी तक कितना त्याग किया है और आगे मुझे उससे क्या आशा है? मजूरी बोर्ड बनने से पहले इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रशुल्क आयोग ने भी यही निष्कर्ष निकाला था। आयोग ने इसका मूल्य ३७ · ८५ रुपये निर्धारित किया था। और चूंकि उसके बाद मुनाफे की कोई गुंजाइश नहीं थी इसलिये मिल मालिकों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से इन्कार कर दिया था। मैंने बाद में उनको इस बात पर राजी कर लिया था। मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित करने से मिल मालिकों को ५–६ करोड़ रुपये देने पड़ गये थे।

निर्यात के मामले में भी, वे हमारे कहने से निर्यात करते गये। एक लाख टन चीनी के निर्यात से उनको तीन करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा। इस प्रकार उनको कुल मिलाकर ८ करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा है। इससे अधिक दबाव वे शायद वहन नहीं कर पायेंगे, लेकिन यदि सभा आदेश दे तो मैं उसके लिये भी तैयार हूं।

फिर, अमरीका को किये जाने वाले निर्यात का प्रश्न है। अमरीका हमें अतिरिक्त मूल्य देता है—५६० रुपये, परन्तु हमारी उत्पादन-लागत ७५० या ८०० रुपये तक बैठती है। इसलिये २०० रुपये का अन्तर हमें अपनी ओर से पूरा करना पड़ता है। यह प्रति टन १६ रुपये बैठता है। इसका

[श्री स० का० पाटिल]

भार वहन करने के लिये भी हमने उनको राजी कर लिया। इसका घाटा कुल मिलाकर ३० लाख रुपये बैठता है।

इसी प्रकार, राष्ट्र मंडलीय देशों को किये जाने वाले ३०,००० टन के निर्यात पर भी घाटा सहने के लिये हमने उनको तैयार कर लिया।

फिर बाजार के उतार-चढ़ाव का प्रश्न आया। अमरीकी बाजार राज्य-नियंत्रित नहीं है। वहां पहले चीनी का भाव ६·५० सैन्ट था, और आठ दिन बाद वही ·४५ सैन्ट गिर गया। इससे भारत के निर्यातकों को २ करोड़ रुपये का ही घाटा उठाना पड़ा।

इस प्रकार, इस उद्योग को कुल मिला कर ९–१० करोड़ रुपये की चोट तो पहुंच ही चुकी है। इसीलिये कि पिछले दो वर्षों में उन्होंने मुनाफा कमाया था। इसके बाद भी यदि कोई गुंजाइश हो, तो उन पर और भी दवाब डालने के लिये तैयार हूं। यदि मूल्य घटाये जा सकें तो मैं उसके लिये तैयार हूं। श्री बनर्जी जिस भी निकाय को कहें, मैं इस प्रश्न को सौंपने के लिये तैयार हूं। जैसे कि ५·७५ रुपये प्रतिमन के मूल्य को तो घटाना ही पड़ेगा। इसलिये मुझ पर यह दोष तो नहीं लगाया जाना चाहिये कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं किसी और के नहीं, अपने देश और किसानों के हितों की ही रक्षा करना चाहता हूं।

श्री शि० ला० सक्सेना ने आंकड़ों का एक जाल सा बुन दिया है और श्री त्यागी उसमें फंस गये। श्री सक्सेना ने कहा कि प्रशुल्क आयोग ने १९५० में मिल मालिकों को -/१५/१० रुपये दिये थे। उन दिनों की बात तो मैं नहीं जानता। अब आयोग ने उनको दो रुपये से कुछ अधिक दिये हैं। इसलिये मिल मालिकों के पास अधिक धन है। लेकिन वह यह भूल गये कि १९५९ में दो रुपये देने का आधार १९५० के आधार से बिल्कुल भिन्न है। उस समय के १० प्रतिशत से उनका लाभांश ६·६ प्रतिशत बैठता था। अब उसे घटा कर ६ प्रतिशत कर दिया गया है। आयोग ने उनको १९५० में ६·६ प्रतिशत मुनाफे की अनुमति दी थी, और अब केवल ६ प्रतिशत की अनुमति है। आप चाहें तो इसे घटाने-बढ़ाने की बात कह सकते हैं, परन्तु ऐसा वातावरण तो मत बनाइये कि जैसे करोड़ों रुपये इधर-उधर हो गये हों। अब इस १० प्रतिशत में कई और मदें सम्मिलित कर दी गई हैं। आप स्वयं देखिये सरकार ने मिल मालिकों पर दवाब डालने की हर कोशिश की है।

तब फिर इसका इलाज क्या है? इस स्थिति को देख कर घबराने से काम नहीं चलेगा। यदि आप इस स्थिति का सामना नहीं कर सकते तो कृषीय अर्थ-व्यवस्था को संभाल ही नहीं सकते। आत्म निर्भर बनने का अर्थ यही है कि खपत से ५–१० प्रतिशत अधिक उत्पादन हो।

आपने बिल्कुल ठीक पूछा है कि देश में चीनी का उत्पादन पर्याप्त होते हुए भी, आम जनता को चीनी क्यों नहीं मिल पाती। कहा जाता है कि इसीलिये चीनी की मूल्य-नीति को अधिक उदार बनाया जाना चाहिये। आप जानते हैं कि इस मूल्य का ३५ प्रतिशत भाग करों के रूप में सरकार को मिलता है और उससे प्रशासन चलता है। इसलिये उसमें कमी करना सरकार का राजस्व कम करना होगा।

हमने राज्यों को चीनी के बंटवारे का काम सौंपने के कारण ये प्रतिबन्ध कम नहीं किये। देश की ४ करोड़ ३८ लाख जनता को चीनी बांटने का दायित्व मैं अपने ऊपर तो नहीं ले सकता। राज्यों को ही वितरण का काम संभालना पड़ेगा। मैं राज्यों को बराबर लिखता रहा हूं कि चीनी पर से सभी प्रतिबन्ध हटा दो जिससे कि उसका सामान्य ढंग से वितरण हो सके। आखिर एक दम तो उत्पादन की वृद्धि हो नहीं सकती। आप उसे एक दम २०–३० लाख टन तो बढ़ा नहीं सकते। फिर चीनी की मांग में स्थायित्व होना चाहिये। यह तो नहीं कि चीनी सस्ती हुई तो लोग खरीदने दौड़ पड़ें और महंगी हुई तो हाथ खींच लिया। इसीलिये सरकार का प्रयास यही रहा है कि किसान के हितों की रक्षा की जाये। ऐसी भी मिसालें हैं कि स्टाक जमा हो रहे थे और लोग उनका मूल्य तक अदा नहीं कर पाये। ऐसी कई शिकायतें आई थीं।

मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। लगभग ९४ प्रतिशत अदा किया जा चुका है। कुछ मिलें जरूर ऐसी हैं जो व्यवसाय करना नहीं जानतीं। रुपया होते हुए भी वे अदा नहीं करतीं। मौसिम न होने पर, वे गन्ने के नये स्टाक के लिये अदायगी नहीं करतीं। पर गन्ने का स्टाक लेती चली जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक-दो महीने में यह स्थिति नहीं रहेगी। वे गन्ने का पूरा-पूरा मूल्य चुका देंगी।

आप कह सकते हैं कि मिलों को अधिक संरक्षण दिया जाना चाहिये; उनको अधिक ऋण दिया जाना चाहिये। सरकार ने उनको यथाशक्ति संरक्षण दिया है। पहले बैंक उनको केवल ६० प्रतिशत तक देते थे अब हमने उसे ८५ प्रतिशत तक करा दिया है। बैंक उनको ८५ प्रतिशत या ५० लाख रुपये, दोनों में से जो भी कम हो, तक का ऋण देते हैं। कुछ समय पहले मिलें बैंकों से ६८ करोड़ रुपये लिये थीं, आज वे ९४ करोड़ रुपये का ऋण लिये हैं। आखिर, अन्य उद्योगों के लिये भी तो व्यवस्था करनी पड़ती है।

मैं निर्यात के बारे में आपको बता चुका हूं कि हम ६ लाख मैट्रिक टन से अधिक चीनी का निर्यात नहीं कर सकते। इसमें अमरीकी कोटा २·२५ है, जो ३ और ३ $^{1}/_{2}$ तक बढ़ाया जा सकता है। और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय करारों को मिला कर उसे कुल ५० लाख टन ही किया जा सकता है।

इससे आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। जिस देश में ९० लाख टन चीनी होती हो, उसे ५० लाख टन का निर्यात करने के लिये तैयार रहना चाहिये। उससे हमें ६ करोड़ डालर मिल जायेंगे और उससे हम ६० करोड़ डालर के ऋण का परिशोध कर सकेंगे। देश को उससे कुछ घाटा तो होगा, लेकिन विदेशी ऋणों का परिशोध करने के लिये हमें विदेशी मुद्रा के नये संसाधन भी तो चाहियें। चाय और जूट के संसाधनों से पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं मिल पाती।

चीनी की यही स्थिति है। इस कठिनाई से हमें घबराना नहीं चाहिये। हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। इसलिये कोई भी मुझ पर यह दोष नहीं लगा सकता कि हर कीमत पर नियंत्रण लगाये रखना चाहता हूं। सभी नियंत्रण हटने से सब से अधिक प्रसन्नता मुझे ही होगी। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि देश में १६० से कुछ अधिक जो चीनी फैक्टरियां हैं, उनमें सभी एक तरह की नहीं हैं। उनमें ५०–६० ऐसी भी हैं जिनकी हालत पतली है। और हमारी प्रगति की रफ्तार बड़ी धीमी है।

[श्री स० का० पाटिल]

इसीलिये कठिनाई पैदा होती है । हम जब भी कोई कदम उठाते हैं, तो कुछ चीनी फैक्टरियों पर उसका एक असर पड़ता है और अन्य फैक्टरियों पर कुछ दूसरा ।

इसलिये हमें ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे समूचे चीनी उद्योग और किसानों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े । मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि किसानों के हितों की रक्षा इस सरकार से अधिक अच्छे ढंग पर कोई भी नहीं कर सकेगा ।

इसके पश्चात्, लोक-सभा शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १० अगस्त, १९६१

१९ श्रावण, १८८३ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६३९—६३
तारांकित प्रश्न संख्या		
२८६	पाकिस्तान को निर्यात	६३९–४०
२८७	तिब्बती शरणार्थी	६४०—४४
२८८	दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा आत्म हत्या	६४५–४६
२८९	नागा लैण्ड	६४६—४८
३३१	नागा	६४७–४९
३४३	नागा विद्रोहियों द्वारा बन्दी किए गए विमान चालक	६४९–५०
२९०	कांगडा जिले में कागज का कारखाना	६५१–५२
२९१	भूमिहीन मजदूरों के लिए जमीन	६५२—५६
२९२	आण्विक संयंत्र	६५६–५७
२९३	यूरोपीय साझा बाजार	६५७—६०
२९४	मेहता समिति की सिफारिशें	६६१
२९५	नागा आक्रमणकारी	६६१—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६६३—७५४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२९६	रानीगंज कोयला क्षेत्रों में दुर्घटनायें	६६३–६४
२९७	कपड़े पर मुहर लगाना	६६४–६५
२९८	चीनी और भारतीय पदाधिकारियों की रिपोर्ट	६६५
२९९	पुर्तगाली सैनिकों को आश्रय	६६५–६६
३००	मेक्सिको के साथ व्यापार समझौता	६६६
३०१	लौह अयस्क श्रमिक कल्याण निधि	६६६
३०२	उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना	६६७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या

३०३	संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का पुनर्गठन .	६६७-६८
३०४	ऊनी धागे का दाम	६६८
३०५	लोहा और इस्पात उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड .	६६८
३०६	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन पश्चिम बंगाल के २४ परगना में अस्पताल .	६६९
३०७	बीमा शुदा कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा लाभ	६६९
३०८	बर्मा में नागा आक्रमणकारी	६६९-७०
३०९	टेलीविजन के जरिये पढ़ाई . . .	६७०
३१०	भारत की सीमा पर कागज और सीमेंट के कारखाने	६७०-७१
३११	गन्दी बस्ती हटाने की योजना .	६७१
३१२	केन्द्रीय सचिवालय में आग .	६७२
३१३	कागजी इंसुलेटर वाले बिजली के तार	६७२-७३
३१४	कपड़ा मिलें .	६७३
३१५	संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय	६७३-७४
३१६	गोआ	६७४
३१७	दिल्ली में प्रविधिक प्रशिक्षण संस्थायें	६७४
३१८	अखबारी कागज की कमी . .	६७५
३१९	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को प्रतिकर	६७५-७६
३२०	पाकिस्तानी जलयान (मोटर लांच) की वापसी	६७६
३२१	लघु उद्योग बोर्ड .	६७६ ७७
३२२	श्रम सम्बन्धों के बारे में अनुसन्धान	६७७
३२३	कच्चे पटसन का आयात .	६७७
३२४	स्ट्रेपटोमाईसीन का निर्माण .	६७८
३२५	शल्य चिकित्सा उपकरण कारखाना .	६७८
३२६	अंगोला . . .	६७८-७९
३२७	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	६७९
३२८	सिन्दरी उर्वरक कारखाना . .	६७९-८०
३२९	दण्डकारण्य परियोजना के लिए मशीनों का आयात . .	६८०
३३०	भारत द्वारा अमरीका से शस्त्रास्त्रों की खरीद . .	६८०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

३३२	पटसन के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाले पदार्थों का निर्माण करने वाली मशीनें	६८१
३३३	पाकिस्तानियों द्वारा गोली वर्षा	६८१
३३४	पाकिस्तान में भारतीय तारों की सेंसर	६८२
३३५	आकाशवाणी	६८२
३३६	अल्यूमिनियम संयंत्र	६८२—८३
३३७	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	६८३
३३८	प्रशासकीय प्रक्रिया	६८३—८४
३३९	पांडिचेरी का विधिवत् हस्तान्तरण	६८४
३४०	आद्यरूप चमड़ा प्रशिक्षण संस्था और फलों को डिब्बों में बन्द करने का कारखाना	६८४
३४१	पाकिस्तान को चाय का निर्यात	६८५
३४२	अखबारी कागज का कारखाना	६८५
३४४	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	६८५—८६
३४५	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के कारणों का सर्वेक्षण	६८६
३४६	पंजाबी सूबा	६८६—८७
३४७	दिल्ली में छोटे ऊनी माल निर्माता	६८७
३४८	भारत-पाक करार का क्रियान्वयन	६८८
३४९	उत्तर प्रदेश में रेलवे उद्योग	६८८—८९
३५०	पटसन मिलो का बन्द किया जाना	६८९
३५१	राज्य व्यापार निगम	६८९—९०
३५२	पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण	६९०
३५३	गन्धक की आवश्यकता	६९०
३५४	कलकत्ता बन्दरगाह पर दो गोदी श्रमिकों की मृत्यु	६९१
३५५	सरकारी सांख्यिकी विभाग	६९१
३५६	प्रधान मंत्री की कर्मचारियों से अपील	६९२
३५७	सूती कपड़े का व्यापार	६९२
३५८	भेषज संयंत्र	६९३
३५९	दण्डकारण्य में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ट्रैक्टर	६९३—९४

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

३६०	निर्यात की वृद्धि	६६३
३६१	आन्ध्र प्रदेश में एस्बेस्ट्स का कारखाना	६६४
३६२	सरकारी प्रतिष्ठानों में सरकारी कर्मचारियों को रोजगार	६६५
३६३	जापान के लिए अयस्क का निर्यात	६६५
३६४	मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योग	६६५–६६
३६५	रबड़ का उत्पादन	६६६
३६६	लाओस में भारतीय राष्ट्रजन	६६६
३६७	बाल बियरिंग उद्योग	६६७
३६८	नेपाली व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	६६७
३६९	हथकरघा उद्योग की वस्तुओं का निर्यात	६६८
३७०	सन्त तेग सिंह की प्रधान मंत्री से भेंट	६६८–६९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५६४	मध्य-पूर्व अफ्रीका को रसायनों का निर्यात	६६९
५६५	रुरकेला इस्पात परियोजना के आस पास छोटे पैमाने के उद्योग	६६९
५६६	दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण	६९९–७००
५६७	कलकत्ता ट्रामवेज़ की हड़ताल की जांच पड़ताल की रिपोर्ट	७००
५६८	न्यूयार्क मे व्यापार केन्द्र	७००
५६९	सांभर झील के संसाधनों का उपयोग	७००–०१
५७०	कालीन उद्योग का सर्वेक्षण	७०१
५७१	जम्मू तथा काश्मीर में कागज़ की मिलें	७०१
५७२	क्लर्कों के लिये क्वार्टर	७०१–०२
५७३	महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग	७०२
५७४	बिहार मे छोटे पैमाने के उद्योग	७०२
५७५	चीन जाने वाले भारतीयों को पारपत्र	७०२–०३
५७६	नेपा मिल्स	७०३
५७७	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये गारन्टी योजना	७०३
५७८	दूसरी योजना में मैसूर और आन्ध्र प्रदेश	७०३–०४
५७९	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ दफ्तर	७०४

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

५८०	घड़ियों के पुर्जों का निर्माण . . .	७०४
५८१	कैपस्यूल निर्माण करने वाले यूनिट . . .	७०५
५८२	बिजली की करेंट का बदला जाना .	७०५-०६
५८३	पालिस्टाईरीन प्लास्टिक . . .	७०६
५८४	घड़ियों का आयात	७०७
५८५	सिनेमा आर्क कार्बन .	७०७
५८६	ट्रांस्फार्मर	७०७
५८७	उड़ीसा के लिए सीमेंट . .	७०८
५८८	पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई .	७०८
५८९	जम्मू तथा काश्मीर में ऊनी कपड़ा उद्योग	७०८
५९०	बीड़ी उद्योग . .	७०९
५९३	कैम्पों में पश्चिम बंगाल के शरणार्थी . .	७०९
५९४	बाल बैयरिंग .	७०९
५९५	सरकारी उद्योग	७०९
५९६	विदेशों में भारतीय मिशनों के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाना .	७१०
५९७	निप्टारा अधिकारियों के कार्यालयों में कार्य का तेजी से निपटारा	७१०
५९८	बारी के बाहर आवंटन	७१०-११
५९९	पटसन का निर्यात	७१२
६००	उर्वरक कार्यक्रम	७१२
६०१	भारत-चीन सीमा विवाद संबंधी रिपोर्ट	७१२-१३
६०२	नागा विद्रोही .	७१३
६०३	रूस को जूतों का निर्यात . . .	७१३-१४
६०४	हिन्दुस्तान मशीनी औजार फैक्ट्री, बंगलौर	७१४
६०५	मेंगनीज़ अयस्क का निर्यात . .	७१४
६०६	रूस के साथ व्यापार करार	७१५
६०७	जम्मू और काश्मीर राज्य में घड़ी फैक्ट्री	७१५
६०८	संयुक्त प्रबंध परिषदें . .	७१५-१६
६०९	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में अमरीका के लिये नया डिवीज़न	७१६
६१०	आर्थिक शक्ति का केन्द्रित हो जाना . .	७१६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६११	पंजाब में निष्क्राम्य भूमि के आवंटन संबंधी फाइलों का लापता होना . . .	७१६-१७
६१२	भारतीय राजनीतिक कैदियों का पुर्तगाल को भेजा जाना	७१७
६१३	मद्रास में तकुओं और करघों का आवंटन	७१७
६१४	कपड़ा मिलों का बन्द हो जाना .	७१७-१८
६१५	तिब्बतियों का आगमन	७१८
६१६	रूस के साथ व्यापार . .	७१८
६१७	उत्तर और दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंध	७१८-१९
६१८	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन बंगलौर में अस्पताल	७१९
६१९	कोयला खनिकों के लिये क्वार्टर	७१९-२०
६२०	उपभोक्ता मूल्य देशनांक	७२०
६२१	गोआ सप्ताह . .	७२०
६२२	दक्षिण-पूर्व एशियायी राज्य संस्था	७२०-२१
६२३	हज यात्री . . .	७२१
६२४	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषण व लेख	७२१-२२
६२५	योजना आयोग के सदस्यों के मकानों की मरम्मत .	७२२
६२६	मंत्रालयों आदि को दिये गये कूलर	७२२
६२७	गोल मार्केट क्षेत्र मे क्वार्टर .	७२२-२३
६२८	अनुशासन संहिता . .	७२३
६२९	राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् .	७२३-२४
६३०	कांगो में तथ्य निर्धारण आयोग . .	७२४
६३१	दिल्ली के गंदी बस्तो वासियों के लिए दो मंजिले क्वार्टर	७२४-२५
६३२	पश्चिम एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए प्रसारण	७२५
६३३	क्वार्टरों का दिया जाना .	७२५-२६
६३४	उड़ीसा में स्थानीय विकास कार्य	७२६
६३५	दिल्ली में 'सिक्किम हाउस' . .	७२६
६३६	भारतीय विदेश सेवा . . .	७२७
६३७	पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी . . .	७२७
६३८	केरल में शिक्षितों में बेकारी	७२८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६३९	जीप	७२८
६४०	पंजीबद्ध बेरोजगार व्यक्ति	७२८–२९
६४१	रूई का निर्यात	७२९
६४२	आटा मिलों की मशीनें	७२९–३०
६४३	रूई का निर्यात	७३०
६४४	सिंगापुर को निर्यात	७३०–३१
६४५	जोरहाट और शिलांग में 'रिसीविंग सेन्टर'	७३१
६४६	जोरहाट में मीडियम वेव ट्रांसमीटर	७३१–३२
६४७	बेल्जियम से आयात	७३२–३३
६४८	निर्यात संवर्धन	७३३
६४९	बूरागढ़ कोयला खान	७३३
६५०	लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय रेशम सम्मेलन	७३३–३४
६५१	यूनाइटेड प्राविंसेज कर्मशियल कारपोरेशन	७३४
६५२	मोटरगाड़ियों का उत्पादन	७३४
६५३	राज्य व्यापार निगम द्वारा माल का आयात	७३५
६५४	पंजाब में औद्योगिक विवाद	७३५
६५५	छोटे पैमाने के उद्योग	७३५
६५६	अखबारी कागज उद्योग	७३६–३७
६५७	फाउटेन पैन	७३७
६५८	उत्तर प्रदेश में सूत के कारखाने	७३७
६५९	पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्धनता	७३७–३८
६६०	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	७३८
६६१	वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में हिंन्दी का प्रयोग	७३८
६६२	सरकारी मुद्रणालयों द्वारा खरीदा गया टाइप	७३९
६६३	सरकारी मुद्रणालयों में हिन्दी टाइप की कमी	७३९
६६४	समाचार पत्रों की कतरनें	७३९–४०
६६५	संयुक्त प्रबन्ध परिषदें	७४०
६६६	कोयला खान श्रम कल्याण निधि	७४०
६६७	स्वायत्त और अर्धस्वायत्त निकाय	७४०–४१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६६८	रोजगार ढूंढने वालों की आयु सीमा	७४१
६६९	कर्मचारी भविष्य निधि योजना	७४१
६७०	गुजरात में कपड़ा उद्योग	७४२
६७१	व्यापार करार	७४२–४३
६७२	राष्ट्र संघ	७४३
६७३	कुवैत में व्यापार आयोग	७४४
६७४	सिक्किम में सड़कों का निर्माण	७४४
६७५	दण्डकारण्य में बसे परिवार	७४४–४५
६७६	चाय का निर्यात	७४५
६७७	श्री जी० डी० बिडला का रूस का दौरा	७४५–४६
६७८	पंजाब में औद्योगिक एकक	७४६
६७९	बंगाल देशी रूई	७४६
६८०	रूस और पूर्व योरोपीय देशों को उपभोक्ता और अर्द्ध तैयार वस्तुओं का निर्यात	७४६–४७
६८१	देहरादून में पत्रकार सम्मेलन	७४७
६८२	मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों को सम्पत्ति का लौटाया जाना	७४७
६८३	मशीन निर्माण उद्योग	७४८
६८४	उड़ीसा एग्रीको लिमिटेड	७४८
६८५	तिब्बती शरणार्थी	७४८–४९
६८६	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	७४९
६८७	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का स्थानांतरण	७५०
६८८	सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	७५०
६८९	शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	७५०–५१
६९०	लघु उद्योग	७५१
६९१	लोदी कालोनी में क्वार्टरों की चारदीवारी को गिराना	७५१–५२
६९२	अकबर रोड, नई दिल्ली में नौकरों के क्वार्टरों का गिराया जाना	७५२
६९३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल सब-डिवीजन	७५२–५३
६९४	बिजली और औद्यागिकी सब डिवीजन	७५३
६९५	गुजरात में उर्वरक फैक्टरी	७५३
६९६	दिल्ली में निष्क्राम्य भूमि	७५४

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७५४–५५

(१) हथ करघा उद्योग द्वारा की गई प्रगति को आंकने और इसके आगे विकास के लिए सिफारिशें करने के हेतु सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कार्यकारी दल की प्रतिवेदन के बारे में दिनांक ५ मई, १९६१ के गजट में प्रकाशित सरकारी संकल्प संख्या ४(१५) टेक्स (सी)/६० की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९७६ में प्रकाशित केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भर्ती) नियम, १९६१।

(दो) (क) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड, जयपुर की वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(३) सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७९ में प्रकाशित सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५७ मे प्रकाशित औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६१।

(दो) कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के अप्रैल, १९६१ में नई दिल्ली में हुए आठवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ७५५

आयकर विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विधेयक पर साक्ष्य—सभा पटल पर रखा गया . . . ७५५

आय कर विधेयक पर प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई।

विषय	पृष्ठ
विधेयक पुरःस्थापित	७५६
(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६१	
(२) जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक, १९६१	
विधेयक पारित	७५६—५९
(१) गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्टफीस विधियां) विधेयक पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।	
(२) श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।	
(३) वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि नमक उप-कर (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।	
विधेयक विचाराधीन	७५९
श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्रसूति लाभ विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा . . .	
९-८-६१ को श्री स० मो० बनर्जी द्वारा चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात, तथा मूल्य-निर्धारण के बारे में आरम्भ की गई चर्चा जारी रही। खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया तथा चर्चा समाप्त हुई।	
शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा तथा गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार।	

GMGIP—ND LS III—919 (A) LSD—7-9-6 —125.